वर्ष : 2017

अंक : 1

खान भारती

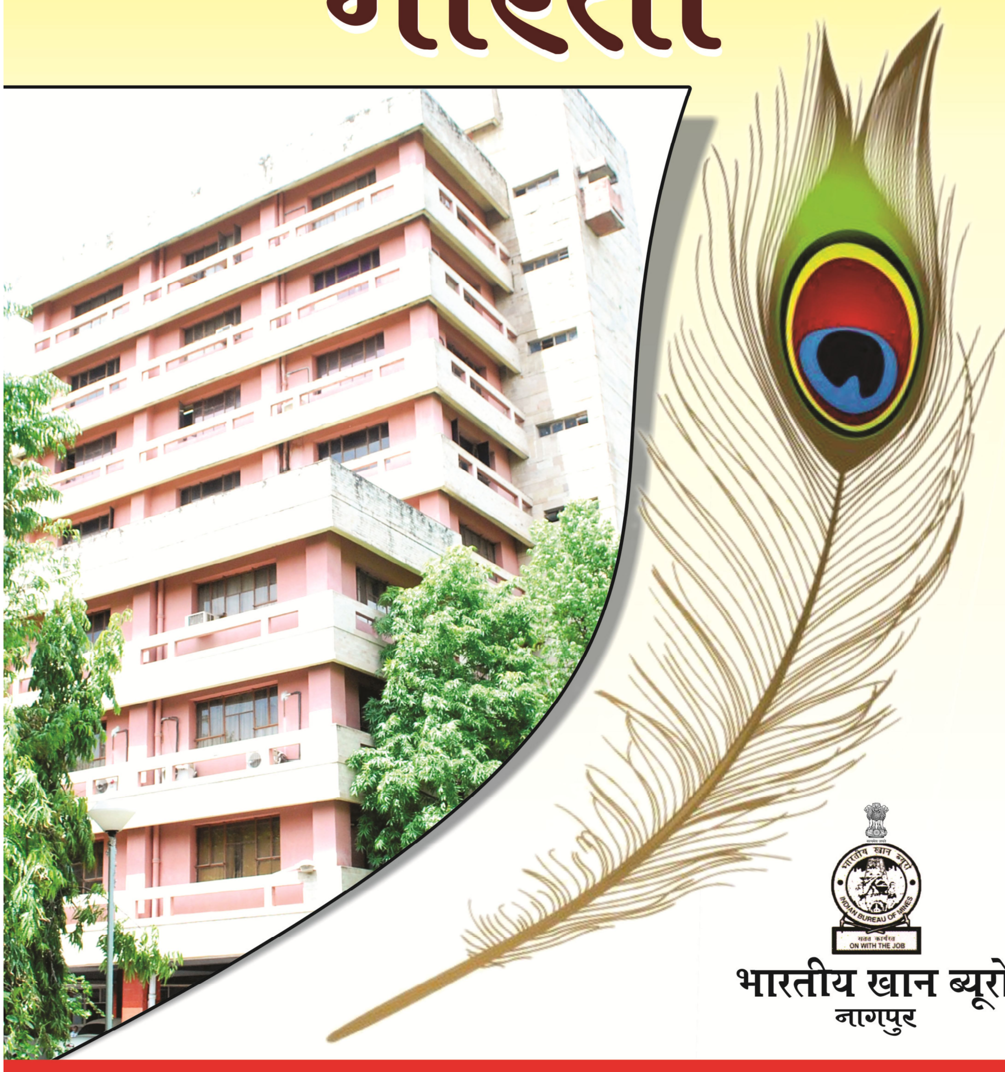

भारतीय खान ब्यूरो
नागपुर

दिनांक 31/03/2017 को आयोजित विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 101 वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री रंजन सहाय, महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

दिनांक 14/09/2016 को हिंदी दिवस के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री आर. के. सिन्हा, तात्कालीन महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

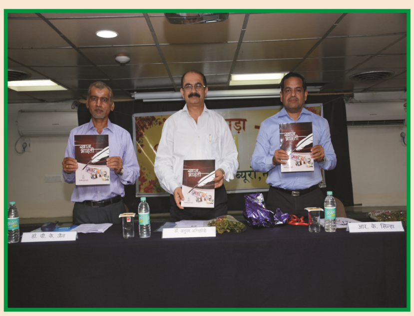

दिनांक 14/09/2016 हिंदी दिवस के अवसर पर भारतीय खान ब्यूरो की हिंदी गृह पत्रिका 'खान भारती' का विमोचन

राजभाषा विभाग द्वारा भारतीय खान ब्यूरो के गोवा क्षेत्रीय कार्यालय को प्रदत्त प्रथम राजभाषा पुरस्कार प्राप्त करते हुए डॉ. वाई. जी. काले, क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय

वर्ष 2017, अंक-1

भारत सरकार
खान मंत्रालय

खान भारती

भारतीय खान ब्यूरो
हिंदी अनुभाग
नागपुर

मई, 2017

भा. खा. ब्यूरो मुद्रणालय में मुद्रित 200/15/मई 2017

खान भारती

भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

संरक्षक

रंजन सहाय
महानियंत्रक (प्रभारी)

प्रधान संपादक

डॉ. पी. के. जैन
मुख्य खनिज अर्थशास्त्री एवं
राजभाषा अधिकारी

संपादक

प्रमोद एस. सांगोले
उप-निदेशक (राजभाषा)

संपादन सहयोग

राजीव कुलश्रेष्ठ
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक

मिताली चटर्जी
हिंदी अनुवादक

असीम कुमार
हिंदी अनुवादक

किशोर डी. पारधी
हिंदी अनुवादक

साज - सज्जा एवं टंकण सहयोग

जगदीश अहरवार
आशुलिपिक ग्रेड -I

प्रदीप कुमार सिन्हा
हिंदी टंकक

आवरण पृष्ठ सज्जा

विनय कुमार सक्सेना
व. पु. एवं सूचना सहायक

प्रकाशन अनुभाग द्वारा निर्मित एवं मुद्रित

ए. के. सिंह	*एम. सुमेश*	*बी. एल. यादव*
मुख्य संपादक	वरिष्ठ संपादक	सहायक संपादक
पी.एल. मसराम	*पी. पी. देव*	*रूचा व-हाडे*
व. त. स. (प्रका.)	क. त. स. (प्रका.)	क. त. स. (प्रका.)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
खान मंत्रालय
MINISTRY OF MINES
भारतीय खान ब्यूरो
INDIAN BUREAU OF MINES

रंजन सहाय

महानियंत्रक (प्रभारी)

<u>संरक्षक की कलम से</u>

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि भारतीय खान ब्यूरो (मुख्यालय), नागपुर की विभागीय हिंदी गृह - पत्रिका 'खान भारती' के आगामी अंक का प्रकाशन होने जा रहा है । यह राजभाषा के विकास एवं प्रचार - प्रसार की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है । इससे स्पष्ट होता है कि हमारे विभाग के कार्यों में राजभाषा के प्रयोग में निरंतर अभिवृद्धि हो रही है । निःसंदेह यह पत्रिका विभिन्न प्रतिभा संपन्न रचनाधर्मियों को साहित्यिक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करेगी तथा पाठकों का ज्ञानवर्द्धन भी करेगी ।

मैं इस पत्रिका के प्रकाश में अपना योगदान देने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देता हूँ तथा इस पत्रिका की सफलता एवं उन्नति की कामना करता हूँ ।

(रंजन सहाय)
महानियंत्रक (प्रभारी)

इंदिरा भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर–440 001, दूरभाष : (0712) 2560041 (का), फैक्स : (0712) 2565073, 2561824
ई.मेल : cg@ibm.gov.in , वेबसाईट : www.ibm.gov.in
Indira Bhavan, Civil Lines, Nagpur - 440 001, Telephone: (0712) 2560041 (O), Fax : (0712) 2565073, 2561824
e-mail : cg@ibm.gov.in, Website : www.ibm.gov.in

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
खान मंत्रालय
MINISTRY OF MINES
भारतीय खान ब्यूरो
INDIAN BUREAU OF MINES

डॉ. पी. के. जैन
मुख्य खनिज अर्थशास्त्री एवं
राजभाषा अधिकारी

प्रधान संपादक की कलम से.....

भारतीय खान ब्यूरो (मुख्यालय), नागपुर की हिंदी गृह- पत्रिका 'खान भारती' के इस नवीन अंक के प्रकाशन पर मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है । यह बड़े ही गर्व की बात है कि सभी कार्यालय कर्मी राजभाषा हिंदी के अनुपालन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं । इसी सामूहिक सहभागिता के परिणामस्वरूप 'खान भारती' का यह अंक प्रकाशित हो रहा है ।

भारत सरकार के राजभाषा नियमों - अधिनियमों से आप सभी अवगत ही हैं । सरकारी काम - काज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग करना हमारी जिम्मेदारी मात्र नहीं है, बल्कि यह हमारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्य भी है । 'खान भारती' के इस नवीन अंक का प्रकाशन भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ।

गृह - पत्रिका किसी भी संस्थान की सांस्कृतिक प्रतिनिधि होती है एवं उसकी सार्थक छवि प्रस्तुत करती है । इसी दिशा में अपने दायित्व का वहन करती हुई 'खान भारती' अपनी अगली मंजिल तक पहुंच गई है । शुभकामना है कि हर नए अंक के साथ 'खान भारती' नई ऊँचाईंयों को स्पर्श करती रहे तथा राजभाषा हिंदी को गौरवान्वित करती रहे ।

'खान भारती' के रचनाकारों व संपादक मंडल का हार्दिक अभिनंदन तथा भविष्य में यह निरंतर प्रकाशित होती रहे और युगों - युगों तक जगमगाती रहे, यह मंगल आशा है।

(डॉ. पी. के. जैन)
मुख्य खनिज अर्थशास्त्री
एवं राजभाषा अधिकारी

इंदिरा भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर–440 001, दूरभाष : (0712) 2560041 (का), फैक्स : (0712) 2565073, 2561824
ई.मेल : cg@ibm.gov.in , वेबसाईट : www.ibm.gov.in

Indira Bhavan, Civil Lines, Nagpur - 440 001, Telephone: (0712) 2560041 (O), Fax : (0712) 2565073, 2561824
e-mail : cg@ibm.gov.in, Website : www.ibm.gov.in

संपादक की कलम से...

सितंबर, 2016 में 'खान भारती' के सफल प्रकाशन एवं पाठकों की प्रशंसा से आह्लादित होकर अत्यंत ही अल्प समय में भारतीय खान ब्यूरो (मुख्यालय), नागपुर की हिंदी गृह- पत्रिका 'खान भारती' का नवीनतम अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अपार प्रसन्नता हो रही है । पत्रिका के लेखकों और पाठकों के सहयोग ने इस प्रयास को मूर्त रूप दिया है और सार्थक बनाया है । इसका तुरंत पुन: प्रकाशन भारतीय खान ब्यूरो के कार्मिकों के हिंदी के प्रति लगाव और इसके प्रचार के प्रति निष्ठा ओर सद्भावना का द्योतक है ।

'खान भारती' एक ऐसा मंच है जहाँ भारतीय खान ब्यूरो के विशाल परिवार के सदस्य राजभाषा हिंदी में अपने विचार, भावनाओं और संवेदनाओं को अपनी कहानी, कविता, लेख आदि रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं । साथ ही, अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित ज्ञान और जानकारियों को भी एक-दूसरे के साथ बाँटते हैं ।

भाषाई अभिव्यक्तियों के जरिए भाषा - विशेष की संस्कृति और संस्कार सामने आते हैं । किसी भी भाषा में लेखन, भाषा की सांस्कृतिक विरासत को सामने लाता है; एक ऐसी विरासत जो राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्र के अस्तित्व से जुड़ी है । इस दृष्टि से हिंदी के प्रचार - प्रसार में प्रोत्साहन ओर प्रेरणा का योग अत्यावश्यक है । हमारा विश्वास है कि पत्रिका में प्रस्तुत लेख, कहानी, कविता, निबंध, राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े प्रसंग आदि सभी के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होंगे ।

वस्तुत: राजभाषा अभियान स्वयं में एक साधना है, जिसे हम सभी भारतीय को कर्तव्यभाव और कर्तव्यबोध से पूर्ण करने हेतु आगे बढ़ते रहना है । हमारा यह नैतिक और मौलिक उत्तरदायित्व बन पड़ता है कि हम राजभाषा हिंदी के प्रति अपने राष्ट्रीय एवं नैतिक कर्तव्यों को समझें और पूरे मनोयोग से सदैव उसकी सेवा में तत्पर रहें । तभी हम सही अर्थों में राजभाषा हिंदी का राष्ट्रव्यापी ही नहीं बल्कि विश्वव्यापी गौरव बढ़ाने में कामयाब होंगे ।

पत्रिका प्रकाशन के लिए हम महानियंत्रक महोदय श्री रंजन सहाय के विशेष आभारी हैं, जिन्होंने हमें इस पत्रिका को प्रकाशित करने हेतु प्रोत्साहित किया । राजभाषा अधिकारी महोदय डॉ. पी. के. जैन ने हमारी हौसला आफजाई की तथा हमें अपना मार्गदर्शन और सहयोग दिया । हम उनके तहे दिल से आभारी हैं । इस अंक के प्रकाशनार्थ संपादक मंडल, मुद्रणालय के सहयोगियों एवं रचनाकारों के प्रति भी हम कृतज्ञ हैं । 'खान भारती' पत्रिका के आगामी अंक को और अधिक बहुपयोगी एवं रूचिकर बनाने में आप सभी का सहयोग हमें यथावत प्राप्त होता रहेगा, इसी आशा और विश्वास के साथ ।

सधन्यवाद ।

(प्रमोद एस. सांगोले)
उप-निदेशक (राजभाषा)

अनुक्रमणिका

क्रमांक	रचना का शीर्षक	लेखक	पृष्ठ संख्या
1.	**भारत सरकार की राजभाषा नीति**	डॉ पी. के. जैन प्रमोद एस. सांगोले	1-6
2.	**भारतीय भाषाओं और हिंदी के अंतर्सम्बन्ध**	असीम कुमार	7-9
3.	**प्रतिकूलता में अनुकूलता**	डॉ पी. के. जैन	10
4.	**भारत का पर्यावरण संकट : एक दु:स्वप्न**	विनय कुमार सक्सेना	11-12
5.	**भारत की लोकप्रिय धातु : सोना**	डॉ एस. के. शम्मी	13-18
6.	**कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न**	अभिषेक कुमार	19-25
7.	**भारतीय आर्य भाषा परिवार**	असीम कुमार	26-29
8.	**मेरी कविता बन जाती है**	अरूण कुमार राय	30-31
9.	**परिवार और कैरियर**	पप्पू गुप्ता	32
10.	**आत्ममंथन की आवाज**	नीता कोठारी	33-34
11.	**बदलाव**	एकता गिरि	35-40
12.	**भिक्षुणी**	भाविका रामटेके	41-48
13.	**क्या यही जिंदगी है**	पदमा जैन	49-51
14.	**मैं हूँ सरकारी फाइल**	अक्षत याग्निक	52-53
15.	**दो गजलें**	राजीव कुलश्रेष्ठ	54-55
16.	**आज के बच्चे**	सुनील कुमार शर्मा	56-57
17.	**दरअसल**	प्रदीप कुमार सिन्हा	58
18.	**हिंदी पखवाड़ा - 2016 के पुरस्कृत निबंध**	-	59-75
19.	**भारतीय खान ब्यूरो में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी उपलब्धियाँ**	हिंदी अनुभाग द्वारा संकलित	76-94
20.	**आपकी राय**	-	95

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार लेखक के अपने हैं एवं संगठन से उसका कोई संबंध नहीं है।

भारत सरकार की राजभाषा नीति

डॉ. पी. के. जैन
मुख्य खनिज अर्थशास्त्री
एवं राजभाषा अधिकारी

श्री प्रमोद एस. सांगोले
उप-निदेशक (राजभाषा)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा है, परंतु संविधान के अनुच्छेद 343 (4) में पन्द्रह वर्ष की अवधि तक, अर्थात् 26 जनवरी, 1965 तक, सरकारी काम - काज में अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने की व्यवस्था भी की गई थी । इसके अतिरिक्त संविधान में यह भी प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए आदेश निकालकर अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी का प्रयोग करने की अनुमति दे सकते हैं । संविधान के अनुच्छेद 343 (3) के अनुसार संसद को यह शक्ति प्रदान की गई थी कि वह अधिनियम पारित करके 26 जनवरी, 1965 के बाद भी विनिर्दिष्ट शासकीय कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकती है । इस प्राधिकार का प्रयोग करते हुए राजभाषा अधिनियम, 1963 पारित किया गया, जिसमें संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग को पन्द्रह वर्ष की अवधि बीतने के बाद भी जारी रखने की व्यवस्था की गई है ।

संविधान के अनुच्छेद 344 में संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात दस वर्ष की समाप्ति पर एक आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है जिसमें एक अध्यक्ष और अष्टम अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्य होंगे ।

अनुच्छेद 344 के अंतर्गत संसद सदस्यों की एक समिति के गठन की व्यवस्था की गई है । समिति में बीस सदस्य लोकसभा से और दस सदस्य राज्यसभा से

प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे । समिति को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह अनुच्छेद 344 (1) के अंतर्गत गठित आयोग की सिफारिशों का अध्ययन करें और राष्ट्रपति जी को उसके बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।

सन् 1955 में राजभाषा आयोग की स्थापना हुई और उसने अपना प्रतिवेदन 1956 में प्रस्तुत किया । आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 1957 में एक संसदीय समिति बनाई गई । संसदीय समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद 27 अप्रैल, 1960 को राष्ट्रपति जी का विस्तृत आदेश जारी हुआ ।

राजभाषा अधिनियम, 1963

राजभाषा आयोग और संसदीय समिति की अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की सिफारिश को कार्यरूप देने के लिए सन् 1963 में संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम पारित किया गया । इसे बाद में 1967 में संशोधित किया गया । संशोधित अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार है :-

1. अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार (क) संघ के उन सभी प्रशासनीक प्रयोजनों के लिए जिनके लिए 26 जनवरी, 1965 के पूर्व अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था और (ख) संसद में कार्य निष्पादन के लिए, 26 जनवरी, 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जा सकेगा ।
2. केंद्र सरकार और हिंदी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले किसी राज्य के बीच पत्राचार अंग्रेजी में होगा, जब तक कि उस राज्य ने उसके लिए हिंदी का प्रयोग करना स्वीकार न कर लिया हो । इसी प्रकार हिंदी भाषी राज्यों की सरकारें भी ऐसे राज्यों के सरकारों के साथ अंग्रेजी में पत्राचार करेंगे और यदि वे ऐसे राज्यों को कोई प हिंदी में भेजती है तो साथ में उसका अंग्रेजी अनुवाद भी भेजेंगे, हालाँकि पारस्परिक सहमति से यदि कोई दो राज्य आपसी पत्राचार में हिंदी का प्रयोग करे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी ।
3. केंद्र सरकार के कार्यालयों आदि के पत्र व्यवहार के लिए निर्धारित अनुपात में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा । लेकिन 'ग' क्षेत्र में जब तक संबंधित कार्यालयों आदि के

कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त न कर लें, तबतक पत्रादि का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराया जाता रहेगा ।

4. अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग अनिवार्य है :-

(1) संकल्प (2) सामान्य आदेश (3) नियम (4) अधिसूचनाएं (5) प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट (6) प्रेस विज्ञप्तियाँ (7) संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाली शासनिक तथा अन्य रिपोर्टें (8) सरकारी कागजात(9) संविदाएं (10) करार (11) अनुज्ञप्तियाँ (12) अनुज्ञा-पत्र (13) टेंडर नोटिस (14) टेंडर फार्म ।

5. धारा 3(4) के अनुसार, अधिनियम के अधीन नियम बनाते समय यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक ही भाषा में प्रवीण होने पर भी अपना सरकारी काम-काज प्रभावी ढंग से कर सके और केवल इस आधार पर की वह दोनों भाषाओं में प्रवीण नहीं है, उसका कोई अहित न हो ।

6. अधिनियम की धारा 3(5) में यह उपबंध किया गया है कि उपर्युक्त विभिन्न कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने संबंधी व्यवस्था तबतक जारी रहेगी जब तक हिंदी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले सभी राज्यों के विधान मंडल अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त करने के लिए आवश्यक संकल्प पारित न कर लें और इन संकल्पों पर विचार करने के बाद संसद का प्रत्येक सदन भी इसी आशय का संकल्प पारित न कर दें ।

7. अधिनियम की धारा 4 में 26 जनवरी, 1975 के बाद एक संसदीय राजभाषा समिति के गठन का उपबंध है । इस समिति में 20 लोक सभा सदस्य और 10 राज्य सभा सदस्य होंगे । समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करें और अपनी सिफारिशों सहित अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करें । समिति का वर्ष 1976 में गठन कर दिया गया था और यह इस समय कार्य कर रही है ।

अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा किए गए अथवा पारित किए गए किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के लिए अंग्रेजी भाषा के अलावा, हिंदी अथवा उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है । अब तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के राज्यपाल ने राष्ट्रपति जी की सहमति ले ली है और अपने - अपने उच्च न्यायालयों में हिंदी में प्रयोग की अनुमति दे दी है ।

राजभाषा संकल्प, 1968

दिसंबर, 1967 में संसद के दोनों सदनों ने सरकारी की भाषा नीति के संबंधमें एक संकल्प भी पारित किया जिसे 18 जनवरी, 1968 को अधिसूचित किया गया । संकल्प के पैरा 1 के अनुसार केंद्र सरकार हिंदी के प्रसार तथा विकास और संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए उसके प्रयोग में तेजी लोने के लिए एक अधिक गहन और विस्तृत कार्यक्रम तैयार करके उसे कार्यान्वित करेगी । केंद्र सरकार इस संबंध में किए गए उपायों तथा उनमें हुई प्रगति का ब्यौरा देते हुए एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत करेगी । इस संबंध में निरंतर कार्रवाई की जाती रही है ।

राजभाषा संकल्प, 1976

राजभाषा संकल्प, 1963 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1976 में राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 बनाए गए । यह नियम तमिलनाडू राज्य को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में मान्य है । सरकारी कामकाज में हिंदी में प्रगामी प्रयोग की दिशा में नियमों का जारी किया जाना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है । नियमों के कुछ महत्वपूर्ण उपबंध इस प्रकार है :-

(क) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से 'क' क्षेत्र में स्थित किसी राज्य (जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांच, छत्तीसगढ़, झारखंड राज्य और संघा शासित क्षेत्र दिल्ली तथा अंडमान निकोबार

द्वीप समूह) को या ऐसे राज्यों में स्थित किसी अन्य कार्यालय (केंद्रीय सरकार के कार्यालय के अलावा) या कोई व्यक्ति जो वहाँ रह रहा हो, को भेजे जानेवाले पत्र आदि हिंदी में भेजे जाएंगे ।

(ख) केंद्र सरकार के कार्यालयों से 'ख' क्षेत्र में स्थित किसी राज्य (जैसे पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़) को भेजे जाने वाले पत्र आदि सामान्यत: हिंदी में भेजे जाएँगे ।

(ग) केंद्र सरकार के कार्यालयों से 'ग' क्षेत्र में स्थित किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ('क' और 'ख' में शामिल न होने वाले सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र) के किसी कार्यालय को या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाएँगे । यदि ऐसा कोई पत्र हिंदी में भेजा जाता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा ।

(घ) केंद्र सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्र - व्यवहार हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है । किंतु केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग और 'क' क्षेत्र में स्थित संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय के बीच होने वाले पत्र - व्यवहार सरकार द्वारा समय - समय पर निर्धारित अनुपात में हिंदी में होगा ।

(ङ) हिंदी में प्राप्त पत्रों आदि का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिया जाएगा। हिंदी में लिखे या हिंदी में हस्ताक्षर किए गए आावेदनों, अपीलों अभ्यावेदनों का उत्तर भी हिंदी में दिया जाएगा ।

(च) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी ।

(छ) केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी फाइलों में हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग टिप्पण लिखने में कर सकता है और उससे यह उपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में भी प्रस्तुत करें ।

(ज) केंद्र सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मेनुअल, संहिताएँ और अन्य प्रक्रिया साहित्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों में द्विभाषिक रूप में तैयार और प्रकाशित किए

जाएँगे । सभी फार्मों और रजिस्टरों के शीर्ष, नामपट्ट, मुहरें, नोटिस बोर्ड, स्टेशनरी आदि की अन्य मदें भी हिंदी और अंग्रेजी में होगी ।

(झ) जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है, उन्हें नियम 10(4) के अधीन राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा । इस प्रकार अधिसूचित कार्यालयों के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों से नियम 8(4) के अधीन आदेश जारी करके टिप्पण/मसौदा लेखन ओर आदेश में विनिर्दिष्ट अन्य प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग करने के लिए कहा जा सकता है । इस विषय में आदेश भी जारीकर दिए गए हैं ।

(ञ) प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें और अपने कार्यालय में उपयुक्त और प्रभावकारी जाँच - बिंदु बनवाएं ।

संघ की राजभाषा नीति उपर्युक्त सांविधानिक और सांविधिक प्रावधानों पर आधारित है । समय - समय पर आदेश/अनुदेश जारी करके राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाता है ।

****

भारतीय भाषाओं और हिंदी के अंतर्सम्बन्ध

श्री असीम कुमार,
हिंदी अनुवादक
भा. खा. ब्यूरो, नागपुर

वर्तमान में भारत में चार भाषा परिवारों, भारोपीय, द्रविड़, मुंडा या ऑस्ट्रिक, तथा तिब्बती-चीनी परिवार की 1652 भाषाएँ बोली जाती हैं । उनमें से 1455 भाषाएँ ऐसी हैं जिनके बोलने वालों की संख्या न के बराबर है । शेष 197 भाषाओं में से देश की बाईस भाषाओं को देश की प्रधान भाषा मानकर संविधान की आठवीं अनुसूची में रखा गया है । इन बाईस प्रधान भाषाओं में हिंदी केंद्रीय महत्व की भाषा है जिसके बोलने वालों की संख्या देश की जनसंख्या का 42.88 प्रतिशत है । हिंदी केंद्र सरकर की राजभाषा है तथा व्यापार, जनसंचार और राजनीति की दृष्टि से यह देश की संपर्क भाषा है ।

जब हम भारतीय भाषाओं तथा हिंदी के अंतर्सम्बन्धों पर गौर करते हैं तो उनमें हमें अद्भुत समानताएं देखने को मिलती हैं । यह नितांत संयोग न होकर उन भाषाओं के सांस्कृतिक, सामाजिक संबंधों की द्योतक हैं और बाहरी विभिन्नता तथा आंतरिक एकता को पुष्ट करती है । हिंदी अपने से अलग परिवार की भाषा तमिल के अधिक निकट है जबकि अपने ही परिवार की अंग्रेजी, जर्मन आदि से दूर । इसी प्रकार हिंदी और तमिल की समानता मुण्डा पिरवार की भाषाओं में देखी जाती है ।

भारतीय भाषाओं और हिंदी में समानता ध्वनि, शब्द, वाक्य तथा लिपि सभी स्तर पर दिखाई पड़ती है । आर्यभाषा परिवार की आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा द्रविड़ परिवार की भाषाओं का वर्णमाला क्रम एक ही है- अ से अ: तक के स्वर तथा क से ह

तक के व्यंजन । यद्यपि तमिल वर्णमाला देवनागरी से भिन्न है, फिर भी वर्णमाला में व्यंजनों का क्रम हिंदी के समान हैं । हिंदी स्वर वर्णमाला के समान ही ह्रस्व तथा दीर्घ के क्रम की व्यवस्था अन्य सभी भारतीय भाषाओं में दिखती हैं । 'ट' का उच्चारण हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में देखने को मिलता है । इसी तरह 'ष' और 'ण' भी भारतीय भाषाओं की विशेषता है । हिंदी की महाप्राण ध्वनियों को भी द्रविड़ परिवार की भाषाओं ने अपना लिया है ।

शब्द स्तर पर हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में समानता दिखती है । हिंदी का शब्द समूह प्रधानत: भारतीय आर्य - भाषा का शब्द समूह है, परंतु व्यापक क्षेत्र की भाषा होने के कारण हिंदी ने विभिन्न भारतीय भाषाओं से भी शब्द लिए हैं । हिंदी की सीमावर्ती भारतीय भाषाएं पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, उड़िया,बांग्ला, नेपाली आदि हैं । हिंदी ने 'उपन्यास', 'गल्प', 'धन्यवाद' 'बांग्ला' से; 'वाड़मय, 'लागू', 'चालू', 'प्रगति' 'मराठी' से; 'हड़ताल' गुजराती से तथा 'छोले', 'भटूरे' शब्द पंजाबी से लिए हैं ।

भारतीय भाषाओं में नित बढ़ता पारिभाषिक शब्दावली का भंडार भी भारतीय भाषाओं को और निकट लाता जा रहा है । सभी भारतीय भाषाएं विज्ञान, शिक्षा, विधि, प्रशासन, प्रबंधन आदि के क्षेत्र में भाषा की समृद्धि के लिए पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता अनुभव करती है । हम पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए सामान्यत: संस्कृत का सहारा लेते हैं क्योंकि संस्कृत के पास समृद्ध और विशाल शब्द भंडार हैं । संस्कृत की सहायता से बनाए गए अनेक शब्द भारतीय भाषाओं में हैं, जैसे - दूरभाष, दूरदर्शन, दूरलेख, दूर मुद्रक, दुरेक्ष, परिप्रेक्ष्य, संस्कृति, संचार-व्यवस्था, संप्रेषण, मानव संसाधन इत्यादि ।

वाक्य संरचना भाषा विश्लेषण का जटिल पक्ष है । हिंदी का पद क्रम अपने परिवार की यूरोपीय भाषाओं से भिन्न, किंतु भारतीय भाषाओं के समान हैं । हिंदी वाक्य - रचना का पद क्रम भारतीय आर्य भाषाओं, द्रविड़ भाषाओं और मुण्डा परिवार की भाषाओं में भी मिलता है । पदक्रम के साथ ही पदक्रम से जुड़ी एक दूसरी विशेषता

पदबंध के भीतर शब्दों के क्रम में भी है । हिंदी में हम संज्ञा शब्दों के बाद कारक चिह्नों का प्रयोग करते हैं जिन्हें परसर्ग भी कहा जाता है । जैसे - जेब में, बाजार को, घर के लिए इत्यादि । भारतीय आर्य भाषाओं, द्रविड़ भाषाओं तथा तिब्बती बर्मी वर्ग की भारतीय भाषाओं (मणिपुरी आदि) में भी परसर्ग का प्रयोग होता है ।

हिंदी में मुख्य क्रिया वाचक शब्द पहले आता है और सहायक क्रिया बाद में । सभी भारतीय आर्य भाषाओं और द्रविड़ भाषाओं में क्रिया रचना का यह रूप समान है । रंजक क्रिया की दृष्टि से भी सभी भारतीय भाषाओं में एकरूपता है । जेसे 'करना' क्रिया से कर लेना, कर देना, कर डालना, कर गुजरना, कर रखना आदि रंजक क्रियाएं बनी हैं । यह विशेषता आधुनिक भारतीय भाषाओं में दिखती हैं । यद्यपि संस्कृत में रंजक क्रियाएं नहीं हैं । प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना भी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में समान है ।

फारसी लिपि पर आधारित कश्मीरी, सिंधी तथा उर्दू को छोड़कर अन्य सभी नौ लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली हैं, इसलिए इनमें वर्णों की समानता दिखती हैं । लेखन प्रवृत्ति भी एक जैसी है । हिंदी मराठी तथा संस्कृत की लिपि देवनागरी है । तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला भाषाओं की अलग - अलग लिपियां हैं । विकास क्रम में इनके वर्णों में परिवर्तन तो हुआ फिर भी स्पष्ट साम्य झलकता है ।

भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में भाषिक स्तर पर समानता हिंदी और भारतीय भाषाओं के अंतर्सम्बंधों की व्याख्या करती है । भारतीय भाषाओं की इस मूलभूत एकता का कारण देश की सांस्कृतिक एकता है । धर्म, दर्शन, साहित्य, कला तथा संस्कार की एकता भाषायी एकता को सुदृढ़ करती है । हिंदी और भारतीय भाषाओं में पारस्परिक समानताएं हैं जो भाषिक बोधगम्यता बढ़ाती हैं ओर सभी को एक दूसरे से जोड़े हुए हैं जिससे हम भारत को एक वृहत्त भाषायी क्षेत्र के रूप में देखते हैं । अब आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय भाषाओं और हिंदी के अंतर्सम्बंधों कों किस प्रकार और अधिक प्रगाढ़ और प्रबल बनाया जाए ।

प्रतिकूलता में अनुकूलता

डॉ. पी. के. जैन

मुख्य खनिज अर्थशास्त्री

एवं राजभाषा अधिकारी

सोना आग में तपकर ही दमकता है । मेहंदी को जितना पीसा जाता है उतनी ही वो रंग लाती है । यह विपरीत परिस्थिति सुनहरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है । यहाँ एक किसान की कहानी का उल्लेख करना प्रासांगिक होगा । एक किसान भगवान से प्रार्थना करता है कि उसके खेत में उगती फसल को विपरीत परिस्थितियों से बचाते हुए लहलहाने दिया जाए । ऐसा ही हुआ देखने में फसल हरी - भरी थी परंतु बाली में दाना नहीं था क्योंकि बाली में दाना उपजाने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण नहीं हो सका । अर्थात् प्रतिकुल परिस्थिति में कठिन परिश्रम, साहस, धैर्य और लक्ष्य प्राप्ति हेतु संघर्ष अनुकुलता के लिए आवश्यक है ।

रोशनी अंधेरे में ही जगमगाती है
हम बेवजह अंधेरे से शिकवा करते हैं ।

****

मैं उन लोगों में से हूँ, जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है ।

- लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

भारत का पर्यावरण संकट : एक दु:स्वप्न

श्री विनय कुमार सक्सेना
व. पु. एवं सूचना सहायक
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

देखा स्वप्न एक भयानक दूर-दूर तक वृक्ष न होगा,
आने वाले समय का भारत शायद कुछ ऐसा ही होगा।
ओढ़ेगी न वसुंधरा हरियाली की चूनर धानी,
बरखा की शीतल बूंदों को तरसेगा धरती का प्राणी।
दूर तलक बंजर भूमि का शुष्कतापूर्ण नजारा होगा,
आने वाले समय का भारत शायद कुछ ऐसा ही होगा।
पल्लव पर फिर बसंत न होंगे कोंपल की होगी न पलकें,
सूखे ठूंठ ही दिखते होंगे पुष्प सा कोई प्यारा न होगा।
आने वाले समय का भारत शायद कुछ ऐसा ही होगा,
जल, थल, नभ सब ओर पर्यावरण पर प्रदूषण छाएगा।
न धरती न अंबर पर जीव गुजारा कर पाएगा,
वृक्ष बिना निर्मल माटी को फिर कोई आधार न होगा।
आने वाले समय का भारत शायद ऐसा ही होगा।
पुष्प बिना भूषण न होंगे देवों पर क्या करोगे अर्पण।
धरती होगी सूनी-सूनी शवों का कैसे करोगे तर्पण।

प्रकृति के अभिशाप से कैसा भाग्य सितारा होगा,
आने वाले समय का भारत शायद कुछ ऐसा ही होगा।
हरियाली के दर्शन होंगे केवल फिर तस्वीरों में
अल्पायु और रोगी जीवन लिखा होगा तकदीरों में,
उस घड़ी सोचो ऐ मानव क्या फिर हाल तुम्हारा होगा,
आने वाले समय का भारत शायद कुछ ऐसा ही होगा
बिना वट पीपल कैसे हो पूजा, कैसे होगी सौभाग्य-वर्षा,
प्रकृति को उजाड़ सृष्टि का जीव न कोई पक्षी हर्षा।
जीव-जगत परिवार बिना कैसा एकाकी जीवन होगा,
आने वाले समय का भारत शायद कुछ ऐसा ही होगा।
धूल भरा नभ सूना होगा, पंछी न परवाज़ भरेंगे,
कंक्रीट के तेरे जंगल, तेरे लिए जंजाल बनेंगे।
आने वाली पीढ़ी के लिए यह अमिट अभिशाप ही होगा,
आने वाले समय का भारत शायद कुछ ऐसा ही होगा।
आने वाले समय का भारत शायद कुछ ऐसा ही होगा।

****

राष्ट्र की पहचान है जो,
भाषाओं में महान है जो,
जो सरल सहज समझी जाए
उस हिन्दी को सम्मान दो।

भारत की लोकप्रिय धातुः सोना

डॉ. शै. कु. शमी,
उप खनिज अर्थशास्त्री
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

संसार की रचना कुदरत की देन है पर आधुनिक विश्व नई-नई खोजों और अविष्कारों के संयोगों से बना है। मनुष्यों द्वारा किया जा रहा यह रचनात्मक कार्य पाषाण काल से चला आ रहा है। हर वस्तु, पदार्थ, जंगल, जमीन इत्यादि में अपनी रूचि रखकर उसको सीखने, समझने, जानने, परखने, हासिल करने की इच्छाशक्ति और उसका ज्ञान हासिल करके उसका उपयोग अपनी प्रगति के लिये करना ही मनुष्य के आदि मानव से समृद्ध मानव के सफर को दर्शाता है। इसके साथ-साथ मानव अपनी समृद्धता / वैभव दिखाने के लिये भी लालायित रहा है। यह सहज मनोवृति का परिचायक है। इसे पाने के दो मार्ग हैं । ज्ञान अथवा आध्यात्म या माया (दौलत)।

भारत पुरातन काल से ही दोनो मार्ग पर साथ-साथ आगे बढ़ता आया है। भारतीय अध्यात्म सत्य का बोध कराता है। सत्य स्थिर और सूक्ष्म है जिसका न तो कोई रंग, रूप, चाल, चेहरा, नाम, पहचान है ना ही यह किसी स्थान का मोहताज है। इसे जिसने पाया वह ज्ञान का सागर कहलाया। इसका कोई सानी नहीं है, माया भी नहीं। सच्चा धनी तो वही है जो तत्वज्ञान को धारण करता है। वह तत्वज्ञान जिसका खजाना हमारे ग्रंथों में है इससे प्राप्त आध्यात्मिक सुख मानव को चिंतक ज्ञानी बनाता है और वह सांसारिक सुख दौलत, माया आदि से परे हो जाता है। इससे ज्ञान तो हासिल होता है पर वैभव

नही। दूसरे शब्दों में मनुष्य ज्ञानी और प्रसिद्ध तो होता है पर दौलतमंद नहीं। माया इसके विपरीत अनेक रंगो रूपो चेहरे, नाम, पहचान वाली है। इसके दम पर आदिकाल से मानव नाम, गौरव, शोहरत, वैभव इत्यादि हासिल करता आया है। सच है, माया ने साधारण मानव को दौलतमंद या सर्वसंपन्न राजा को गरीब व भिखारी भी बनाया। माया अपना खेल खेलती है वह कभी व्यापक रूप लेती है और कभी सिकुड़ जाती है। कभी यहां तो कभी वहां प्रकट होती है। माया के अनेक रूपो में से सोना / स्वर्ण एक है जो भारत में सबसे अधिक हजारो साल से चल रहा है और शायद भविष्य में भी रहेगा।

सोना ऐसी चमकदार धातु है जिसने मनुष्य को पुरातन काल से आकर्षित व प्रभावित किया है। भारत कि सबसे प्राचीन सभ्यता ईसा से 2500 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता है जिसमें सोना / स्वर्ण का उपयोग आभूषणों के लिये किया गया था। मोहनजोदड़ों और हड़प्पा में इसके भग्नावशेष मिले हैं और ऐसा माना जाता है कि उस समय दक्षिण भारत से यह धातु प्राप्त होती थी। स्वर्ण तथा उसके भस्म का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता रहा है। ऐसा वर्णन चरक सहिंता में (ईसा से 300 वर्ष पूर्व) आया है। स्वर्ण की खान की पहचान करना उससे उत्पादन तथा धातुकर्म एवं शोधन आदि का वर्णन कौटिल्य के अर्थषास्त्र (जो भारत का प्राचीनतम अर्थशास्त्र है) में भी किया गया है। इन सब वर्णनों से यह ज्ञात होता है कि भारतीयो में आदिकाल से स्वर्ण के प्रति आकर्षण था । इसके साथ-साथ यह भी ज्ञात होता है कि स्वर्ण खनन की पहचान, उत्पादन, धातुकर्म, धातु की प्राप्ति इत्यादि विधि में भारत पारंगत था।

शुद्ध सोना बहुत ही आकर्षक पीले रंग का होता है। यह धातु बहुत कीमती है और प्राचीन काल से सिक्के बनाने, आभूषण बनाने एवं धन के रूप में संग्रहित की जाती रही है। सोना घना, मुलायम, चमकदार, सर्वाधिक लचीला, नमनीय, कोमल, गठनीय, एवं तार खींचने योग्य धातु है। स्वर्ण की शुद्धता डिग्री अथवा कैरट में मापी जाती है। विशुद्ध स्वर्ण 1000 डिग्री अथवा 24 कैरट होता है। शुद्ध (24 कैरट) सोने की कोमलता के कारण, यह आमतौर पर अनेक धातुओं से मिश्रित हो मिश्रधातु बनाकर उपयोग में लाया जाता है। मुद्रा में प्रयुक्त स्वर्ण में लगभग 90 प्रतिशत स्वर्ण रहता है। आभूषण के लिए प्रयुक्त

स्वर्ण में भी न्यून मात्रा में अन्य धातुएँ मिलाई जाती हैं इसमें तांबा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है जिससे उसके भौतिक गुण सुधर जाएँ ।

अठारह-कैरट में करीबन 25 प्रतिशत तांबा युक्त सोना प्राचीनकाल के गहने में पाया जाता है और इसके कारण इसमे गुलाबी रंग आ जाता है। नीला सोना, लोहे के साथ और बैंगनी रंग सोने एल्यूमीनियम के साथ मिला कर बनाया जा सकता है, हालांकि शायद ही कभी विशेष गहने को छोड़कर अन्य में इनका उपयोग किया जाता हो । नीला सोना अधिक भंगुर है और इसलिए गहने बनाते समय अधिक सावधानी के साथ काम किया जाता है। चैदह और अठारह- कैरट सोना, चांदी के साथ मिश्र कर बनाया जाता है जो कि हल्का हरा-पीला दिखाई देते हैं और हरा-सोना के रूप में जाना जाता है। सफेद सोना, पैलेडियम या निकल के साथ मिश्र कर बनाया जा सकता है। सफेद अठारह- कैरट सोने मे, करीबन 17.3 प्रतिशत निकल, जस्ता 5.5 प्रतिशत और 2.2 प्रतिशत तांबा होता है, और दिखने में चांदी सा होता है। यद्द्पि निकेल विषैला होता है, इसीलिये, निकेल मिश्रित सफेद सोना, कानून द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

भारत मे प्राचीन काल से सोने के आभूषण बनाना, सिक्के बनाकर इसके द्वारा व्यापार में और प्रशासन के कार्यो तथा स्वर्ण का उपयोग यौगिक फोटोग्राफी कला, कुछ रासायनिक क्रियाओं, दंतकला तथा सजावटी अक्षर बनाने, सोना चढ़ाना एवं अन्य उपयोगो में भी लाया जाना स्वर्ण कला के उच्च स्तर को दर्शाता है। सोना चढ़ाना (गल्डिंग) ऐसी प्रक्रिया है जिसमे किसी पदार्थ की सतह पर उसकी सुरक्षा अथवा अलंकरण हेतु यांत्रिक तथा रासायनिक साधनों से सोना चढ़ाया जाता है। यह कला बहुत ही प्राचीन है। भारतवासी आदिकाल से ही लकड़ी और हर प्रकार के धातुओं पर सोना चढ़ाने की कला में प्रवीण तथा अभ्यस्त थे। प्राचीन काल में अधिक मोटाई की सोने की पत्तियाँ प्रयोग में लाई जाती थी सजावट में इस कला (सोना चढ़ाना) का प्रमुख स्थान था। मंदिरों के गुंबजों तथा राजमहलों की शोभा बढ़ाने के लिए यह कला विशेषतः अपनाई जाती थी। भारत में आज भी मंदिरो की दीवारो, मुर्तियों इत्यादि पर सोना चढ़ाया जाता है जो कि प्राचीन कला का एक सुंदर उदाहरण है। आधुनिक गिल्डिंग में तरह तरह की

विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं और इनसे हर प्रकार के सतहों पर सोना चढ़ाया जा सकता है, जैसे तस्वीरों के फ्रेम, अलमारियों, सजावटी चित्रण, घर और महलों की सजावट, किताबों की जिल्दबाजी, धातुओं के अवरण, बटन बनाना, प्रिंटिग तथा विद्युत आवरण, मिट्टी के बर्तनों, पोर्सिलेन, काँच तथा काँच की चूड़ियों की सजावट, टेक्सटाइल और चमड़े पर भी सोना चढ़ाया जाता है।

ऐसा भी माना जाता रहा है कि जबसे मनुष्य को सोने में आकर्षण एवं व्यापार और प्रशासन के लिये सोने की आवश्यकता होने लगी या सोने को समृद्धि का पैमाना माना जाने लगा तबसे भारत देश में (पहले) जो हमले हुआ करते थे वे सब राजाओं की दौलत या मंदिरो में चढ़ाया हुआ सोने को लूटने के लिये होते रहे। उस समय भगवान के बाद समाज में राजा का स्थान था। राजा मंदिरों में सोना रखते थे ताकि वहां असामाजिक तत्व दृष्टिपात नहीं कर सके। भारतीय संस्कृति में भगवान ही शक्तिशाली है जो राजा हो या रंक सभी को शक्ति और सम्पन्नता से विभूषित करता है। भारत में भगवान और राजा दोनों ही सम्पन्नता के शिखर पर स्वर्ण, रजत मंडित सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके इर्द - गिर्द स्वर्ण का भंडार बिखरा पडा है। इनमें सर्वप्रथम नाम केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर का है उसमे अभी तक एक लाख करोड़ के खजाने का पता चला है। यह खजाना त्रावणकोर के राजाओं का है। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में मिला यह खजाना तो मात्र एक कमरे का है और अभी ऐसे छः कमरे अन्य भी हैं। उसके बाद नाम वेंकटेश्वर महाराज तिरूपति मंदिर का आता है, यहाँ एक हजार किलोग्राम स्वर्ण की संपत्ति है। अमीर मंदिरों की तालिका में शिर्डी साईंधाम, वैष्णोदेवी के मंदिर, मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर, गुजरात के अक्षरधाम, कोलकत्ता के काली मंदिर, पुरी के जगन्नाथ मंदिर, जम्मू के रघुनाथजी मंदिर, वाराणसी के विश्वनाथ महाराज मंदिर, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, गोहाटी के कामाख्या देवी मंदिर और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर भी आते है। यकीनन उस समय भारत में सोने का खजाना जो मंदिरों और राजाओं के तहखाने से लेकर उनके शिखर/गुंबजों तक देखा जाता रहा होगा की चर्चा विश्व में सभी जगह रही होगी, तभी तो सोमनाथ मंदिर के बारे में विख्यात है कि उस पर बार-बार हमले इसीलिये होते थे क्योंकि वहाँ पर सोना बहुत मात्रा में (चढ़ाया

जाता) था और उसे महमूद गजनवी ने लूटा था। सोने के लिए अनेक युद्ध राजाओ और समाज के दौलतमंद परिवारो के बीच में भी हुए हैं।

राजा हो या प्रजा सोना, हीरा, जवाहरात तथा अन्य कीमती धातु इस देश के लिये हमेशा कौतुक का विषय रही। चूंकि लोगों के लिये आकर्षण का विषय था, इसलिये इसकी मांग और मोल अधिक ही रहा। भारत में सोने का खनिज भंड़ार अधिक मात्रा में न तो उपलब्ध था न है और न ही उसका उत्पादन जो भारत में सोने की मांग को पूरा कर सके। भारत में पाई जाने वाली सबसे पुरानी खान है कोलार गोल्ड माईन्स, यह संसार में पाई जाने वाली सबसे गहरी सोने की खान है। इसमें से लगभग एक हजार टन सोने का उत्पादन हो चुका है आज की परिस्थिति में इस खान से उत्पादन बंद करना पड़ा क्योंकि इसके लगभग साढ़े तीन किलोमीटर गहरी होने के कारण उत्पादन खर्च बहुत बढ़ गया था। विदेशो में सोना अधिक मात्रा में पाया जाता था और भारत में इसे बाहर से वस्तु या मुद्रा के बदले में ही मंगवाया जाता रहा है। भारत सोने की सबसे अधिक खपत करने वाला देश था । इसकी वजह यह है कि पहले का भारत विश्व का सर्वसंपन्न कृषि प्रधान देश ही नहीं बल्कि एक 'सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक और व्यापारिक देश' भी था। भारत की भूमि इतनी उपजाऊ थी जितनी दुनिया के किसी देश में नहीं। भारत के कारीगरों का बनाया हुआ रेशम का कपड़ा तथा जीवन उपयोगी वस्तुऐंगेंहूं, चावल, दाल, सभी शिल्प उत्पादन, सोना, चाँदी, लोहा, इस्पात, तांबा, अन्य धातुएं, जवाहरात, लकड़ी के सामान, मूल्यवान, दुर्लभ पदार्थ, अन्य कई वस्तुएं इतनी ज्यादा विविधता के साथ भारत में बनती और पूरे विश्व के बाजार में बिक रही थी और जब इन वस्तुओं को भारत के व्यापारी बेचते तो बदले में वो सोना और चाँदी की मांग करते होगें क्योकि उस समय व्यापार वस्तु के बदले में वस्तु या वस्तु का मुल्य सोना और चाँदी द्वारा निर्धारित होता था। दुनिया के देशों का सोना-चाँदी भारत में आता तो था लेकिन भारत के बाहर कभी जाता नहीं था। इसका कारण यह था कि भारतवासी सारी वस्तुओं का उत्पादन करते थे तथा एक भी वस्तु विदेशों से नहीं खरीदते थे। पहले का भारत निर्यात प्रधान देश था।

आज के इस दौर में भी भारत विश्व में सबसे अधिक सोना खपत करने वाला देश है। ऐसा कहा जाता है कि भारत अगर पेट्रोलियम के बाद सबसे अधिक आयात किसी धातु का करता है तो वह सोना है। भारत हर साल करीब 900 टन के आस-पास सोने का आयात करता है। इसी वजह से भारत सरकार को हर बार नये-नये नियम बनाना पढ़ता है। जिससे आयात पर नियंत्रण रखा जा सके। इसी श्रंखला में यह भी नियम बनाया गया है कि भारत के व्यापारी जितना भी सोना आयात करेंगे उसका 20 प्रतिशत निर्यात भी करना पड़ेगा। भारत सरकार ने सोने के गहनों को कार्यशील पूंजी में बदलने की योजना पर चिन्तन कर इस कार्य योजना को गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का नाम दिया है, जिसके अंतर्गत गोल्ड ज्वेलरी, स्वर्ण मुद्राए (असर्फियॉ) बैंक में जमा की जा सकेंगी। बैंक इसके ऐवज में ब्याज देगा ताकि कीमती, पर विकास में अनुपयोगी दौलत को कार्यशील राष्ट्रीय पूंजी में बदला जा सके।

दुनिया भर मे नये उत्पादित सोने की खपत गहने में लगभग 50 प्रतिशत, निवेश में 40 प्रतिशत, और अन्य उद्योग में 10 प्रतिशत है। ऐसा नही है कि भारतीय सोने को आभूषणों के रूप में ही पसंद करते हो इसे संचय बिस्कीट, सिक्के आदि के रूप में भी करते है। भारतियो का ऐसा मानना है कि बहुत सा पैसा सोने के रूप में छोटी सी जगह में रखा जा सकता है। जिस वजह से उसकी हिफाजत आसानी से की जा सकती है तथा जरूरत पर उसे बेचकर आर्थिक पूर्ति भी की जा सकती है। भारत में करीबन 20,000-22,000 टन सोना लोगो के पास मौजूद है। हो सकता है कि इससे ज्यादा भी हो क्योंकि इसके आकड़े सही-सही पता नही है। यह एक जगह पर जमा न होकर लोगो के पास है। इसके साथ-साथ हमारे देश का सोना मंदिरो में भी है जिसका आकलन नही हुआ है। पर माना जाता है कि करीब 4,000 टन सोना भारत के सभी मंदिरों में आज भी रखा हुआ है। भारतवासी माया के रूप में सोने को असली मुद्रा मानता है और जैसे जैसे आदमी की दौलत बढ़ती है, वह नोट और सिक्के की बजाय सोने की ईंटें रखने लगता है। सोना सबको प्रिय है, इससे ईश्वरीय सुख प्राप्त होता है।

****

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

श्री अभिषेक कुमार,

एम.टी.एस

भारतीय खान ब्यूरो, कोलकाता

भारत का संविधान महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान अधिकार प्रदान करता है। महिलाओं को कार्य करने के लिये किसी भी क्षेत्र या व्यवसाय को चुनने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन व्यवहार में महिलाओं के साथ घर और घर के बाहर दोनों जगह भेदभाव होता है।

भेदभाव अधिकतर महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और हिंसा का रूप ले लेता है। इसके अलावा ये उत्पीड़न मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार का हो सकता है। बार-बार शारीरिक उत्पीड़न यौन उत्पीड़न या यौन हिंसा का रुप ले लेता है। सामान्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न और कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न बहुत ही कड़वी हकीकत है जिसका कार्यशील लड़कियों और महिलाओं द्वारा दिन प्रतिदिन सामना किया जाता है।

वर्ष 1991 के बाद आई भारतीय अर्थव्यस्था के उदारीकरण ने पढ़ी-लिखी महिलाओं के लिये और इसके समान ही महिलाओं को घर से निकलकर अपनी पसंद की बहुत सी नौकरी के अवसर प्रदान किये हैं। वर्तमान में, महिलाएं पहले से कहीं अधिक कैरियर की ओर अग्रसर हो रही हैं। समाज में यह परिवर्तन इस अर्थ मे सकारात्मक बदलाव लाया है कि कामकाजी महिलायें आर्थिक रुप से स्वतंत्र महसूस करती है और अपने विचारों को स्वतंत्र रुप से समाज में रख सकती हैं।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न है क्या:

हम आसान शब्दों में यह कह सकते हैं कि कार्यस्थल पर महिला सहयोगियों के खिलाफ पुरुष सहयोगियों की ओर से अवांछित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से यौन सम्पर्क, टिप्पणी या आचरण यौन उत्पीड़न के रुप में समझा जा सकता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शारीरिक के साथ ही मानसिक पहलु को भी शामिल करता है। यद्यपि ये परिभाषित करना कठिन है कि कार्यस्थल पर यौन हिंसा गठित करने वाले तरीके क्या हैं, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान बनाम विशाखा केस 1997 में इसे प्ररिभाषित किया हैः

इस तरह से कोई भी अस्वीकृत यौन निर्धारित व्यवहार प्रत्यक्ष या दबाव में, शारीरिक सम्पर्क या प्रस्ताव, यौन अनुग्रह के लिए मांग या प्रार्थना, अश्लील टिप्पणी, अश्लील साहित्य या यौन प्रकृति के अन्य अप्रिय शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक को शामिल किया जाता है।

दूसरी तरफ प्रतिकूल वातावरण के कारण उत्पीड़न ज्यादा जटिल, अस्पष्ट और व्यापक हेाता है इसके कुछ उदाहारण निम्नलिखित हैः-

- जानबूझ कर किया जाने वाला शारीरिक संपर्क, शरीर पर झुक जाना, एक तरह से घेरते जाना, चिकोटी काटना, टटोलना या सट कर निकल जाना
- अश्लील इशारा करना
- अश्लील तरीके से घूरना या फब्तियां कसना
- अश्लील तरीके से छेड़छाड़
- बाहर मिलने के लिए दबाव बनाना
- सेक्स स्वीकृति के लिए दबाव बनाना
- कामुक या गैरमित्रतापूर्ण टिप्पणी करना
- जेंडर को आधार बनाकर अपमानित करना या कमेंट करना
- टेलिफोन पर अश्लील इरादे प्रकट करना या ईमेल भेजना

- अश्लील चित्र दिखाना

इस प्रकार, उपर्युक्त परिभाषा ने स्पष्ट कर दिया कि पुरुष द्वारा एक महिला कर्मचारी के खिलाफ किसी भी प्रकार का अप्रिय यौन अश्लीलता वाला व्यवहार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की तरह ही समझा जायेगा।

पितृ सत्तात्मक संरचना:

महिलाओं के खिलाफ सभी तरह के उत्पीड़न या हिंसा के पीछे का सामान्य कारण यह है कि हमारा समाज पुरुष प्रधान रहा है जहां पुरुष हमेशा अपने आप को जीवन के हर पहलू में महिलाओं से अधिक शक्तिमान समझता है, ये श्रेष्ठता अपने आप में कार्यशील महिलाओं के खिलाफ विभिन्न प्रकार के जटिल भेदभावों को प्रकट करती है। पुरुष कर्मचारी ये कभी नहीं चाहते है कि उसके साथ कोई महिला कर्मचारी उससे उँचे स्तर पर कार्य करें इसलिए उसे असहज बनाने या नीचा दिखाने की लिये उसका उत्पीड़न करते हैं।

यौन विकृति:

हमारे समाज मे कुछ लोगों की यौन मानसिक प्रवृति भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रमुख कारणों में से एक है। आज जहां सार्वजनिक और निजी दोनो क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों को भर्ती किया जा रहा है। वहां कार्य करने वाले यौन विकृत में लिप्त लोगों की पहुंच को आसान बना दिया है।

कार्यस्थल पर ईर्ष्या:

कार्यस्थल पर ईर्ष्या भी महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपराधों का कारण है, एक पुरुष कर्मचारी अपने नियोक्ता द्वारा अपनी महिला सहयोगी को सफलता, प्रमोशन या प्रोत्साहन प्राप्त करते हुए नहीं देखना चाहता है और ईर्ष्या के कारण वह उसे विकृत यौन व्यवहार से उत्पीड़ित करता है। ये सब भी पुरुष के विकृत सोच को दिखलाता है कि महिलायें कभी भी पुरुषों से बेहतर नहीं हो सकती।

अवमानना और अपमान की भावना:

इन कारणों के अलावा पुरुषों के बीच में महिलाओं के लिये एक सामान्य अवमानना और अपमान की भावना भी एक प्रमुख कारण है जहां महिलाएं केवल पुरुषों द्वारा अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम होती है, जहां पुरुष अपने घर में महिलाओं का सम्मान करते हैं लेकिन समाज में अन्य महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जहां कार्यस्थल पर पुरुष अपने महिला सहयोगियों को केवल खेलने का माध्यम समझते है, उन पर अभद्र टिप्पणी, जोक्स, अश्लील हरकत, यौन प्रकृति की गपशप आदि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ किये जाने वाले कार्य है। यद्यपि यह भी कड़वी हकीकत है कि हमारे समाज में महिलाओं का सम्मान और पूजा करने का दावा करते है लेकिन वास्तविकता में महिलाओं के खिलाफ किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के अपराध दिखाते हैं कि हम अपने समाज में महिलाओं का कितना सम्मान करते है।

पुरुष श्रेष्ठता:

इस प्रकार कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के कई और विभिन्न कारण हैं लेकिन उन सब कारणों में से सबसे प्रमुख कारण आमतौर पर पुरुषों के श्रेष्ठ होने की भावना से ग्रसित होना है। समाज में पुरुष प्रधान व्यवस्था की सामाजिक स्थितियां अगली पीढियों में इस तरह की भावनाओं को प्रेषित करती है जो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों को जन्म देती है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान:

कानून की किताबों में 2013 तक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, एक विशेष अपराध की तरह नहीं था। यहां तक कि भारतीय दंड संहिता, 1860 कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ उतपीड़न के मामले को एक अलग अपराध के रुप में सुलझाने के लिये कोई अलग

धारा नहीं थी। केवल यौन उत्पी ड़न को परिभाषित किया गया था और आईपी.सी. की धारा 354 के अंतर्गत इसे केवल दंडनीय अपराध बनाया गया था।

विशाखा दिशा-निर्देश:

राजस्थान की राजधानी जयपुर के निकट भटेरी गांव की एक महिला भंवरी देवी के साथ वर्ष 1992 में उनके साथ बलात्कार किया गया था। उनके मामले में कानूनी फैसले के आने के बाद विशाखा और अन्य महिला गुटों ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया था कि कामकाजी महिलाओं के बुनियादी अधिकारों को सुनिश्चित कराने के लिए संविधान की धारा 14, 19 और 21 के तहत कानूनी प्रावधान किए जाएं।

महिला गुट विशाखा और अन्य संगठनों की ओर से दाया इस याचिका को विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार और भारत सरकार के मामले के तौर पर जाना जाता है। इस मामले में कामकाजी महिलाओं को यौन अपराध, उत्पीड़न और प्रताड़ना के बचाने के लिए कोर्ट ने विशाखा दिशा-निर्देशों को उपलब्ध कराया और अगस्त 1997 में इस फैसले में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की परिभाषाएं ही बदल दी।

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, आईपीसी के इस दोष और बचाव के रास्तों को पहचाना और एक ऐतिहासिक फैसला दिया जहां कुछ निश्चित दिशा निर्देश तय किये गये थे जिन्हें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के संगठनों को महिला कर्मचारियों को सुरक्षा देने ओर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिये अनुसरण करने का आदेश दिया। ये दिशा निर्देश महिला कर्मचारी को अपने नियोक्ता को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिये अनिवार्य किये गये, किसी प्रकार के केस पर उचित कार्यवाही को अनिवार्य बनाया गया, और इस बात का भी दिशा-निर्देश दिया गया कि हर संगठन के पास इस तरह के व्यवहार पर कार्यवाही करने के लिए एक शिकायत समिति हो जिसकी अध्यक्षता एक महिला करे।

केवल यही दिशा निर्देश, पिछले 19 वर्षों से कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न के निषेध में किय गये प्रावधान हैं, और केवल वर्ष 2013 में भारत की संसद ने

महिलाओं के साथ इस प्रकार के उत्पीड़न के लिये एक विशेष अधिनियम लागू किया जिसे कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण का नाम दिया गया।

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, और निवारण) अधिनियम:

निजी एवं सार्वजनिक कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए संसद में लाया गया संशोधित महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम और निषेध) विधेयक 2012 राज्यसभा में 25 फरवरी 2013 को पारित कर दिया गया। यह विधेयक लोकसभा में 3 अगस्त, 2012 को बिना किसी चर्चा के ही पारित हो गया था। इस विधेयक में कार्यलय में कार्यरत महिला कर्मचारियों के अतिरिक्त मजदूरों को भी यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले महिलाएं तथा कालेजों व विश्वविधालयों की छात्राओं व शोधकर्मियों को भी यौन उत्पीड़न से सुरक्षा का प्रावधान मूलतः 2010 में लाए गए मूल विधेयक में नहीं थे, किंतु संशोधित विधेयक में इन्हें भी विधेयक के दायरे मे लाया गया है। प्रस्तावित अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:

- इस कानून के तहत कार्यस्थल पर लैगिंक टिप्पणी या किसी भी तरह के शारीरिक लाभ उठाने अथवा गलत तरीके से छूने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
- प्रस्तावित अधिनियम में शिकायतों की 90 दिनों की समय सीमा के अंदर जांच का प्रावधान किया गया है।
- प्रावधानों का उल्लंघन करने पर नियोक्ता पर 50 हजार तक के जुर्माना का प्रावधान है।
- प्रस्तावित अधिनियम में घरों में काम करने वाली सहायिकाओं को भी शामिल किया गया है।
- इस कानून के अनुसार किसी भी 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों में आतंरिक शिकायत समिति बनाए जाने का प्रावधान किया गया है।

- आंतरिक शिकायत समिति संगठित और असंगठित दोनो ही क्षेत्रों में लागू करना अनिवार्य होगा।
- इस कानून के अधिनियम के अनुच्छेद - 14 के अनुसार यदि महिला की शिकायत दुर्भावनापूर्ण निकली या उसने भ्रामक दस्तावेज पेश किये तो उसे दण्डित किया जा सकता है।
- अधिनियम के अनुच्छेद- 16 में यह प्रावधान किया गया है कि अभियुक्त की पहचान सार्वजनिक न हो, भले ही वह यौन उत्पीड़न अपराध का ही दोषी हो।
- जिन कंपनियों में 10 से कम कर्मचारी कार्य करते हैं वहां उस जिले का अधिकारी स्थानीय शिकायत समिति का गठन कर सकता है।

इस प्रकार, यह अधिनियम कार्यशील महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के खतरे का मुकाबला करने के लिये युक्ति है। ये विशाखा फैसले में दिये गये दिशा निर्देशों को सुव्यवस्थित करता है इसके प्रावधानों का पालन करने के लिये नियोक्ताओं पर एक सांविधिक दायित्व अनिवार्य कर देता है।

हालाँकि इस अधिनियम में कुछ दोष भी है जैसे कि ये यौन उत्पीड़न को अपराध की श्रेणी में नहीं रखता बस केवल नागरिक दोष मानता है जो सबसे मुख्य कमी है, जबकि पीड़ित इस कृत्य को अपराध के रुप में दर्ज करने की इच्छा करती है। लेकिन यह अधिनियम इसे एक अपराध के रुप में तभी दर्ज कर सकता है जब अपराधी द्वारा पीड़ित पर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डालने की संभावनायें अधिक हों।

निष्कर्ष:

ये कहा जा सकता है कि यद्यपि हमारे पास कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए विशेष प्रावधान है इसेक अलावा भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले से दिये गये ऐतिहासिक दिशा निर्देश भी है लेकिन बुराई को तब तक नियंत्रित नहीं किया जा सकता जब तक कि पुरुषों की सोच को बदला नहीं जा सकता। जब तक कि पुरुषों के द्वारा महिलाओं कि बुनियादी मानवता को सम्मान नही दिया जायेगा तब तक कोई भी कानून प्रभावी

नहीं हो सकता। भारतीय संविधान द्वारा सभी को समानता का अधिकार केवल शब्दों में ही नहीं कहा जाना चाहिए बल्कि उसे व्यवहार में लाने की जरुरत है।

****

भारतीय आर्य भाषा परिवार

श्री असीम कुमार,

हिंदी अनुवादक

भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

विश्व में लगभग तीन हजार भाषाएं प्रचलित हैं तथा कुल ग्यारह भाषा परिवार हैं - द्रविड़, तिब्बती-चीनी, सेमेटिक-हेमेटिक, ऑस्ट्रीक, यूराल-अल्टाइक, बांटू, अमटीकी (टेड इंडियन), मलै-पॉलीनीशियन, मध्य अफ्रीकी की, जापानी कोरियाई तथा भारोपीय । इनमें से चार भाषा परिवारों, द्रविड़, ऑस्ट्रीक, भारोपीय और तिब्बती-चीनी की लगभग 1652 भाषाएं भारत में बोली जाती हैं । द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत तमिल, तेलगु, मलयालम और कन्नड़ आते हैं । ऑस्ट्रीक भाषा परिवार में मॉन-ख्मेर और मुण्डा शाखाओं की भाषाएं हैं । तिब्बती-चीनी भाषा परिवार में सियामी, चीनी उप परिवार और तिब्बती बर्की उप परिवार की भाषाएं हैं । भारतीय आर्य-भाषा परिवार और हिंदी का संबंध भारोपीय भाषा परिवार से है ।

भारोपीय भाषा परिवार को समय-समय पर इंडो-जर्मनिक, इंडो-केल्टिक, आर्य आदि कई नामों से अभिहित किया गया है । इस परिवार की भाषाओं को 'सतम' एवं 'केंतुम' दो वर्गों में रखा गया है । 'सतम' के अंतर्गत अल्बानियन, आर्मीनियन, बाल्टो-स्लाविक, थ्रेसो-फ्रीजीयन और भारत-ईरानी तथा 'केंतुम' के अंतर्गत तोखारियन, केल्टिक, जर्मनिक, इटैलिक, ग्रीक और इलीटियन शाखा की भाषाओं की गणना होती है । भारत-

ईरानी शाखा से तीन प्रशाखाएं विकसित हुईं :- (क) ईरानी (ख) दरद एवं (ग) भारतीय । ईरानी के अंतर्गत फारसी, अवेस्ता, पश्तो, पहलवी आदि भाषाएं आती हैं । दरद के अंतर्गत कश्मीरी शिणा,चित्राली आदि भाषाएं आती हैं ।

भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ 1500 ई. पूर्व के आस-पास माना जाता है । भाषिक विशेषताओं के आधार पर इसे तीन कालों में बांटा गया है, (क) प्राचीन आर्य भाषा (1000 ई. पूर्व-500 ई. पूर्व), (ख) मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा (500 ई. पूर्व-500 ई. पूर्व) एवं (ग) आधुनिक भारतीय आर्य भाषा (1000 ई. से अब तक) ।

1. प्राचीन आर्य भाषा: प्राचीन आर्य-भाषा के अंतर्गत वैदिक और लौकिक संस्कृत आते हैं । वैदिक संस्कृत का रूप वैदिक संहिताओं, ब्राहमणों, आरण्यकों तथा प्राचीन उपनिषदों आदि में मिलता है । वैदिक संस्कृत में तीन लिंग - पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीन वचन- एकवचन, द्विवचन, बहुवचन; आठ कारक विभक्तियां - कर्त्ता, संबोधन, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा चार समास -तत्पुरूष, कर्मधारय, बहुब्रीहि एवं द्वन्द मिलते हैं । शेष दो समास- द्विगु और अव्ययीभाव लौकिक संस्कृत में विकसित हुए । इसके अतिरिक्त वैदिक काल में प्राचीन आर्य-भाषा की तीन बोलियां - पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती एवं पूर्वी भी प्रचलित थीं ।

भाषा के अर्थ में 'संस्कृत' शब्द का प्रथम प्रयोग वाल्मीकि रामायण में मिलता है । लौकिक संस्कृत साहित्यिक भाषा है । इसका मानकीकरण हुआ जिससे इसमें जटिलताएं, अनेकरूपताएं एवं अपवाद वैदिक संस्कृत की तुलना में अत्यंत ही कम हैं । लौकिक संस्कृत को पाणिनि ने अपने व्याकरण के द्वारा एक स्थायी रूप दिया ।

2. मध्यकालीन भारतीय आर्य-भाषा: मध्यकालीन आर्य-भाषा को साधारणतया प्राकृत भी कहा जाता है । इसे निम्नलिखित तीन कालों में विभाजित किया गया है :-

(क) प्रथम प्राकृत: इसमें पालि तथा अभिलेखी प्राकृत आती हैं । पालि का प्राचीनतम प्रयोग चौथी सदी में लंका मे लिखित ग्रंथ 'दीपबंस' में हुआ है । वहाँ इसका अर्थ 'बुद्धवचन' है । चूँकि पालि का उदय वैदिकी और संस्कृत की प्रतिक्रिया में हुआ था, अत:

इसमें वैदिकी का सरलीकृत ऋक्थ तथा तात्कालिन जन भाषाओं का सामान्य रूप सुरक्षित है । पालि भाषा व्याकरणिक दृष्टि से वैदिक संस्कृत की भाँति ही स्वच्छंद एवं विविध रूपों वाली है । वैदिकी की भाँति पालि में भी संगीतात्मक एवं बलात्मक, दोनों स्वराघात थे । प्रथम प्राकृत के अंतर्गत अभिलेखी प्राकृत भी आती हैं जिनमें अशोकी एवं अशोकेतर अभिलेख प्रमुख हैं ।

(ख) द्वितीय प्राकृत: इसे केवल प्राकृत भी कहा जाता है । प्रदेश तथा साहित्यिक महत्ता की दृष्टि से प्राकृतों के कई भेद किए गए हैं जिनमें शौरसेनी, मागधी, अर्द्धमागधी, महाराष्ट्री और पैशाची प्रमुख हैं । ध्वनि की दृष्टि से प्राकृत भाषाएं पालि के पर्याप्त निकट हैं ।

(ग) तृतीय प्राकत: इसे अपभ्रंश भी कहा जाता है । यह प्राकृत तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है । यद्यपि 'प्राकृत - सर्वस्व' ग्रंथ में अपभ्रंश के सताईस भेद स्वीकार किए गए हैं, किंतु मुख्य अपभ्रंश केकय, टक्क, व्राचड़, शौरसेनी, महाराष्ट्री, अर्द्धमागधी और मागधी मानी जाती है ।

3. आधुनिक भारतीय आर्य भाषा: लगभग एक हजार ई0 के आस - पास अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ । वर्तमान में निम्नलिखित आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं प्रचलित हैं :-

(क) सिंधी: सिंधी भाषा का उद्भव व्राचड़ अपभ्रंश से हुआ । इसकी पाँच बोलियां हैं - बिचोली, सिराइकी, लारी, थरेली और कच्छी । इसके संपूर्ण शब्द भंडार का लगभग पचहत्तर प्रतिशत भाग संस्कृत तदभवों का है । सिंधी बोलने वाले प्राय: पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैं, किंतु भारत के मुंबई, अजमेर तथा दिल्ली में भी सिंधी भाषी हैं ।

(ख) लहँदा: इसका उद्भव केकय अपभ्रंश से हुआ । यह मुख्यत: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बोली जाती हैं । इसके शब्द भंडार में फारसी अरबी शब्द काफी हैं तथा इसकी मुख्य बोलियां जटकी, मुलतानी और जांगली है ।

(ग) पंजाबी: इसका उद्भव टक्क अपभ्रंश से माना जाता है । इसके बोलने वाले कुछ पाकिस्तान में तथा अधिकांश भारत में हैं । यह गुरूमुखी लिपि में लिखी जाती है तथा इसकी मुख्य बोलियां माझी, डोंगरी, दोआबी, राठी आदि हैं ।

(घ) हिंदी: हिंदी भाषा का उदभव अपभ्रंश के शौरसेनी, मागधी तथा अर्द्धमागधी रूपों से हुआ है । इसके अंतर्गत पाँच उप भाषाएं या बोली वर्ग हैं - पश्चिमी हिंदी (खड़ी बोली, हरियाणी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी का समूह), पूर्वी हिंदी (अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का समूह), राजस्थानी हिंदी (उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी का समूह), पहाड़ी हिंदी (पश्चिमी तथा मध्यवर्ती पहाड़ी का समूह) तथा बिहारी हिंदी (भोजपुरी, मगही, मैथिली का समूह) ।

(ङ) गुजराती: इसका उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है । इसके लिपि अपनी है जिसमें शिरोरेखा नहीं होती है । इसकी मुख्य बोलियां काठियावाड़ी, पट्टनी, सुरती आदि हैं ।

(च) मराठी: इसका उद्भव महाराष्ट्री अपभ्रंश से हुआ है । इसके लिपि देवनागरी है । परंतु कुछ लोग मोड़ी का भी प्रयोग करते हैं । इसकी मुख्य बोलियां कोंकणी, नागपुरी, कोष्टी, माहारी आदि हैं ।

(छ) बंगला :- इसका उद्भव मागधी अपभ्रंश से हुआ है । इसकी अपनी लिपि है तथा इसकी मुख्य बोलियां पश्चिमी, दक्षिणी - पश्चिमी, उत्तरी राजवंगशी, पूर्वी आदि हैं ।

(ज) असमी :- इसका भी उद्भव मागधी अपभ्रंश से हुआ है । इसकी अपनी लिपि है तथा इसकी मुख्य बोली विष्णुपुरिया है ।

(झ) उड़िया:- यह भी मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा है । इसकी लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित है तथा इसकी मुख्य बोलियाँ गंजामी, सम्भलपुरी, मत्री आदि हैं । उक्त भाषाओं के अतिरिक्त सिंहली, जिप्सी तथा नेपाली भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में आती हैं । परंतु इनके बोलने वाले भारत में नहीं हैं । नेपाली बोलने वाले कुछ लोग अवश्य भारत में हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय आर्य भाषा परिवार अत्यंत ही विशाल है ।

****

मेरी कविता बन जाती है

अरूण कुमार राय

उप खनिज अर्थशास्त्री (आ.)

भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

कविता की अपनी तेज धार होती है, मारो इससे तो आर-पार होती है।
पावक को बुझा तुषार बना देती है, गांधी को शीतल क्षार बना देती है।।
मै उसी धार का तेज यहाँ लाऊँगा, कविता सौंदर्य का सेज यहाँ लाऊँगा।
कभी भी जब मै छोटी सी भी, कविता लिखने जाता हूँ ।
तो कविता की तो छोड़ो बात, एक शब्द न लब पे पाता हूँ ।।
चैतन्य शून्य हो जाता हूँ, खुद को असहाय मै पाता हूँ ।
और पड़े खाट पे मैं छत की, सब कड़िया गिनने लगता हूँ ।।
लेकिन जब नींद कढ़ा तकिया, इस सर के नीचे लाता हूँ ।
तो सच कहता हूँ, इस सर में इंजन जैसा मैं पाता हूँ ।।
मै मेल ट्रेन हो जाता हूँ, बुद्धि भी फक - फक करती है ।
रसों का बड़ा रेला सा, स्वतः दिमाग में भरती है ।।
फिर ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, सब अलंकार आ जाते हैं ।
छन्दों के बाँध उमड़ते हैं, भावों के रस फुट जाते हैं ।।
इस भाव छन्द के सार लिए, जब आगे कदम बढ़ जाती है ।
तो भाषा और शैली आती है, वो संग में शांति लाती है ।।

कल्पना की तो तुम करो कल्पना, स्वर वर्ण सपना ले आती है ।
और रति रहस्य की साज लिए, रचना भी होठ पे छाती है ।।
यह देख माजरा रति किलोल की, कविता की भृग तन जाती है ।
उसकी हरियाली जाती है, चेहरे पे लाली आती है ।।
वह कुरध आवेश में दौड़ - दौड़, पास खाट के आती है ।
आँखों में उसके लाल काल देख, सब सहम सहम भाग जाती है ।।
और कन्दर्प दर्प को दर्प कर, कविता सब कुछ भुल जाती है ।
और लोकशील को लील लील, वह पागल नदी बन जाती है ।।
फिर द्रुत आवेग से घूँघट फेंक, मेरी कविता बन जाती है ।

****

हम हिन्दी ही अपनाएंगे,
इसको ऊँचा ले जाएंगे,
हिन्दी भारत की भाषा है
हम दुनिया को दिखाएंगे।

विश्व में हिन्द, हिन्द में हिंदी |
जैसे दमकते माथे पर चमकती बिंदी ||

परिवार और कैरियर

पप्पू गुप्ता,
कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी,
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

कुछ बेटे भी घर छोड़ जाते हैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाते हैं..

मुझे ये रंग / स्टाइल पसंद नहीं कह कर, नयी शर्ट अलमारी में छोड़कर, ग्रेजुएशन समारोह का सूट जस का तस, पुराने मोज़े, बनियान, रूमाल, (ये भी कोई सहेज़ के रखने वाली चीज़ है) सब बेकार हम समेटे हैं, उनको किसी की परवाह नहीं ! बेटे भी घर छोड़ जाते हैं, दुनियां की भीड़ में खो जाते हैं....

जिस तकिये के बिना नींद नहीं आती थी, वो अब कहीं भी सो जाते हैं ! खाने में नखरे दिखाने वाले अब कुछ भी खा कर रह जाते है। अपने कमरे के बारे में इतने एकांत रखने वाले अब रूम शेयर करने से नहीं हिचकिचाते, अपने करियर बनाने की ख्वाहिश में । बेटे भी माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, दुनिया की भीड़ में खो जाते हैं ।

घर को मिस करते हैं, पर कहते नहीं माँ बाप को 'ठीक हूँ' कह कर झूठा दिलासा दिलाते है । जो हर चीज़ की ख्वाहिशमंद होते थे, अब 'कुछ नहीं चाहिए' की रट लगाये रहते हैं । जल्द से जल्द कमाऊ पूत बन जाने की हसरत में ! बेटे भी घर छोड़ जाते हैं, दुनियां की भीड़ में खो जाते हैं ।

हमें पता है, वो अब वापस नहीं आएंगे, आएंगे तो छुट्टी मनाने ! उनके करियर की उड़ान उन्हें दूर कहीं ले जाएगी । फिर भी हम रोज़ उनका कमरा साफ़ करते हैं । दीवारों पर चिपके पोस्टर निहारते हैं ! संजोते हैं यादों में उन पलों को, जब वो नज़दीक थे, परेशान करते थे! अब चाह कर भी वो परेशानी नसीब में नहीं ! क्योंकि बेटे भी घर छोड़ जाते हैं, दुनियां की भीड़ में खो जाते हैं ।

****

आत्ममंथन की आवाज

नीता कोठारी,
वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी,
भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर

हर उपलब्धि कुछ त्याग मांगती है ,
हर मुक्ति कुछ विराग मांगती है,
आसान नहीं है,अँग्रेजी के बंधन तोड़ना
आपकी हिन्दी, आपसे हिसाब मांगती है,
नारे लगा लिये, पखवाड़े मना लिए
हिन्दी दिवस पर सारे प्रदर्शन करवा लिए,
फिर भी दर्द होता है, क्यूं हिन्दी का यह हाल है ?
राष्ट्रभाषा के पतन का हमें बस मलाल है, मलाल है ....

सत्तर वर्ष बीत रहे , ये राग अलापते,
हिन्दी बोलो ,पढ़ो हिन्दी, यह अलाव तापते,
हिन्दी माध्यम से पढ़ा, तो माया मिली न राम,
नौकरी तो दूर, स्टेटस का नहीं कुछ काम,
अंग्रेजी हंसने लगी, सुन हिन्दी का ये हाल,
कैसे बहन समेट लूं मैं, इतनी जल्दी जाल,
आजादी की भीड़ मे, गड़बड़ हुई विशेष,

अँग्रेजी भारत आई, हिन्दी गई विदेश,
थोड़े में यदि मैं कहूं, ये हिन्दी का इतिहास,
हिन्दी के घोड़े चरें, खुद हिन्दी की ही घास,
बच्चों से पूछा गया, क्या होता है यह 'प्रयास',
गिनती हिन्दी में कहो, क्या होता है यह वार,
बच्चा कुछ बोला नहीं, आखें हुई न चार,
बच्चे की यह हालत देख, तैश में आई माँ,
बोली स्मार्ट है ये बच्चे, इनके आगे नहीं ठहरते आप,
अँग्रेजी में पूछिये, जो पूछना है जनाब
इतना सुनना था कि, रख लिये कान पर हाथ,
हे प्रभु, अपनी भाषा पर, अपने ही लोगों का घात,
गर अब भी नहीं जागे, तो कब जागेंगे आप ?
आजादी के बाद भी, क्यूं बंधे हमारे हाथ ?
आत्म मंथन का वक्त है, अभी बाकी है कुछ प्रयास,
विनती है अब संभलें हम , अपनी भाषा को अपनाए,
बन कर सच्चे भारतवासी, घर-घर हिन्दी पहुंचाएं,
तो आईए, आज ही से करते हैं एक प्रण ....
हिन्दी का मान सम्मान, कभी कम न होने देंगे हम ।।

गर्व से कहेंगे, हिन्दीं हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा- हमारा
सारे जंहा से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा- हमारा....

****

कहानी: बदलाव

एकता गिरि,

हिन्दी अनुवादक

भारतीय खान ब्यूरो, कोलकाता

"डार्लिंग, मैं माँ के घर जा रही हूँ, तुम्हारे आने तक लौट आऊँगी, तुम चिन्ता मत करना" अनामिका ने अपने पति आलोक के मोबाइल पर मैसेज किया।

"ओ.के. डार्लिंग" उधर से संदेश आया।

अनामिका ने बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला ही था कि.......

"अरे, तू" ?

"क्यों गलत वक्त पर आ गई क्या" रमोला ने कमरे में प्रवेश करते हुए पूछा।

"नहीं, दरअसल मैं कहीं जा रही थी"।

"कहाँ] मेरी जान" रमोला ने अपना पर्स एक ओर फेंका और धम्म से सोफे पर बैठ गई।

"बस यूँ ही, तू शरबत पियेगी" अनामिका ने बिस्तर पर पड़े अपने कपड़ों को एक तरफ करते हुए पूछा।

"हाँ पियूँगी। पहले थोड़ा पानी पिला, बाहर बहुत गर्मी है"।

अनामिका रसोई में पानी - शरबत लेने चली गई और रमोला वहीं बिस्तर पर पड़ी फैशन मैग्ज़ीन उलटने पुलटने लगी।

"कौन पढ़ता है, इसे" रमोला ने वहीं बैठे - बैठे रसोई की ओर देखते हुए पूछा।

"कोई नहीं। मैं तस्वीरें देखती हूँ" रसोई घर से ही अनामिका ने कहा।

"क्या मतलब" ?

"अरे यार, इतनी हाई - फाई अंग्रेजी मेरे पल्ले नहीं पड़ती है। मैं तो इसमें से आज के फैशन के बारे में जानती हूँ। देख तो इस ड्रेस के साथ यह जूट का पर्स कितना मैच कर

रहा है" अनामिका ने शरबत की ट्रे मेज पर रख कर मैग्ज़ीन के पन्ने पलटते हुए रमोला को दिखाया।

"हाँ मैच तो कर रहा है, लेकिन मंहगा होगा"।

"हाँ है तो। तू शरबत पी" अनामिका ने शरबत का गिलास रमोला की ओर बढ़ाते हुए कहा।

रमोला ने मैग्ज़ीन मेज पर रख दी और शरबत का घूँट लेते हुए बोली, "वैसे तू जा कहाँ रही थी" ?

"फिल्म देखने"।

"अकेले" !

"नहीं मनीष के साथ" ।

"अब ये मनीष कौन है ?"

"है यार एक, तू नहीं समझेगी"।

"तू समझायेगी, तब न समझूंगी। तू तो केवल पहेलियां बुझाती है"।

"अच्छा ठीक है, पूछ क्या पूछना है ?"

"नहीं, छोड़ तुझे देर हो जायेगी" रमोला ने अपना मुँह टेढा करते हुए कहा।

"नहीं यार अभी टाईम है। पूछ क्या पूछना चाहती है ?"

"ये सब क्या चल रहा है ? आज इसके साथ, कल उसके साथ। तू जानती भी है, तू क्या कर रही है ?"

"क्या कर रही हूँ मैं ? कुछ भी तो नहीं किया मैंने" अनामिका के चेहरे पर आश्चर्य भरा प्रश्न चिह्न था।

"देख तू अच्छी तरह से समझ रही है कि मैं क्या कह रही हूँ ?"

"नहीं मैं नहीं समझ पा रही, तू क्या कहना चाहती है ?"

"तो ठीक है, सुन। तू एक के साथ पार्टी मनाने जाती है तो दूसरे के साथ काफी पीने और तीसरे के साथ पिक्चर देखने। क्या है ये सब ? तेरे पतिदेव को कोई ऐतराज नहीं होता है ? उन्हें ये सब मालूम है ?"

"पागल है क्या तू ! ये सारी बातें पतियों को बताई जाती हैं ! वो कहाँ क्या करता होगा, मुझे बताता है ! तो मैं क्यों बताऊं ! और हो सकता है कि वह कुछ नहीं भी करता हो तो मैं क्यों न करूं ! मैं कुछ गलत थोड़े न करती हूँ। किसी के साथ पार्टी में बैठ कर थोड़ी सी पी ली तो इसमें क्या गुनाह हो गया .... ? ओह शिट ! अब तू पीने पर लेक्चर देगी" अनामिका ने अपना माथा ठोंकते हुए कहा।

"तो क्या तूने कभी शराब भी पी है ?"

"मैं जानती थी, तेरा रियेक्शन यही होगा ! नए साल की पार्टी में एक - दो घूँट पी थी। लेकिन क्या फर्क पड़ता है ? कुछ तो नहीं हुआ मुझे कौन सा मेरा लीवर खराब हो गया। अच्छी खासी तो तेरे सामने हूँ"।

"देख मुझे डर लग रहा है, तू किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही है ?"

"कोई गलत रास्ते पर मैं नहीं जा रही हूँ। क्या केवल आदमियों का कापीराईट है कि वे औरतों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें। औरतें स्वच्छंद नहीं हो सकतीं, वे क्यों नहीं फ्लर्ट कर सकतीं ! मैं तो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ती। हाँ, अपने पतिदेव से थोड़ा झूठ बोलती हूँ, थोड़ी बातें छिपाती हूँ लेकिन ये इतना बड़ा कोई अपराध नहीं है कि मुझे फांसी पर लटका दिया जाए और, बातें छिपाने से घर में शांति भी बनी रहती है" अनामिका ने शरबत का गिलास खाली करते हुए कहा।

"क्या मतलब ?"

"अब तुझे विस्तार से समझाना होगा। देख, मुझे पार्टी, डिस्को, कैंडिल लाईट डिनर, काफी हाउस में काफी.......... इस तरह का जीवन बड़ा अच्छा लगता है। अब इन सब के लिए पैसे खर्च करने होंगे। तो इतने पैसे तो मेरे पतिदेव के पास हैं नहीं कि वे घर का खर्च भी चलायें और मेरे शौक भी पूरे करें। अब अगर मैं उनसे इस तरह की मांग रोज - रोज करूंगी तो घर में अशांति होगी कि नहीं। इससे अच्छा है कि मैं मर्यादा में रहते हुए अपने शौक कहीं और पूरे कर लूँ। मैं भी खुश पतिदेव भी खुश और घर में शांति भी बनी रहेगी"।

"लेकिन उन्हें पता चलेगा तो ?"

"कैसे पता चलेगा ! और जब पता चलेगा तब चलेगा तब तक क्यों न मजे किए जायें! और वैसे भी मैं कौन - सा किसी के साथ हम - बिस्तर हो रही हूँ। थोड़ा सा फोन पर बात कर लो, बस, आदमियों के दिलों में लड्डू फूटने लगते हैं। फोन पर ही मैं उन्हें निर्वस्त्र दिखने लगती हूँ। ऐसे आदमियों की मानसिकता के साथ अगर थोड़ा खिलवाड़ ही कर लिया जाए, तो क्या बुरा है ?"

"बात तो तेरी सही है, लेकिन..... "

"अब लेकिन, वेकिन छोड़, मुझे निकलने दे, वरना मेरी फिल्म छूट जायेगी" कहते हुए अनामिका ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई।

"देख, कितनी अच्छी परफ्यूम है" अनामिका ने रमोला पर इत्र छिड़कते हुए कहा।

"हूंह, बड़ी अच्छी खुशबू है। कौन सी परफ्यूम है ?"

"विदेशी है, विदेशी। बड़ी मंहगी भी है"।

"तूने तो नहीं खरीदी होगी, किसने दी" रमोला ने उसे कोहनी मारते हुए पूछा।

"उफ तू भी न, अशोक सर ने दी"।

"कौन अशोक सर ...... वही जो .... "।

"हाँ.......वही .... जो मेरी माँ का मामला देख रहे हैं, सीनियर एडवोकेट अशोक सर........। थाइलैंड से आई है परफ्यूम"।

"अरे वाह .....! " रमोला इत्र की शीशी पर नाम पढ़ने की कोशिश करते हुए बोली।

"इतना ही नहीं, वो छाता देख..... " अनामिका ने कोने में पड़े एक छाते की ओर इशारा करते हुए कहा।

"क्यों क्या हुआ उस छाते में ?"

"वो दार्जिलिंग से आया है"।

"वो भी अशोक सर ने ..... "।

"हाँ.... " दोंनो सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं।

"कुछ तो बात है ही तुझमें........ " रमोला, अनामिका के दोंनो कंधो पर पीछे से हाथ रखते हुए बोली।

"और नहीं तो क्या...... ? कौन अपने क्लाइंट्स को तोहफे लाकर देता है" अनामिका ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखते हुए कहा।

"लेकिन ये ठीक नहीं है। तू अशोक सर पर ज्यादती नहीं कर रही है। इतना खर्च करवाना क्या ठीक है ?"

"मैं क्या पागल हूँ ? एक ही आदमी पर अपना पूरा बोझ डाल दूंगी तो वह आदमी भसक नहीं जायेगा। गिफ्ट देने के लिए अशोक सर हैं क्योंकि उन्हें घूमने की बीमारी है, देश - विदेश घूमते ही रहते हैं। बाकी जितने हैं वे शहर के बाहर ही नहीं जाते इसलिए वे सब शहर के अंदर मेरा खर्च उठाते हैं। फिल्म देखनी हो तो मनीष, पार्टी में जाना हो तो भानु, डिनर करना हो, काफी पीनी हो तो अरविन्द, एक पर बोझ कहाँ है? मेरा खर्च थोड़ा - थोड़ा सब में बंटा हुआ है" अनामिका ने अपनी आँख मारते हुए कहा।

"मैं भी चलूँ, मुझे भी फिल्म देखना बड़ा अच्छा लगता है" रमोला ने अपने बाल ठीक करते हुए पूछा।

"आज तो नहीं हो पायेगा क्योंकि टिकट पहले से कट चुकी हैं। अगली बार जब प्लान बनेगा तो तुझे भी ले चलूंगी, पक्का......... "।

"थैंक्स यार" रमोला अनामिका के गले लगते हुए बोली।

"अब निकल तू, वरना मेरी फिल्म छूट जायेगी"।

"ठीक है, मैं जाती हूँ" कह कर रमोला ने अपना पर्स उठाया और कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि आलोक एक महिला के साथ दरवाजे पर खड़े मिले।

"आप यहाँ....... " आलोक ने रमोला को देखकर आश्चर्य से पूछा।

"कौन है" अनामिका दरवाजे की ओर देखते हुए बोली।

"तुम.........! गई नहीं.......... , तुम तो माँ के घर जाने वाली थी........! " आलोक ने हकलाते हुए कहा।

"ये कौन ?" आलोक के साथ आई महिला की ओर इशारा करते हुए अनामिका ने पूछा।

आलोक कुछ कहते इससे पहले ही "आलोक मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ" कहते हुए वह महिला दरवाजे से ही उल्टे पाँव घूम गई।

अनामिका ने अपनी कमर पर दोंनो हाथ रखते हुए पूछा, "कौन थी वह ?"

"मेरे आफिस की क्लर्क......... " आलोक की आवाज कांप रही थी।

"अच्छा, तो मेरी पीठ पीछे यह सब चलता है। मैं माँ के घर जाती हूँ तो तुम अपने आफिस की क्लर्क के साथ यहाँ मेरे घर पर गुलछर्रे उड़ाते हो........... "।

"तुम गलत समझ रही हो। वह मेरे साथ एक कप काफी पीने आई थी, बस, और कुछ नहीं" आलोक ने अनामिका को टोकते हुए कहा।

"मैं कितना भरोसा करती थी तुम पर और तुमने मेरे प्यार का, मेरे भरोसे का यह सिला दिया ! तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरा सब बर्बाद हो गया। मुझे कितना गर्व था, तुम पर और तुम ....! छिः..........! मुझे कहते भी शर्म आ रही है.................! " अनामिका बोले जा रही थी और आलोक अपराधी की तरह नजरें नीची किए खड़े थे।

रमोला अभी भी वहीं दरवाजे के पास ही बुत बनी खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अंदर आए या फिर बाहर ही निकल जाए। यह बदलाव उसकी समझ से परे था।

****

आओ हम हिन्दी अपनाएं,
गैरों को परिचय करवाएं,
हिन्दी वैज्ञानिक भाषा है
यह बात सभी को समझाएं।

कहानी: भिक्षुणी

भाविका रामटेके,
अयस्क प्रसाधन अधिकारी
भारतीय खान ब्यूरो, हिंगणा, नागपुर

25-26 वर्ष के करीब उम्र, गौर वर्ण, उच्च ललाट, बडी़-बडी़ आंखें सुंदर शरीर सौष्ठव एवं तेजयुक्त मुखमंडल पर शांत भाव विराजमान ! प्रथम दृष्टि में ही आकर्षित करने वाला प्रभावशाली व्यक्तित्व । .... किन्तु, किन्तु ये भगवे वस्त्र ?

आज विहार प्रांगण में बडी़ चहलपहल एवं भीड़ एकत्रित थी। भक्त जन अपनी श्रध्दानुसार दान-पूजा-अर्चना करते आ-जा रहे थे और जब भी दो व्यक्ति आपस में मिलते उस भगवे वस्त्र धारिणी की चर्चा अवश्य करते । सात्विकता की शोभायमान मूर्त प्रतिमा .... भगवे वस्त्र धारिणी.... !

'बुध्दम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि ... के मंत्र-रव से सारा विहार-प्रांगण गूंज उठा ... पूजा अर्चना हो चुकी और अब धार्मिक कार्यक्रमों के पश्चात 'महिला विकास संघ' का उद्‌घाटन उस तपस्विनी के हाथों होने वाला था । उसने अपनी सुमधुर, सुरूचिपूर्ण और प्रवाही वाणी द्‌वारा, प्रभावी सारगर्भित विचारों व्दारा विहार के वातावरण को स्फूर्त एवं भाव-विभोर बना दिया ... ओजपूर्ण भाषा-प्रभुत्व तथा भावपूर्ण प्रखर बुध्दि के प्रभाव से उसने सभी श्रोताओं के हदय में आदर का स्थान बना लिया ।

आज प्रांगण में बालायें मुक्त एवं स्वच्छंद हो आत्मविश्वास एवं गौरव से इतस्तत: टहल रही थीं ... विचरण कर रही थी ... आसमान को छूने की ... उसमें उड़ने की इच्छाशक्ति एवं कर्तव्य-दक्षता होते हुए भी जिन्हें स्वतंत्रता नहीं थी ... आज जैसे

पाखियों को पंखों का आभास होने लगा था ... भिक्षुणी के पांडित्यपूर्ण एवं प्रेरणादायी विचारों से अभिभूत बालायें पिंजरे से मुक्तपक्षियों की तरह मुक्त सांस ले रही थीं ...

कार्यक्रम संपन्न हुआ और सभी अपने-अपने घरों की ओर जाने लगे ... विचारों को समेटते हुए तृप्तभाव से .....।

संध्या थककर चूर हो चुकी थी, उसने निशा देवी को निमंत्रण दिया और चेतन संसार की थकान को विश्राम देने हेतु रजनी ने अपनी चादर सृष्टि पर आच्छादित कर दी साथ साथ पूर्णिमा के धवल चंद्र की किरणें जल-थल-नभ में अमृत-सिंचन करने लगीं....

... पंचशील के कथनोंपरांत विश्व के कोलाहल से दूर अलिप्त होने हेतु, भिक्षुणी ने अपनी कुटिया में चटई बिछायी एवं निद्रादेवी की गोदी में समा जाने की तैयारी की, लेकिन लाख प्रयत्नों के बावजूद शायद निंदियारानी उसकी आंखों में आने के लिये तैयार नहीं थी..... मस्तिक-पटल पर अतीत का स्मृति-चक्र, चलचित्र की भांति साकार हो घूमने लगा .....

xxxx xxxx xxxxx

'... हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने शाला की सर्वश्रेष्ठ छात्रा का चयन किया है ... यह पुरस्कार उसे दिया जाता है जो अभ्यास में अग्रगण्य हो, नियमित हो, खेल, साहित्य, नृत्य-गीत-संगीत, वक्तृत्व, परिसंवाद, वाद-विवाद, निबंध लेखन, काव्य-रचना, कार्यक्रम-संचालन, आदि विषयों में निपुण हो और इसके साथ ही महत्वपूर्ण गुण जैस विनयशीलता, आज्ञापालन एवं अनुशासन से पूर्ण हो । 'चयन' समिति सह संपूर्ण शालेय-प्रबंधन अति हर्ष एवं गर्व से यह घोषित करता है कि - यह गौरवशाली पुरस्कार कक्षा दस वी की कु. विभा को दिया जाता है - 'सर्वश्रेष्ठ विदयार्थी' ... उसके उज्वल भविष्य की कामना करते हुए यह सम्मान स्नेहपूर्वक प्रदान किया जाता है, और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए सहर्ष प्रमाणपत्र दिया जाता है ....'

प्राचार्या द्वारा ये हदयोदगार समाप्त होते ही, तालियों की गड़गड़ाहट से शाला का प्रांगण गूंज उठा.........

अभिनंदन की सुखद वर्षा में भीनी विभा का आनंद मानो गगन में समाने से परे था... कृतज्ञता से नयनों में अश्रु छलक उठे ... गुरूजनों के चरणों में वह नतमस्तक हुई.. अपनी प्रिय एवं गुणी छात्रा को प्राचार्या महोदया ने अपने हदय से लगा लिया ... पुरस्कार रूप में उसका मूल्यांकन और उसके गुणों का सम्मान सभी के सम्मुख होने से वह आज आनंद के सागर में तरंगित हो रही थी ... बचपन से ही विभा में हरेक नयी बात सीखने की ललक थी । अनेक क्षेत्रों में उसने एकलव्य की तरह, मार्गदर्शन के बिना ही स्वयं की क्षमता, योग्यता एवं बुध्दिमत्ता से प्रवीणता प्राप्त की थी । वह महत्वाकांक्षी थी, नवीन-नवीन ज्ञानार्जन करना, खूब पढा़ ई करना विद्या-विभूषित होकर अभियंता बनना, स्वयं सामर्थ्यवान एवं स्वावलंबी बनकर दूसरे असमर्थ देशबंधुओं में स्व-कर्तव्यएवं स्वाभिमान को जागृत करना उसका ध्येय था ... । अपने स्वार्थ के सीमित संसार में रमने की बजाय व्रतस्थ जीवन द्वारा उपेक्षितों की सेवा में जीवन समर्पित करने की उसकी आंतिरक कामना थी।

पुरस्कारों को झोली में समेटे और सपनों के ताने-बाने बुनते हुए वह घर की ओर चल पडी़ ... अचानक वह चौंक पडी़ ... रितेश के 'अभिनंदन' कहने से ... 'अभिनंदन' कहते हुए रितेश ने एक छोटा सा 'उपहार' उसके हाथों में थमाते हुए कहा मेरी ओर से ....'

अरे, लेकिन तुम्हे कैसे ज्ञात हुआ । आश्चर्य से विभा ने कहा ।

मुझे दीदी ने पहले ही बता दिया था, अच्छा अभी जल्दी में हूँ, फिर मिलता हूँ, कहकर वह चला गया ।

प्रफुल्लित मन से विभा ने घर में प्रवेश किया... किन्तु यह क्या ... दृश्य देखते ही मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई .... माँ -पिताजी में उसे लेकर ही वाद-विवाद चल रहा था ... माँ कह रही थी - 'बस बहुत हो गया अब, इसके हाथ पीले करने ही होंगे अब ... अधिक पढा़ कर भी क्याकरना है, क्या बेटी की कमाई खानी है ... अधिक पढ़ लिखकर भी तो आखिर में चूल्हा ही फूँकना है, लोगों की निंदा तो मुझे ही

सुननी पड़ती है ना ... लड़कों के जैसे हॉकी खेलती है, खो-खो खेलती है, गीत क्या गाती है, भाषण देती रहती है ... लोग क्या-क्या नही कहते ... किसके-किसके मुहं लग सकते हैं ... किसको किसको उत्तर देती रहूँ ... पिताजी समझा रहे थे - 'हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं... लोगों के डर से क्या हम अपनी बेटी को चारदिवारी में बैठाये रखेंगे ...और उसकी प्रतिभा का गला घोंट देंगे... हाँ-हाँ, अब सब बन्द करना होगा इसे । हमारे जमाने मे नही था यह सब, स्वतंत्रता और लड़कों की बराबरी करने के ये सारे चोचले ... कहीं कल को कुछ कम-ज्यादा हो गया तो ....

विभा और अधिक ना सुन सकी, हदय में संचित भावनाओं का ज्वालामुखी फूट पड़ा... हाँ-हाँ सारे नीति नियम-धर्म हमारे लिये ही बनाये गये हैं ... चारदिवारी के अन्दर चूल्हा-चौका संभालना कुंठाओं में जी-जीकर परिवार की जिम्मेदारी उठाना, क्या सिर्फ हमारे लिये ही है सबकुछ, हमारी इच्छा-आकांक्षाओं का कोई मूल्य नहीं.. नही माँ, आपकी पीढ़ी तक था सो था,यह इक्कीसवीं सदी है माँ, हमको भी स्वयं के व्यक्तित्व को संजोने का, स्वयं की प्रगति एवं विकास हेतु योग्य अवसरों का एवं योग्य कदम उठाने का पूर्ण अधिकार है, हम भी पढ़-लिखकर क्यों न स्वावलंबी बने ...

नियति ने, श्रृष्टी ने, स्त्री और पुरूष, केवल शारिरिक रूप से अलग-अलग बनाये है, मस्तिष्क की क्षमता, बुध्दि-कौशल्य एवं निपुणता में स्त्री कहीं भी पुरूषों से कम नहीं है फिर यह भेदभाव क्यों ... भावावेश में आकर विभा इतना सबकुछ बोल तो गई किन्तु अब उसे ग्लानि हो रही थी ... माँ-पिताजी के सम्मुख वह इतना बोल गई ...

विभा की मन:स्थिति के आकलन से पिताजी का हदय विदीर्ण होने लगा ... वे विभा की प्रतिभा जानते हुए, उसकी सर्वांगीण प्रगति या विकास में बाधक बनना नहीं चाहते थे, उसकी इच्छाओं की पूर्ति हेतु कुछ भी करने से नहीं हिचकिचाते थे... उसकी मनोवेदना सुनकर वे आर्त हदय से कह उठे ... नहीं बेटी, मैं तुम्हारी महत्वाकांक्षायँ पूरा करूंगा, तुम्हें इंजिनियर बनाकर, स्वावलंबी बनाकर ही मैं तुम्हारे विवाह के बारे में सोचूंगा ... वे आगे और कुछ बोल पाते तभी द्वार खटखटाने की आवाज आई । आगन्तुक को देखकर पिताजी अचानक वाकशून्य हो गएं ... क्योंकि आगन्तुक पिछले

सप्ताह विभा के लिये एक विवाह-स्थल का मध्यस्थी था, जो लड़के वालों की ओर से 'हाँ' संदेश लेकर आया था।

शाम की गाडी़ सेशेखर भैया, मुंबई से अचानक आये थे। चार-पाँच वर्षों से वे वहाँ एक बडी़ कंपनी में इंजिनियर की हैसियत से कार्यरत थे । भाई के आने से विभा कुछ तनावमुक्त हुई । दोनों भाईबहनों में अगाध स्नेह था, विभा अपनी हर छोटी-बडी़ बात भाई से कहती, और वह उसकी उलझनों को सुलझाने में मददगार होता । लेकिन आज का प्रसंग कुछ निराला ही था, एक तरफ विभा की महत्वाकांक्षा थी तो दूसरी ओर उसके विवाह का प्रस्ताव । एक ओर माँ की अभिलाषा तो दूसरी ओर विभा की अभीप्सा । वह असमंजस में था । ... आखिर माँ-पिताजी पर निर्णय की भूमिका सौंपकर वह मुंबई पुनः लौट गया, और उसके निर्णय न लेने से विभा फिर निराश हो गई ।

अन्ततः विभा के विवाह की तिथि 15 जून तय हो गई... उसका शाला में जाना बन्द कर दिया गया... ठीक उसी समय उसका 'राज्यस्तरीय हॉकी टीम' में चयन का समाचार मिला... कुछ दिनों से रितेश के साथ विभा की भेंट नहीं हुई थी । रितेश विभा की चहेती शिक्षिका का भाई था एवं उसका बालसखा । दोनों में प्रगाढ़ मैत्री थी । दोनों के स्वभाव, विचार, अभिरूचियों में आश्चर्यजनक साम्य था । उनकी चर्चा-वार्तालाप में, विलासी जीवन के इन्द्रधनुषी स्वप्न न होते हुए, ज्ञान-विज्ञान की बातें, अनिष्ट रूढियों का विरोध, सामाजिक समस्याओं के योग्य निदानों की खोज इत्यादि विषय हुआ करते । रितेश के जीवन का ध्येय था समाज के लिये कुछ ठोस कार्य करना और उसके इसी गुण से प्रभावित विभा के मन में उसके प्रति आत्मीयता एवं आदरयुक्त स्नेहभाव था ।

उदास मन से, विभा विचार मग्न हो बैठी थी... उसी समय अचानक रितेश का आगमन होने से विभा को थोडा़ संबल मिला किन्तुफिर भी, रितेश कुछ कहता इसके पहले ही वह सिसक पडी़ ... कुछ देर पश्चात अपने-आपको संभालते हुए उसने रितेश को अपने विवाह के बारे में बताया... रितेश सारी बातों से अनभिज्ञ था ... उसके मन में भी विभा के प्रति आत्मीयता पल्लवित हुई थी ... किन्तु अन्तर्भावों को छुपाते हुए ओठों पर

फीकी हँसी लाते हुए रितेश ने कहा 'अरे वाह । बडे हर्ष की बात है अब तक यहाँ आया करता था, आगे तुम्हारे ससुराल आया करूंगा ।

'क्या तुम्हें भी यही लगता है रीतु, कि मै विवाह कर यहाँ से चली जाउँ ... मेरी महत्वाकांक्षा, मेरी अभिरूचि, मेरी लगन, मेरी इच्छा ... क्या इनपर तुम्हें भी विश्वास नही ... तुम्हारी मैत्री के आधार से ही मुझे एक उदात्त दृष्टिकोण मिला... उसकी गरिमा के आगे कोई भी भौतिक-तृष्णा मुझे आकर्षित नहीं कर पायी... मेरा ध्येय क्या अधूरा ही रह जायेगा... बोलो रीतु ... चुप कैसे हो ....'

विभा को संयमित करते हुए रितेश ने कहा ... 'तुम पर विश्वास और तुम्हारा निश्चल प्रेम यही तो मेरे जीवन का आधार है, मेरे जीवन की उर्जा है... लेकिन ... रूधे कंठ से इतना ही कह पाया वह ... मन की अव्यक्त भावनायें नयनों का नीर बनकर झर-झर बरसने लगीं....

जैसे-जैसे विवाह की तिथि निकट आरही थी, विभा की हालत गिरती जा रही थी .. उसका गौरवर्ण, पीत सा दिखाई देने लगा... ऑखे भावशून्य एवं अन्दर धंसी सी प्रतीत होने लगी... जिस कल्पना मात्र से कुमारियाँ रोमांचित होती है वही विचार उसे भयभीत कर देता ... नारी होते हुए नारीत्व से विमुखता ...!

उसकी इस अवस्था का उत्तरदायी सभी ने 'रितेश को' समझा... विभा के शुभचिन्तक स्वयं को समझने वाले सभी ने रितेश को विभा से सर्वथा दूर करने की ठान ली....

एक-दूसरे के लिये अपनी भावनाओं के परस्पर आदान-प्रदान के बाद दोनों ही अपनी-अपनी जगह व्याकुल थे ... एक विरली सी कसक थी ... परंतु मिलना-जुलना अब असंभव हो गया था ... मानसिक अस्वस्थता बढ रही थी ... विभा की चिंता से रितेश अस्वस्थ था ... फिर मन को कठोर बनाते हुए उसने निर्णय लिया कि अन्तिम बार वह विभा से भेंट कर कहीं दूर निकल जायेगा, जहाँ कोई ना हो ... केवल विभा की स्मृति ...। विभा पर कोई आँच ना आये, विवाह के पश्चात उसे कोई दु:ख ना दे,

प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में वह उसकी राह का रोडा न बने ... अन्तिम बार उसे नेत्रों में समाहित कर वह दूर निकल जाने के उद्देश्य से निकल पड़ा था... सार्थकता से जीवन-यापन की प्रेरणादायी, स्नेहल स्मृतियों को संजोते-सहेजते हुए ... संकटों की राह में निकल पड़ा था अकेले...

संध्या-समय सूर्यदेव शनैः शनैः अस्ताचल की ओर निकल पडे.... नीले आकाश में सूर्य की लालिमा बिखरने चली थी ... पक्षीगण कलरव करते हुए अपने घोसलों (नीडों) की ओर लौट रहे थे... सान्ध्य किरणों की रक्तिम आभा भी कुछ उदासी का आभास दे रही थी .... ऐसी ही ढलती शाम की बेला में विभा की अन्तिम भेंट हेतु, अधीर मन से निकल पड़ा ... विभा की ओर जाने वाली राह सुनसान थी .... अचानक उसे कुछ चमकीली वस्तु दिखाई दी जो धार-दार चाकू के रूप में क्षणभर में ही उसकी ग्रीवा को छू गई ... वह संभल पाता इसके पूर्व ही, चार-पाँच क्रूर व्यक्तियों ने चाकू के वारों से उसके शरीर को छलनी कर मृत्यु के हवाले कर दिया ...

नम्रता की मूरत, निश्चल-निर्मल हृदय का स्वामी, सारे गांव में लोकप्रिय! जो कुछ समय पूर्व एक रोगी की सेवा-सुश्रुषा में लीन था ... इस समय रक्त से लोथ-पोथ झुरमुट में पड़ा था... हाय री नियति!

दूसरे दिन प्रातः जब विभा ने इस अप्रत्याशित और हृदय द्रावक घटना के बारे में सुना तो वह मूर्छित होकर गिर पडी मूर्च्छावस्था से बाहर आने पर वह कहने लगी ... रीतु ... अंत में तुम मुझे अकेला छोड़कर चले ही गये.. दूर बहुत दूर ।...फिर मैं यहाँ किसलिए ? ... मैं भी आती हूँ तुम्हारे पास ... फिर दूसरे ही क्षण मानो रितेश ने उसे स्मरण दिलाया हो ... हमारा ध्येय ? हमारे ध्येय को पूर्ण करने हेतु मुझे जीवित रहना होगा । ... मेरे व्यक्तिगत सुखों का, आशा-आकांक्षाओं का त्याग करके ... तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारे प्रेम का मूल्य चुकाना है मुझे .....उसने निश्चय कर लिया ...

वैशालीनगर

25 मई ....

आदरणीय भाई साहब,

प्रणाम ।

क्षमा करना, मैं आपकी इच्छा पूर्ण ना कर पायी। माता-पिता की बात न रख पायी । ... जन्म लेकर बडे होना सामान्य गृहस्थ जीवन बिताना, भौतिक सुखों को भोगते हुए जीवन यापन करना और इहलोक चले जाना ... मुझे यह परिपाटी स्वीकार नहीं ... मैं कुछ विशेष करना चाहती थी ... जो आपको स्वीकार नहीं ... खैर अब मैं तथागत की शरण में हूँ वे ही मुझे मेरे ध्येय-पूर्ति हेतु आश्रय एवं शक्ति प्रदान करेंगे ... पुनरेकदा क्षमस्व ।

आपकी छोटी बहन

विभा

xxx xxxx xxxx

घडी ने 'टन-टन' कर समय की सूचना दी ... तभी उसकी तन्द्रा टूटी ... ओह! ... समय ने करवट ले ली, 10 वर्ष बीत चुके, अब मैं यथार्थ में अभियंता बन गई....

'बुध्दम शरणं गच्छामि।
धम्मम शरणम गच्छामि ... संघं शरणम् गच्छमि ....!'
थिरकते चन्द्र ने बादलों में स्वयं को छुपा लिया।

****

प्रान्तीय ईर्ष्या-द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी, उतनी दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिल सकती।

- सुभाषचंद्र बोस

क्या यही जिंदगी है...

पदमा जैन,
पत्नी, डॉ. पी. के. जैन,
मुख्य खनिज अर्थशास्त्री

बचपन से 20 साल की उम्र का पड़ाव कब पार कर लिया पता ही नहीं चला । उनकी स्नातक तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात नौकरी की तलाश जारी हुई । ये नहीं वो, दूर नहीं पास, ऐसा करते - करते दो - तीन नौकरियों में से एक नौकरी ज्वाईन कर ली और जीवन में थोड़ी स्थिरता की शुरूआत हो गई ।

फिर हाथ आया पहली तनख्वाह का चेक । वह बैंक में जमा हुआ और शुरू हुआ अकाउंट में जमा होने वाले शून्यों का अंतहीन खेल । 2-3 वर्ष और निकल गए । बैंक में थोड़े और शून्य बढ़ गए तथा उम्र 27 की हो गई ।

और फिर मेरे साथ उनका विवाह हो गया । जीवन की राम कहानी शुरू हो गई । शुरू के दो - चार साल नर्म, गुलाबी, रसीले, सपनीले गुजरे । हाथों में हाथ डालकर घूमना - फिरना, रंग - बिरंगे सपनें । पर ये दिन भी उड़ गए ।

और फिर बच्चे के आने की आहट हुई । वर्ष भर में पालना झूलने लगा । अब सारा ध्यान बच्चे पर केंद्रित हो गया । उठना - बैठना, खाना - पीना, लाड़ - दूलार .. समय कैसे फटाफट निकल गया पता ही नहीं चला । इस बीच कब मेरा हाथ उसके हाथ से निकल गया, बात करना, घूमना - फिरना कब बंद हो गया दोनों को पता ही नहीं चला । बच्चा बड़ा होता गया । मैं बच्चे में व्यस्त हो गई, वे अपने काम में । घर की, गाड़ी की किस्त, बच्चे की

जिम्मेदारी, शिक्षा और भविष्य की सुविधा और साथ ही बैंक में शून्य बढ़ाने की चिंता । मैंने भी अपने - आपको काम में पूरी तरह झोंक दिया और उन्होंने भी .... ।

इतने में मैं - वो 37 के हो गए । घर, गाड़ी, बैंक में शून्य, परिवार सब है फिर भी कुछ कमी है पर वो है क्या समझ नहीं आया । मेरी चिड़ - चिड़ बढ़ती गई, वो उदासीन होने लगे ।

इस बीच दिन बीतते गए । समय गुजरता गया । बच्चा बड़ा होता गया । उसका खुद का संसार तैयार हो गया । कब दसवीं शादी की सालगिरह आई और चली गई पता ही नहीं चला । तब तक दोनों की उम्र 40 - 42 की हो गई । बैंक में शून्य बढ़ता ही गया । एक नितांत एकांत क्षण में मुझे वो गुजरे दिन याद आए और मौका देखकर उन्होंने मुझसे कहा 'अरे जरा यहाँ आओ, पास बैठो । चलो हाथ में हाथ डालकर कहीं घूम के आते हैं।'

मैंने अजीब नजरों से उन्हें देखा और कहा कि 'तुम्हें कुछ भी सूझता है । यहाँ ढेर सारा काम पड़ा है और तुम्हें बातों की सूझ रही है ।' कमर में पल्लू खोंस मैं निकल गई ।

तो फिर आया पैंतालीसवां साल, आँखों पर चश्मा लग गया, उनके बाल काला रंग छोड़ने लगे, दिमाग में कुछ उलझने शुरू हो गईं । बेटा उधर कॉलेज में था, इधर बैंक में शून्य बढ़ रहे थे । देखते ही देखते उसका कॉलेज खत्म । वह अपने पैरों पे खड़ा हो गया । उसके पंख फूटे और उड़ गया परदेश ।

मेरे बालों का काला रंग भी उड़ने लगा । कभी - कभी दिमाग साथ छोड़ने लगा । मुझे चश्मा भी लग गया । वो खुद बूढ़ा हो गया । मैं भी उम्रदराज लगने लगी ।

दोनों 55 से 60 की ओर बढ़ने लगी । बैंक के शून्यों की कोई खबर नहीं । बाहर आने - जाने के कार्यक्रम बंद होने लगें । अब तो गोली दवाइयों के दिन और समय निश्चित होने लगे । बच्चे बड़े होंगे तब हम साथ रहेंगे सोचकर लिया गया घर अब बोझ लगने लगा । बच्चे कब वापिस आएंगे यही सोचते - सोचते बाकी के दिन गुजरने लगे ।

एक दिन यूं ही सोफे पर वो बैठे - बैठे ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे । मैं दीया - बाती कर रही थी । तभी फोन की घंटी बजी । उन्होंने लपक के फोन उठाया । दूसरी तरफ बेटा था, जिसने कहा कि उसने शादी कर ली है और अब वह परदेश में ही रहेगा ।

उसने ये भी कहा कि पिताजी आपके बैंक के शून्यों को किसी वृद्धाश्रम में दे - देना और आप भी वहीं रह लेना । कुछ औपचारिक बातें कहकर बेटे ने फोन रख दिया ।

वो पुन: सोफे पर आकर बैठ गए । मेरी भी पूजा खत्म होने को आई थी । उन्होंने मुझे आवाज दी 'चलो आज फिर हाथों में हाथ लेके बात करते हैं ।' मैं तुरंत बोली 'अभी आई' उन्हें विश्वास नहीं हुआ और उनकी आँखों से आंसू गिरने लगें और गाल भिंग गए । अचानक आँखों की चमक फिकी पड़ गई और वो निस्तेज हो गए, हमेशा के लिए ।

मैंने शेष पूजा की और उनके पास आकर बैठ गई 'बोलो, क्या बोल रहे थे ?' लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा । मैंने उनके शरीर को छुकर देखा । शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था । वो मेरी ओर एकटक देख रहे थे । क्षण भर को मैं शून्य हो गई । 'क्या करूं ?' मुझे कुछ समझ में नहीं आया । लेकिन एक - दो मिनट में ही मैं चेतन्य हो गई । धीरे से उठी, पूजा घर में गई । एक अगरबत्ती की । ईश्वर को प्रणाम किया और फिर से आकर सोफे पर बैठ गई । उनका ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया और बोली 'चलो कहाँ घूमने चलना है तुम्हें ?' क्या बातें करनी है तुम्हें ? बोलो

ऐसा कहते हुए मेरी आँखें भर आईं । मैं एक टक उन्हें देखती रही । आँखें से अश्रु धारा बह निकली । उनका सर मेरे कंधों पर गिर गया । ठंठी हवा का झोंका अब भी चल रहा था ।

क्या यही जिंदगी है??

सब अपना नसीब साथ लेके आते हैं इसीलिए कुछ समय अपने लिए भी निकालो । जीवन अपना है तो जीने के तरीके भी अपने रखो । शुरूआत आज से करो । क्योंकि कल कभी नहीं आएगा ।

हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है।

- विलियम केरी

मैं हूँ सरकारी फाइल

अक्षत याग्निक
कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी
भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर

मेरे कई रंग रूप हैं। मेरे कई पते भी हैं। कहीं किसी कार्यालय में मैं किसी बड़े से टेबल पर अपनी कई सहेलियों के साथ बिखरी हुई पड़ी रहती हूँ तो किसी दूसरे कार्यालय में मुझे किसी मेज़ पर कागजों के नीचे दबा दिया जाता है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं तो मेरी दुर्गति की ये दशा है कि मेरे अंदर रखे जाने वाले कागज कभी दायें से तो कभी बाएँ से बाहर झाँकते रहते हैं। कभी किसी अच्छे कर्मचारी को मुझ पर दया आ जाती है तो वो मुझमें नए कागज रख कर किसी साफ सुथरी जगह पर रख देता है। या कोई और कर्मचारी मेरे बढ़े हुए बोझ के कारण मेरा ही एक और प्रतिरूप बना देता है। पर मुझे जब किसी काम के लिए एक कार्यालय में एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाया जाता है तो मुझे मेरी कीमत समझ आती है। विभिन्न प्रकार के कर्मचारी अपनी भिन्न भिन्न लिखावट से मेरे अंदर के कागज पर कुछ वाक्य लिखते हैं जिनहे वे लोग नोटिंग कहा करते हैं। मैंने नोटिंग के प्रकार पर बाकी फाइलों से जब विचार विमर्श किया तो कई तथ्य उजागर हुए। कोई नोटिंग के रूप में पूरी कहानी लिख देता है जिस वजह से मुझमे और कागज रखने पड़ते हैं और मेरा वज़न बढ़ जाता है। कोई दूसरा कर्मचारी नोटिंग के रूप में केवल अनुमोदन मांगता है। मैंने नोट किया है की जब भी मैं किसी कार्यालय में किसी बड़े साहब के कमरे मे जाती हूँ तो अचानक कई लोग मेरे अंदर रखे हुए कागजों में दिलचस्पी लेने लगते हैं। शायद उस कमरे में जाते ही वे सभी कर्मचारी उत्साहित हो जाते हैं। कहीं कहीं पर तो मेरा जैसे होना और ना होना बराबर ही है। कोई मुझे बस ले के अपने टेबल पर इस तरह से प्रदर्शित करता है जैसे में म्यूज़ियम में रखी हुई कोई मूल्यवान वस्तु हूँ और मेरा काम केवल उस टेबल की शोभा बढ़ाना है। पहले की बात और थी जब सारा सरकारी काम -काज केवल मुझपे निर्भर था। परंतु सुना है आजकल

डिजिटल इंडिया नाम का कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। कुछ भी कहो इस डिजिटल इंडिया ने मेरा आवागमन काफी हद तक कम कर दिया है। मैंने महसूस किया है कि अब कर्मचारी अपने सामने रखे हुए कम्प्युटर पर ही अपना आधे से ज़्यादा काम निपटा देते हैं व उसके पश्चात उस किए गए काम का प्रमाण मुझमें सुशोभित कर देते हैं। यह समय की ही विडम्बना है कि मैंने जहां से सरकारी कार्यालयों में अपना सफर शुरू किया था आज मैं उस जगह से काफी ऊपर उठ चुकी हूँ। साफ शब्दों में कहूँ तो शायद मेरा भी प्रमोशन हो गया है। पर मेरी कीमत का सही आंकलन करने वालों को पता है कि मैंने सब कुछ सह कर भी सरकार के काम के कई प्रमाण अपने अंदर समेटे हैं। मैंने कई बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की लिखावट को अपने अंदर समेटा है। समय की धूल मुझ पर जमने के बाद भी मैंने अपने अंदर रखे हुए कागजों की भरपूर देखभाल की है। कहीं किसी कार्यालय में जब कोई दुखियारा किसी अफसर से पूछता है की मेरा काम कब होगा तो वो अफसर बड़े ही निराशाजनक एवम बुझे हुए स्वर में कहता है कि फाइल तो बड़े साहब के पास गई है। और जिस दिन बड़े साहब के कमरे से मुझे निकाल कर लाया जाता है तब वो दुखियारा मुझे अश्रुपूरित निगाहों से संवारता है क्यूोंकि उसे ये मालूम हो जाता है कि अब उसका काम जल्दी ही हो जाएगा। मुझे ऐसे व्यक्तियों पर दया आती है और तब मैं सोचती हूँ कि काश, मेरे खुद के पैर होते तो मैं जल्दी से जल्दी इधर उधर घूम कर अलग अलग अफसरों से अपने अंदर हस्ताक्षर करवा के काम को अंजाम दे देती। परंतु मैं इस सत्य को भली भांति जानती हूँ की सरकारी कार्यालयों में काम की अधिकता है । और इसी अधिकता से कभी कभी किसी काम को पूरा होने में समय लग जाता है। परंतु काम फिर भी होता रेहता है, होता रहेगा और मेरा योगदान सदैव ही हर कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता रहेगा।

****

हिन्दी ही हिन्द का नारा है,
प्रवाहित हिन्दी धारा है,
लाखों बाधाएँ हो फिर भी,
नहीं रुकना काम हमारा है।

दो गजलें

राजीव कुलश्रेष्ठ
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक
भारतीय खान ब्यूरो, नगापुर

<u>त्रासदी</u>

इस सदी के आदमी की त्रासदी, मत पूछिए,
क्या कहेगी इस सदी को वह सदी, मत पूछिए।
बेबसी की बेटियाँ भी ब्याह बिन बूढ़ी हुईं
टूटकर बिखरे सुनहरे ख्वाब क्यों, मत पूछिए।
विषनगर में हर तरफ बस विषधरों का वास था,
प्रेम की दो बूँद खातिर क्यों जिए, मत पूछिए।
हर कदम पर राह में उसको तो काँटे ही मिले,
किस तरह खुद को बचाया फूल ने, मत पूछिए।
पाँच को कल सात करके आज उसने छः किया,
कर रहा है आप पर अहसान क्यों, मत पूछिए।
बेजुबां की बात सुनकर 'राज' भी हैरान है,
क्यों नमक छिड़का किसी ने जख्म पर, मत पूछिए।

<u>आधार</u>

दोस्त की रूसवाइयाँ देखीं, दुश्मनों का प्यार भी देखा,
मुस्कुराहट के चुभे काँटे, आँसुओं का हार भी देखा।
आज के महंगे जमाने में प्यार भी तो हो गया महंगा,
कौड़ियों में बिक रहा है दिलखैर यह संसार भी देखा।
ओढ़कर चादर अंधेरों की, छा गया मुझ पर अकेलापन,
कह रहीं खुशियाँ खुदा हाफिज, प्यार का व्यापार भी देखा।
आपकी बदनामियों का डर इस कदर हावी रहा हम पर,

हड़बड़ाई नींद ख्वाबों में, आपका दीदार ही देखा।

भेड़िया हो सामने तो हम भेड़िए का सर कुचल देंगे
भेड़ के ही भेष में हमने भेड़िया खूँखार भी देखा।
क्या कहें कैसे कहें तुमसे, कुछ कहा भी तो नहीं जाता,
'राज' इनसे पूछिए तुमने, क्या कोई आधार भी देखा.

****

सारे संसार में भारत ही एक अभागा देश है जहाँ सारा कारोबार एक विदेशी भाषा में होता है । हम संकल्प लें कि हम सभी स्वदेश, स्वराज्य और स्वभाषा का सम्मान करेंगे ।

- महात्मा गाँधी

हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही
जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी।

- सी. राजगोपालाचारी

आज के बच्चे

सुनील कुमार शर्मा
सहायक खनिज अर्थशास्त्री (आ.)
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

आज के बच्चे भी गजब ढाते हैं, माता-पिता की नाक मे दम कर जाते हैं।
शैतानी, चिल्लाना और जिद्द करना, इनके मन को भाता है।
कहना मानना और शांत बैठना, इन्हें नहीं आता है।
किसी भी तरह नाटक करके, अपनी मांगे पुरी मनवाते है।
इनकी फरमाइश पुरी नही होने पर, माता-पिता से Sorry बुलवाते हैं।
आज के बच्चे भी गजब ढहाते हैं, माता-पिता की नाक में दम कर जाते हैं।

मोबाइल और लेपटॉप चलाने का करते रहते हैं प्रयास,
गिल्ली, डन्डा और सितौलिया खेल बन गए हैं इतिहास ।
सिरदर्द हो जाता है, जब इन्हें प्यार से समझाते हैं ।
पुरी बात सुनकर भी अनसुना कर जाते हैं ।
आज के बच्चे भी गजब ढहाते हैं, माता-पिता की नाक मे दम कर जाते हैं।

समझ में नहीं आता हैं, कैसे इन्हें समझाएं ।
साम, दाम, दण्ड, भेद के सारे हत्थकण्डे थे अपनाएं ।
किसी ने सुझाया, बच्चे को उसकी ही भाषा में समझाओ
प्यार-दुलार से नैतिक मूल्यों का तुम पढ़ाओ ।
मैंने भी प्रण लिया, बच्चों को उन्हीं की भाषा में समझाऊँगा,
नहीं तो पिता होने का कर्तव्य कैसे निभा पाऊँगा ।

मैंने कहा - बेटा तुम्हें सभी वस्तुएं पसन्द की मिल जाती है ।
सारी फरमाइशें भी झट से पुरी हो जाती हैं ।
स्वयं को भाग्यशाली समझो, हमें परिजन के रुप में पाकर,
बहुत प्यार-दुलार तुम्हें मिल रहा है हमारी संतान बनकर ।

बच्चे बोले - आप भी धन्य हो गए हो हम जैसी संतान पाकर,
नहीं तो किसे प्यार, दुलार देते और बोर हो जाते अकेले रहकर ।
यदि हम नहीं होते, तो बेटा-बेटी कहकर किसे पुकारते
गोद आपकी सूनी रहती और कान मम्मी-पापा सुनने को तरस जाते।

मैंने कहा बच्चो, मेरी बात तुम अभी नहीं समझ पाओगे,
तुम भी भुगतोगे फिर समझोगे जब बड़े होकर माता या पिता बन जाओगे ।
उस समय बेबस होकर, तुम बस यही कह पाओगे,
आज के बच्चे भी गजब ढाते हैं, माता-पिता की नाक मे दम कर जाते हैं।

****

जन-जन की आशा है हिंदी,
भारत की भाषा है हिंदी।

राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है।
- महात्मा गांधी

दरअसल

प्रदीप कुमार सिन्हा
हिंदी टंकक
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

लोग कहते हैं कि बारिश है,
दरअसल ख्वाबों की ख्वाहिश है।

आधुनिकता तुम जिसे कहते,
बेसबब भद्दी नुमाइश है।

आप हमको भूल मत जाना,
आपसे इतनी गुजारिश है।

रात कितनी भी अंधेरी हो,
भोर की फिर भी गुंजाइश है।

सिलसिला चलता रहे यूं ही,
बस यही तो आजमाइश है।

****

अंग्रेजी भारत के लिए उपयोगी है,
लेकिन हिंदी भारत के लिए जरूरी है ।

इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स के लाभ एवं हानि -

विनय कुमार सक्सेना
व. पु. एवं सूचना सहायक
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

विचार बिन्दु:

1. मानव जीवन में इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स का इतिहास, इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स से आशय, प्रकार
2. इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स का आधुनिक मानव जीवन में प्रवेश एवं आवश्यकता
3. इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स के मानव जीवन में लाभ और उन्नत जीवन जीने का साधन
4. इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स के मानव जीवन पर दुष्प्रभाव व हानियां
5. उपसंहार - इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स का बुद्धिमत्तापूर्व प्रयोग इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स मानव जीवन के लिए है, मानव जीवन इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स के लिए नहीं, उन्नत जीवन में इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स एक श्रेष्ठ सेवक है किन्तु उसका मानव जीवन पर हावी होना ही नहीं, आने वाली पीढ़ी को उसका सदुपयोग सिखाना होगा ।

   ''इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स ने मानव जीवन को रूपांतरित कर दिया है, 21वीं सदी सही मायने में इलेक्ट्रोनिक युग की सदी है, जिसने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए हैं''

   ''आधुनिक तकनीकी का मानव जीवन पर प्रभाव'' योजना पत्रिका से मानव जीवन का इतिहास देखा जाए तो 18वीं सदी से 19वीं सदी में इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स अपनी शैशवास्था में दिखाई देते हैं चाहे फिर वह ग्रामोफोन, चलचित्र, विद्युतीय

घड़ियाँ आदि पर शनैःशनैः समय के साथ एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन जब आया जब इलेक्ट्रोनिक जगत में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ इस आविष्कार ने इलेक्ट्रोनिक जगत को तेजी से गतिमान कर दिया अपितु इलेक्ट्रोनिक गॅजेट्स को सही अर्थों में इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स में रूपांतरित कर दिया । इस छोटी सी ट्रांजिस्टर डिवाइस ने आगे आकर जब सूक्ष्मता की ओर कदम बढ़ाया और एक छोटे से 'चिप' में जब इलेक्ट्रोनिक युग ने प्रवेश किया तो मानों इलेक्ट्रोनिक संसार में विस्फोटसा हो गया परिणामस्वरूप इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स की बाढ़ सी आ गई । आज वर्तमान में इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स विभिन्न प्रारूप जैसे - मोबाईल फोन, आईपैड, लेपटॉप, टी.वी., कम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक घड़ी रेडियो(ट्रांजिस्टर) आदि में हमारे जीवन में दृष्टिगत होते हैं । अगर यह कहा जाए कि "मानव जीवन की सुबह इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स के साथ होती है और मानव जीवन की रात इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स के साथ समाप्त होती है तो अतिश्योक्तिपूर्ण ना होगा।"

इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स से आशय -"इलेक्ट्रोनिक प्रविधि से संचालित उपकरणों को इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स के रूप में जाना जाता है।"

(ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार)

दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रोनिक प्रौद्योगिकी में जिस तरह से निरंतर प्रयोगशीलता के चलते यह प्रौद्योगिकी हर हाथ में समा गई है उस इलेक्ट्रोनिक प्रविधिसे निर्मित गॅजेट्स इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स कहलाते हैं ।

इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स का मानव जीवन में प्रवेश पूर्व में इतना सुलभ नहीं था जितना आज । आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आवश्यक संवाद को करने से लेकर सूचना के आदान-प्रदान तक, मनोरंजन में इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स आवश्यक है । जैसा कि कहा गया है ना कि "आवश्यकता आविष्कार की जननी है" और उस उक्ति को इस क्षेत्र में भी चरितार्थ किया है और इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स ने निश्चित रूप से मानव जीवन को उन्नत व सरल बना दिया है । इतिहास में जो राजसी सुविधा राजाओं को भी नसीब नहीं होती व सुविधा व मनोरंजन जन-सामान्य को इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स से सुलभ हुआ ।

इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स में मानव जीवन इस तरह ओत-प्रोत हो रहा है कि यह गॅजेट्स मानव जीवन की धुरी बनाते जा रहे हैं / इसके लाभों को यदि आकलित किया जाए तो कुछ इस तरह होगा :-

1. मानव जीवन को सरल बना दिया है ।
2. संपूर्ण विश्व को एक ग्लोबल विलेज में बदल दिया है ।
3. शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है ।
4. सूचनाओं को अद्यतन रखने में सहायक हो गया है ।
5. रेलवे, बैंकिंग एवं अन्य सुविधाएं मानों जेब में समा गई हैं ।
6. कम्यूनिकेशन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है ।
7. मनोरंजन के क्षेत्र में एक मायाजाल सा रच दिया है ।
8. चिकित्सा के क्षेत्र में जेसे - हृदय का पेसमेकर, शरीरिक परीक्षण की डिवाइस आदि से मूलभूत परिवर्तन आया है ।
9. संसार की संपूर्ण जानकारी अंगुलियों के टिप पर हैं ।
10. बच्चों को तेजी से सीखने में एक उत्तम डिवाइस है ।

इस तरह से इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स ने मानव जीवन को अत्याधुनिक उन्नत बना दिया है। मावन जीवन के जीने का एक अनिवार्य साधन बन गया है ।

जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं तो इससे इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स का संसार भी अछूता नहीं है और इसका दूसरा पक्ष, स्थाह पक्ष हानि के रूप में सामने आ रहा है । इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स से होने वाली हादियाँ कुछ इस तरह हैं :-

11. मानव जीवन में सामाजिकता का अभाव होता जा रहा है ।
12. मानव जीवन आभासी दुनिया में जीने लगा है ।
13. मनोवैज्ञानिक रोगों में बढ़ोतरी हो रही है ।
14. बच्चों में हायपर एक्टिविटी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं ।
15. शारीरिक श्रय का अभाव होता जा रहा है जिससे अनेक रोग जो श्रम के अभाव में बढ़ते हैं - हृदय रोग, मधुमेह आदि में बढ़ोत्तरी ।
16. मूलभूत शिक्षा में बच्चों की एकाग्रता भंग हो रही है ।

17. सूचनाओं के तेजी से आदान-प्रदान से अफवाहों से दुर्घटनाएं घट रही हैं ।
18. आतंकवादी इन डिवाइस की सहायतसे बम विस्फोट आदि को अंजाम देते हैं ।
19. गुप्त महत्वपूर्ण सूचनाएं (विशेषकर देश सुरक्षा से संबंधित) लीन होने की संभावना बढ़ती जा रही है ।
20. अनिद्रा, अवसाद, अकेलेपन की समस्याएं तेजी से बढ़ी है ।
21. विकिरण के चलते कई रोग कैंसर आदि में बढ़ोतरी देखी गई है ।

उपरोक्त हानियाँ इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स से तीव्रता से हो रही है ।

निष्कर्ष: इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स का अंधाधुंध प्रयोग मानव जीवन के लिए आत्मघाती कदम ही साबित होगा । विशेषकर नयी पीढ़ियों को इसके दुष्प्रभाव से अवश्चय बचाना होगा क्योंकि पिछले एक दशक में इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स जिस तेजी से उपयोग में आए हैं चिंताजनक है । हमें यह विस्तृत नहीं करना है कि जिस तरह विज्ञान के लिए कहा जाता है ना कि - "विज्ञान एक श्रेष्ठ सेवक है, परंतु बुरा मालिक है" ठी यही उक्ति इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स चरितार्थ होती है ।

मानव ने आग का आविष्कार किया यूं कहें कि अग्नि का सदुपयोग सीखा और माचिस के रूप में जेब में स्थान दिया उससे वह अपना भोजन पकाता है उसका सदुपयोग करता है अपना नहीं जलाता ठीक इसी तरह इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स के लाभ व हानि का न्यायपूर्ण विश्लेषण कर उपयोग करने की आवश्यकता है ।

इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स के निर्माण में अग्रणी जापान ने इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स के एक प्रकार इलेक्ट्रोनिक केलकुलेटर पर सर्वप्रथम वहां के विद्यालयों में प्रतिबंध लगाया क्योंकि वहां की छात्र पीढ़ी को सामान्य सी गणना के लिए उसपर निर्भर होना पड़ रहा था । जापान वह पहला देश बना जिसने इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स के प्रयोग को बच्चों से दूर रखा उसके लिए प्रतिबंध लगाया । सही मायने में इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स के बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग पर बल दिया । मानव जीवन में इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स महत्वपूर्ण है पर उसका इस्तेमाल अभी सीखना शेष है ।

हमें यह विस्तृत नहीं करना चाहिए कि मानव जीवनके लिए इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स क एक साधन है, साध्य नहीं जब भी साधन को साध्य के रूप में माना गया तब-तब उसके दुष्परिणाम मानव पीढ़ियों ने झेले हैं ।

अंत में इन पंक्तियों के साथ कि -
मानव जीवन उन्नत हो जिससे
वह है साधन नहीं,
मानव जीवन में दु:ख आए
वह सही साधन नहीं
तकनीक गढ़ता है मानव
सुख की वृद्धि के लिए
जहाँ मानव जीवन खतरे में हो
वह सही राह नहीं, वह सही राह नहीं ---------

मानव सभ्यता ने सदैव तकनीकों का सही आकलन कर वर्तमान तक विकास के नवीन प्रतिमान गढ़े हैं, यह संक्रमण काल है तो लगता है भटक गया है पर सही राह जरूर पकड़ेगा एक दिन यह मानव की यह तकनीक यह विज्ञान इस आशा के साथ कलम को विराम देता हूँ ।

सर्वे: भवंतु सुखिन

****

हर भारतीय की शक्ति है हिंदी,
एक सहज अभिव्यक्ति है हिंदी ।

''इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स के लाभ एवं हानि''

हिंदी निबंध प्रतियोगिता (तकनीकी), हिंदी पखवाड़ा -2016 (हिंदीत्तर भाषी वर्ग)

एन. बी. नागदेवते

व. त. सहायक (खनन अभि॰)

भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

परिवर्तन प्रकृति का नियम है । जैसे - जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल मानव की आधुनिक जीवनशैली का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है । मानव समाज द्वारा अपनी दैनदिन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नये- नए आविष्कार किए गए उसमें से मुक्त आर्थिक अर्थव्यवस्था में बाजारवादी सोच पनपने के साथ इसके इस्तेमाल भी खूब बढ़े हैं। वर्तमान समय में इलेक्ट्रोनिक वस्तुएं जैसे लेपटॉप कंप्यूटर मोबाइल, इंटरनेट एवं उस पर आधारित सोशल मिडिया इसके चर्चे आजकल बहुत चर्चे आजकल बहुत सुनाई देते हैं ।

इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स आधुनिक जीवनशैली का एक हिस्सा है । इसके लाभ के तौर पर यदि देखा जाए तो इसके उपयोग के कारण पारदर्शिता विशेषकर सरकारी कामकाज में बढ़ी है । पहले जहा विज्ञापन एक मेनुअल आवेदनों के आधार पर कार्य होते वही आज लगभग सभी कार्य ऑनलाईन होने लगे हैं । इससे लाभ यह हुआ कि पहले जहाँ हर एक कार्य लंबा खींचता था वही कार्य अब शीघ्र पूरा हो जाता है यह आम जनता को वह कार्य कौन से पड़ाव पर है, कि जानकारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा उनके ई-मेल पर भेज दी जाती है । इसका लाभ सर्वाधिक आयकर विभाग एवं रेलवे जैसे विभागों द्वारा लिया जा रहा है । पहले की जीवनशैली एक सीमित सोच पर आधारित थी, विशेषकर भारतीय समाज की ओर देखें तो 1990 के दशक के बाद तत्कालिक वित्तमंत्री श्री मनमोहन सिंह जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को मुक्त व्यापार

अर्थव्यवस्था के रूप में बदलाव किया गया । इसका असर सन 2000 दशक के बाद दिखाई देने लगे । कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में सूचना तकनीकी की बुनियाद स्वर्गीय श्री राजीव गाँधी ने जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनके द्वारा रची गई थी और उनमें श्री सैम पित्रोदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही । यह वर्तमान दशक 2010 के बाद का दशक पूरी तरह से इलेक्ट्रोनिक्स आधार के युग पर ही चल रहा है । हर एक साधन के दो पक्ष होते हैं । यानि कोई सूचना किसी के लिए लाभकारी होती है वहीं वह दूसरे पक्षकारों के लिए हानिकारक हो सकती है । इसलिए मेरा व्यक्तिगत यह मानना है कि इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स के लाभ एवं हानि पर स्पष्ट तौर पर लक्ष्मण रेखा नहीं खींची जा सकती है । वर्तमान युग में सभी तरफ का ज्ञान का भंडार बढ़ रहा है । चीजों व्यापार भी इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स के द्वारा जैसे ऑनलाईन शॉपिंग बगैरह भी धड़ल्ले से चालू है ।

जैसे कि उपर्युक्त में ऑनलाईन शॉपिंग का उल्लेख किया गया है कि इसका सबसे बड़ा लाभ है कि आप घर में बैठे-बैठे कोई भी मन पसंद वस्तुअपने घर पर मंगवा सकते हैं । वह वस्तु तय सीमा के अंदर आपके पास पहुच भी जाती है । मगर इसमें सतर्कता नहीं बरती तो यही बात हानि में बदल जाती है । जैसे एक महोदय द्वारा मोबाईल फोन के स्थान पर पत्थर का टूकड़ा पैकिंग करके भेजा गया था । इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स का उपयोग करते समय सतर्कता एवं सावधानी बरतना बहुत जरूरी है । आज के दौर में बैंकों के द्वारा ए.टी.एम. मशीन द्वारा रूपयों का व्यवहार किया जाता है जिसमें उपभोक्ता या ग्राहक को ए.टी.एम. कार्ड और उसको संचालित विधि एक पासवर्ड के आधार पर संचालित होती है । यहां तक रूपए पैसे का व्यवहार पूर्ण रूप से सुरक्षित और लाभ ही लाभ के श्रेणी में आएगा क्योंकि उपभोगता या ग्राहक अपना मूल्यवान समय की बचत करता है । उसको लंबी-लंबी कतार में खड़े रहने की जरूरत नहीं है खासकर वरिष्ठ नागरिक या जो विवकलांग हैं उनके लिए यह व्यवस्था वरदान से कम नहीं है ।

अब दूसरे पक्ष यानि ए.टी.एम. में हानि किस तरह होती है इसपर दैनिक समाचार पत्रों के न्यूज में अक्सर ऐसे समाचार पढ़ने के लिए मिलते हैं जिसमें संबंधित व्यक्ति या ग्राहक के मोबाईल पर झूठी मैसेज जो कि लालच भरा होता है के द्वारा कुछ समाज विरोधी लोग उस अंजान ग्राहक को झांसे में लिए जाते हैं । वह भी झांसे में आकर अपनी गोपनीय सूचना उनके दिए गए मोबाईल या ई-मेल पर साझा करते हैं और नतीजतन उन्हें लाखों की चपत लग जाती है ।

इसलिए मेरा स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि इलेक्ट्रोनिक्स माध्यमों के जरिए पैसों का लेन-देन करते समय अत्यधिक सावधानी एवं सतर्कता बरती जाए तो यह माध्यम लाभ ही लाभ देगा लेकिन जरा सी लापरवाही के कारण यह बड़ा हानिकारक हो सकता है । इस माध्यमों का व्यावहारिक संचालन करते समय संचालित सूचना जो उपरोक्त माध्यमों पर एक परिक्रियात्मक तरीके से होती है को ही अपनाया जाना चाहिए ।

अब बात आती है इंटरनेट और सोशल मिडीया की उपरोक्त मिडीया कंप्यूटर लेपटॉप और मोबाईल पर अपनी सेवाएं दे रहा है अब चूँकि सभी तरफ सूचना क्रांति का दौर है । नेटीझंस के द्वारा फेसबुक और ट्यूटर का भी जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप अपनी बात बिना किसी दबाव या पूर्वग्रह सोच के निर्भिक होकर जनता या सामान्य जन तक पहुंचा सकते हैं और उसपर उनकी प्रतिक्रिया भी मंगा सकते हैं । इसमें लाभ यह होता है कि आपके द्वारा रखे गए मत से सरकार या समाज की कोई समस्या का समाधान निकल आए । इसका ज्वलंत उदाहरण अभी हाल के दिनों ओडिशा के कालाहंडी जिले में एक गरीब सख्स के द्वारा पैसे के अभाव में 12 किलोमीटर तक अपनी पत्नी का शव खुद कंधे पर ढोना पडा । सोशल मिडिया तक जैसे ही यह बात पहुंची तत्पश्चात वहां के प्रशासन द्वारा उस व्यक्ति तुरंत की गई ।

अब इसका दूसरा पहलू भी देखते हैं यदि सोशल मिडिया का नेतृत्वसही लोगों के हाथ में है तबतक ठीक है लेकिन जैसे ही कोई समाज विघातक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा विशेष वर्ग को ठेस पहुंचाने या कुछ धार्मिक आधार पर उल्टीसीधी बातों के कारण मामला बिगड़ भी जाता है । इसका उदाहरण वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य के काश्मीर प्रांत में देखने को मिला । वहां पर अशांति की वजह से मोबाईल और इंटरनेट सेवा को निलंवित करने की नौवत आ गई ।

इसलिए जो भी इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स या उनके चलाने वाले माध्यम अपने आपको नियंत्रण में रखेंगे तबतक उनके लाभ ही लाभ दिखाई देंगे । इसका मतलब कदापि नहीं है कि सरकारी दखलंदाजी को यह मिडिया खुद तय करे और कौन सी सूचना कंटेंट के आधार पर सही है या गलत और उसपर समाज के हर वर्ग पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन स्वयं करें । सावधानी और सतर्कता ही सबसे बड़ा लाभ है और यदि इसके उपयोग में जरा भी लापरवाही बरती तब हानि ही हानि नजर आएगी । अत: यह उस व्यक्ति विशेष के ज्ञान परिपक्वता और सोच के आधार पर ही इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स की लाभ और हानि निश्चित हो सकती है और अंतत: मेरे विचार से इलेक्ट्रोनिक्स गॅजेट्स के लाभ और हानि एक ही सिक्के के दो पहलू है । सवाल है सिक्का किसी तरफ भी उछाले उन माध्यमों का उपयोग करते समय अतिरिक्त सावधानी और सतर्कता जरूर बरतें ।

****

हिंदी का राजभाषा के रूप में भविष्य

[प्रथम क्रमांक से पुरस्कृत हिंदी निबंध (सामान्य)] (हिंदी भाषी)

सत्यानंद पाण्डेय

व. पु. सूचना सहायक

भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

भूमिका - "हिंदी पर है हमें अभिमान । आओ करें राजभाषा का सम्मान"

हिंदी हमारी राजभाषा है । हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है । एक सच्चे देश भक्त को प्यारी उसे देश की मिट्टी तथा उसकी एकता लगती है । 14 सितंबर, 1949 को हिंदी भाषा दिया गया और सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि हिंदी को उचित सम्मान देते हुए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए । वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो हिंदी को अभी तक वह दर्जा नहीं मिला जिसकी वह सच्ची अधिकारिणी है । हिंदी भाषा का इस्तेमाल दुनिया भर में विश्व की तीसरी बड़ी बोली जानेवाली भाषा के रूप में हो रहा है । इस तथ्य पर विचार करने की अत्यंत आवश्यकता है कि हिंदी का राजभाषा के रूप में भविष्य क्या है ? क्या सिर्फ राजभाषा बनाए रखने से ही हम इसे उचित सम्मान दे पा रहे हैं या हिंदी पर हमें अति विशिष्ट ध्यानाकर्षण की आवश्यकता है।'

राजभाषा के रूप में हिंदी : हिंदी का राजभाषा के रूप में स्थापना करना एक सराहनीय कार्य है । एक तरु यह कहा जाता है कि हिंदी राजकाज की भाषा है वहीं हम सिर्फ हिंदी भाष में ही काम करें ऐसी इच्छा नहीं जाहिर होती । हमें हमेश दो भाषाओं का सहारा लेना पड़ता है । हिंदी को राजभाषा के रूप में सम्मान दिया जाना अति आवश्यक है लेकिन क्या हम इस बात पर गंभीर हैं कि भाषा का सीधा संबंध जनमानस से है । जबतक जनता को यह समझ में नहीं आएगा कि हिंदी का ज्ञान प्राप्त करना सिर्फ आम बोल चाल का ही नहीं वरना नौकरी के लिए भी अति आवश्यक है, तब तक सच्चे अर्थों

में वह इस बात पर विचार करेंगे कि हिंदी से ज्ञान का प्रकाश फैलाना दैनिक कार्यों के साथ कार्यालयों के कार्यों में भी वांछनीय क्या हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि राजभाष बनाए जानेके बाद भी हिंदी को लेकर हमारी सोच में कोई परिवर्तन हुआ है? सरकारी कामकाज के अलावा क्या निजी क्षेत्रों में भी हिंदी को वह उचित सम्मान मिला है । देखा जाए तो नहीं निजी क्षेत्रों में अभी भी अंग्रेजी का ही बोलबाला है । क्या यह हिंदी का राजभाषा के रूप में अपमान नहीं है कि सिर्फ राजभाषा के रूप में अपमान नहीं है कि सिर्फ राजकाज के कार्यों में हिंदी का उपयोग करना उचित है । हिंदी समूचे भारतवर्ष की भाषा है ।

राजभाषा के नाम पर तो यह भी देखा जा रहा है कि सिर्फ हिंदी के शीर्षक के साथ अंग्रेजी की ही सामग्री प्रस्तुत की जा रही है । कई बार तो अंग्रेजी के शब्दों को ज्यों का त्यों ही इस्तेमाल कर लिया जाता है । या उन्हें सीधे - सीधे देवनागरी में लिख दिया जाता है क्या यह है राजभाषा हिंदी का सम्मान।

'हिंदी से जुड़े जब अपना मन भाषा
रूपी कमल खिले मुस्काए जन - जन का मन'

हिंदी का राजनीतिकरण : यह बात भी विचार योगय है कि राजभाषा होते हुए भी गैर हिंदी प्रदेशों में हिंदी को उचित सम्मान नहीं मिलता इसके पीछे वहां के लोगों का अपनी मातृभाषा में अधिक रूचि लेना है । हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ने पर वे इसको अपने काम काज के लिए अयोग्य मानकर अंग्रेजी में ही काम करना चाहते हैं । यह कहां तक उचित है । यदि हिंदी राजभाषा है तो राजकीय सम्मान का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और नकरी देते समय अमुख व्यक्ति का हिंदी ज्ञान अवश्य ही परख लेना चाहिए। यह कार्य अत्यंत आवश्यक है ।अत: यह नीति लागू होने पर कोई भी व्यक्ति पहले हिंदी भाषा में पारंगत होगा और बाद में शासकीय सेवा करने के बारे में सोचेगा । उसके बहाने स्वत: ही बंद हो जाएंगे कि उसे हिंदी ठीक से नहीं आती क्योंकि जब बात रोजी रोटी की आएगी तो सभी को हिंदी में योग्यता विकसित करनी पड़ेगी तभी वे मूल

रूप से हिंदी में काम करेंगे और हिंदी को सही अर्थों में राजभाषा का रूप प्राप्त होगा जिस तरह से अंग्रेजी हावी होती जा रही है उस प्रकार यह बहुत ही मुश्किल है कि हिंदी अपने चरम पर पहुंचेगी या नहीं । नियम बनाकर शायद हमारे नेतागण जनता विरोधी नहीं बनना चाहते क्योंकि हिंदी फिर ऐसे राजनीतिकरण के चक्रव्यूह में फंस जाएगी कि भाषायी विरोध राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए । पिछले समय में हुए ऐसे कई विरोधों के कारण हिंदी को अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता जबकि यह भारतभूमि के एक बड़े भूभाग पर बोली जाने वाली, साहित्य से समृद्ध जनप्रिय भाषा है । हिंदी का राजभाषा के रूप में भविष्य सुरक्षित करने के लिए इसे राजनीति से पृथक करके देखना चाहिए । हिंदी जन मानस की भाषा है । भारत में हजारों हिंदी फिल्में प्रतिवर्ष बनती है तथा करोड़ों रूपया कमाती हैं । इतना ही नहीं विदेशी तथा भारत की अन्य भाषाओं की फिल्मों को हिंदी में रूपांतरित कर दिखाया जाता है । प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म जुरासिक पार्क को जब हिंदी में डव करके प्रदर्शित किया गया तो उसने कमाई के रिकॉर्ड बना लिए । भारत में इसकी कमाई उसकी वैश्विक कमाई से भी कहीं अधिक है । क्या यह इस भाषा का कमाल नहीं है जो कवियो, लेखकों को प्रेरित करती है । पूरे विश्व में भारतीयों तथा प्रवासी भारतीयों द्वारा बोले जाने के कारण हिंदी विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है क्या यह इस बात के लिए पर्याप्त नहीं है अब इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दे देना चाहिए ।

समर्थ हिंदी सक्षम हिंदी : कुछ लोगों का यह मानना है कि हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग करना ही पड़ता है । यह उनकी एक मजबुरी है कि हिंदी में तकनीकी शब्दोंका अभाव है अत: हमें अंग्रेजी का सहारा लेना ही पड़ेगा । अभी कुछ ही दिनों पहले समाचार पत्र में खबर प्रकाशित की गई कि मध्य प्रदेश के एक विश्वविद्यालय ने हिंदी माध्यम से अभियांत्रिकी की पढ़ाई कराने का निश्चय किया है । उन्होंने पाठ्यक्रम भी तैयार किया है और यह मानाहै कि यदि एक विद्यार्थी भी प्रवेश लेता है तो उसे भी पढ़ाई करवाई जाएगी । क्या यह सराहनीय कदम नहीं है ? क्या हमें उनका स्वागत नहीं करना चाहिए ? अवश्य करना चाहिए । जो लोग हिंदी की क्षमता पर सवाल उठाते हैं उन्हें जान

लेना चाहिए कि हिंदी भारत की एक सक्षम भाषा है । इसका शब्दकोश अतिविस्तृत है । यह एक समर्थवान भाषा है । इसका विकास बहुत ही लंबे समय से निरंतर हो रहा है । यह बहुत ही सहिष्णु है । इसने अनेकानेक भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर समाहित किया और स्वयं को यथायोग्य समर्थ बनाया । रही बात हिंदी को तकनीकी शब्दावली से परिपूर्ण करना तो यह परम आवश्यक है कि इस दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोग यह प्रयास करें कि हिंदी दी शब्दावली को परिपूर्ण बनाने में वह हमेशा अपना योगदान दें । अंग्रेजी शब्दों का ज्योंका त्यों हिंदी में रूपांतरण करने की बजाय उनके लिए यथोचित अर्थ ढूंढकर मानक शब्दावली बनाई जाए । इसका शुभारंभ तभी होगा जब हिंदी भाषा में तकनीकी विषयों का शिक्षण शोध तथा लेखन आरंभ होगा। शिक्षा तथा शोध क्षेत्र से जुड़े लोगों पर यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वे अपने ज्ञानार्जन के साथ - साथ भाषा को समृद्ध करने का कार्य करें । यदि यह परंपरा चल पड़ी तो हिंदी का कार्य । यदि यह परंपरा चल पड़ी तो हिंदी का कार्य करना आसान हो जाएगा और हिंदी में काम करने से कोई आंख नहीं चुराएगा ।

हिंदी राजभाषा भविष्य की संभावनाएं : यह एक अति संवेदन शील पक्ष है कि राजभाषा के रूप में हिंदी का भविष्य कैसा होगा । यह निश्चय ही अच्छा होगा परंतु हमें हिंदी भाषा के प्रति सजग और सचेत होने के आवश्यकता है । विश्व में अनेक छोटे देशों की स्थिति देखें तो उन्होंने दूसरे देशों की भाषाओं का गुलाम बनने की बजाय अपनी भाषा को इस प्रकार विकसित किया कि वह उसके माध्यम से शिक्षा, शोध तथा लेखन कर वैज्ञानिक प्रगति का हिस्सा बने । यह बात मानने कि है कि हम हमेशा अपनी भाषा में ही सोचते हैं । हम अपनी संस्कृति तथा समाज के अनुरूप घटनाचक्रों को जोड़कर भाषा रूपी लेखनी को इस्तेमाल कर अपने विचारों को पहले अपने मानस पटल पर उतारते हैं ओर फिर मॉडर्न दिखने की चाहत में उन भावोंका अंग्रेजी में अनुवाद कर उसे कागज पर भी उतार देते हैं । क्या यह सही है । जब हम सोचते हिंदी में हैं तो लिखते हिंदी में क्यों नहीं । हिंदी में लिखने पर हमें शर्म क्यों आती है क्याये हमारी अंग्रेजी के प्रति गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है हम उसे अपनी भाषा से श्रेष्ठ

समझते हैं और यही कारण है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में होते हुए भी प्रतिपल अपने ही लोगों से द्वंद करते हुए अपनी उपयोगिता को स्वयं ही सिद्ध करना पड़ता है । हिंदी का राजभाषा के रूप में भविष्य उज्ज्वल है, बस जरूरत है तो कुछ सटीक प्रयासों की । वे प्रयास इस प्रकार हो सकते हैं जिस प्रकार हम बाल्यावस्था में अपने बच्चे को अन्य कार्यों के लिए संस्कारित करते हैं उसी प्रकार हमें उन्हें भाषायी दक्षता के लिए भी संस्कारित करना होगा ।

हिंदी भाषा में बोलना और लिखने सम्मानजनक है । उनका रहन - सहन, आचरण चाहिए ताकि बचपन में जो हिंदी रूपी बीज हम बोए उसकी छाया वृक्ष रूपी हिंदी भाषा के रूप में इतनी घनी हो कि पड़ोसियों के घर तक भी जाए । ये ही बच्चेबड़े होकर हिंदी को उचित सम्मान देंगे तथा राजभाषा हिंदी को समुचित रूप से इस्तेमाल करेंगे तत्पश्चात इसकी उत्तरोतर वृद्धि होगी । दूसरा विचार यह है कि सरकार की नीतियां राजनीति से प्रेरित न होकर राष्ट्रीयता से प्रेरित होनी चाहिए जिसमें सिर्फ हिंदी दिवस मनाना या पखवाड़ा मनाना नहीं हिंदी को जन मानस के मानस पटल पर उतारने वाली होनी चाहिए । यह स्पष्ट होना चाहिए कि हिंदी हमारी राजभाषा है और इसका इस्तेमाल सभी को अनिवार्य रूप से करना चाहिए । राष्ट्रीय स्तर पर समान शिक्षा नीति, भाषायी कुशलता का विकास तथा सर्वमान्य हिंदी का विकास, सरकार के हिंदी निदेशालय द्वारा उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम होने चाहिए । केवल सरकार कामकाज में हिंदी भाषा के प्रयोग को ही नहीं बल्कि गैर सरकारी और निजी क्षेत्रों को भी हिंदी के मानक स्वरूप में काम काज के लिए दिशा-निर्देश दिए जाने चाहिए ओर उसकी देखरेख करने का प्रावधान बनाना चाहिए । हिंदी जन-जन की भाषा है । अत: जन-जन तक सर्वमान्य बनाना, उसको सर्व स्थिति योग्य बनाकर राजभाषा के साथ-साथ राष्ट्रभाषा के परम पुनीत पद पर सुशोभित करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए तभी हम सच्चे अर्थों में हिंदी का कल्याण कर सकते हैं ।

****

हिंदी का राजभाषा के रूप में भविष्य

हिंदी निबंध प्रतियोगिता (प्रशासनिक), हिंदी पखवाड़ा -2016 (हिंदीत्तर भाषी वर्ग)

मंजूषा नेमाड़

सहायक भंडारपाल

भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

हिंदी शब्द सुनते ही कुछ अपना सा तो जरूर लगता है, जैसे कोई अपनी करीबी भाषा हो, लेकिन क्या हमने उसे सही में अपनापन दिया है? क्या उसे सही में, सही अर्थ में अपनाया हे । मेरे विचार से तो नहीं, क्योंकि अगर हमने उसे सही अर्थ में अपनाया होता तो हिंदी भाषा का राजभाषा के रूप में भविष्य में इस विषय पर हमें निबंध लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी ।

हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के बाद भी क्यों हमें उसके भविष्य के बारे में सोचना पड़ रहा है । मेरे ख्याल से हिंदी का राजभाषा के रूप में भविष्य खतरे में है । क्योंकि अगर ऐसे नहीं होता तो अंग्रेजी भाषा को इतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती । अंग्रेजी भाषा ही आजकल सब लोगों की फैशन बन रही है । अगर अंग्रेजी भाषा को इतना महत्व दिया गया तो क्या राजभाषा अंग्रेजी ही नहीं माननी पड़ेगी । हिंदी भाषा में कोई अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता, कोई मजबूरी में ही हिंदी स्कूल में डालता है । क्या ये अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व हमारी हिंदी भाषा को कठिनाई में नहीं डाल रहा है?

सरकारी ऑफिस में हिंदी की संख्या बढ़ाने के लिए कहा जाता है । अगर हिंदी अपनी राजभाषा है तो कम से कम सरकारी ऑफिस में तो हिंदी भाषा को ही लागू करना चाहिए । स्कूलों में हिंदी को एक मुख्य विषय के रूप में पढा़ ना चाहिए । हिंदी हमारी

पहचान है । हिंदी हमारा गर्व है उसे ऐसे मजबूरी के रूप में नहीं अपनाना चाहिए । उसे अंगीकार करना चाहिए ।

मुख्य बात तो यह है कि हिंदी हमारी आदत बननी चाहिए, क्योंकि जिस बात की जबतक आदत नहीं पड़ती उसे स्वीकार करना पूर्ण रूप से आत्मसात नहीं हो सकता । हिंदी हमारी कमजोरी नहीं, ताकत बननी चाहिए ।

हिंदी और बिंदी कितने समान से शब्द है, लेकिन बिंदी को माथे पे सजाया जाता है और हिंदी हमलोग आजकल मजबुरी में लिखते हैं । मजबूरी में बोलते हैं । अंग्रेजी बोलो तो इसलिए भी कई लोग हिंदी में बोलते हैं । अंग्रेजी बोलो तो बडा़ गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन हिंदी के बारे में ऐसा नहीं सोचते । मेरे ख्याल से हिंदी को भी माथे के बिंदी की तरह माथे पे सजाना चाहिए । हिंदी को अपना अभिमान बनाना चाहिए । हिंदी में बडी़ सुंदरता ,हैसहजता है, अपनापन है । हिंदी भाषा को अपनाकर उसे अंगीकार करना जरूरी है । सिर्फ निबंध लिखने से ही हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते, सिर्फ कुछ नोटिंग हिंदी में लिखने से हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते, हमें उसके महत्व को सिर्फ दिल से नहीं, आत्मा से समझना होगा, क्योंकि हिंदी में हमारा हिंदुस्तान बसा है । हमारे देश की पहचान है हिंदी । इसलिए तो कहते हैं हिंदी हैं हम, हिंदु है हम । हिंदी को रोज की आदत बनाना जरूरी है । हिंदी है तो हम हैं । हिंदी भाषा का वर्चस्व बढ़ाना जरूरी है । लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम उसे लागू करें, अंग्रेजी में इतना व्यवहार करने की जगह वो हिंदी में किया जाए, तो अपने आप ही हिंदी पढ़ने की, हिंदी सीखने की जिज्ञासा आएगी । हिंदी को हमें माँ के रूप में अपनाना चाहिए ।

जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ को प्यार करता है, वेसे ही हमें निरागस होकर हिंदी को अपनाना चाहिए । "जैसे माँ दिखने में कैसी भी हो, 'सुंदर हो या कुरूप' हो, हम उसे अपनाते हैं उसे छोड़कर किसी और को माँ नहीं कहते, वैसे ही हमें हिंदी को भी माँ की तरह समझना चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए।"

हिंदी तो राजभाषा रहेगी ही और रहनी भी चाहिए, लेकिन उसका राजभाषा के रूप में महत्व बढ़ाना हमारा कर्तव्य है । उसे अपनाना हमारा कर्तव्य है हिंदी एक सहज, सुलभ और अच्छी भाषा है । मन से मन तक पहुंचने वाली भाषा है । उसे समझने की जरूरत ही नहीं है । एक पहल करते ही वो अपने आप ही समझ आ जाती है । हिंदी एक राजभाषा है हिंदी पे हमें गर्व है । हिंदी को हमें राज सिंहासन पर बिठाना चाहिए क्योंकि वो उस काबिल है । अंग्रेजी भाषा में उतना रस हो ही नहीं सकता । हिंदी भाषा को लागू करके उसका महत्व बढ़ावे हम अपने देश को ही लाज बचा रहे हैं । हिंदी को बढ़ावा देवें अपने हिंदुस्तानी होने की पहचान देना जरूरी है । हिंदी को फूलों की तरह सजाना चाहिए । सजाने के मतलब उसको अंगीकार करना चाहिए । उसका महत्व बढ़ाना चाहिए । हिंदी को आज भी उतना महत्व प्राप्त हो सकता है, अगर हम अंग्रेजी से ज्यादा महतव देना प्रारंभ करें । हिंदी एक राजभाषा है और उसे हमें राजभाषा की तरह ही रखना चाहिए । उसका तख्तोताज गिरने न देना अब हमारा कर्तव्य है । अंग्रेजों ने यहां अपनी बहुत कुछ आदतें छोड़ी है लेकिन जैसे चाय पीना ये अंग्रेजों की आदत हमसब पर भारी पड़ी है, लेकिन हिंदी के बारे में ये नहीं होना चाहिए अंग्रेजी बोलने की आदत हम पर हावी नहीं होनी चाहिए ।

हिंदी को राजभाषा के रूप में हमें गौरव समझना चाहिए । अंत में इतना ही सकती हूं कि

"गरीब लहरों पे तो हजारों पहले होते हैं,
लेकिन समंदर की तलाशी कोई नहींलेता
मैं सोच रही हूं कि मैं कुछ हिंदी में बोलूं
लेकिन अंग्रेजी अपनी नजरे ही नहीं हटाता"

हिंदी बोलना, समझना, अंगीकार करना जरूरी है । हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारा मान । हिंदी हमारा गर्व है । हिंदी को शान से सजाया है राजभाषा के रूप में हिंदी ही सबसे बेहतर भाषा है हिंदी हमारा अभिमान है ।

****

भारतीय खान ब्यूरो में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी उपलब्धियाँ

(हिंदी अनुभाग द्वारा संकलित)

भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में भारतीय खान ब्यूरो सतत प्रगतिशील पथ पर अग्रणी है । ब्यूरो का मुख्यालय ख क्षेत्र में स्थित है । 'क' क्षेत्र में 6 क्षेत्रीय कार्यालय तथा आठ क्षेत्रीय कार्यालय 'ग' क्षेत्र में स्थित हैं । जहाँ तक क क्षेत्र का सवाल है वहां सभी कार्यालयों में वर्ष 2016 में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पत्राचार किया गया एवं हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार के लिए अन्य विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । 'ख' क्षेत्र मुख्यालय में भी हिंदी से संबंधित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा कार्यालय द्वारा हिंदी पत्राचार एवं हिंदी टिप्पणी का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है । उल्लेखनीय है कि भारतीय खान ब्यूरो के क एवं ख क्षेत्र स्थित सभी कार्यालय राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित हैं । 'ख' क्षेत्र स्थित कार्यालय में भी सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हिंदी में पत्राचार किया गया तथा अन्य हिंदी से संबंधित गतिविधियां जैसे हिंदी पखवाड़ा, हिन्दी कार्यशाला आदि का आयोजन किया गया । 'ग' क्षेत्र में ब्यूरो के दो कार्यालयों को छोड़कर सभी कार्यालय नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित हैं । **जनवरी**, **2016 से दिसंबर**, **2016 तक** हिंदी से संबंधित प्रगति का विवरण निम्नवत है :-

1. **मुख्यालय में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक**: भारतीय खान ब्यूरो (मुख्यालय), नागपुर में दिनांक 21/06/2016 को विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 98 वीं बैठक, दिनांक 30/09/2016 को 99 वीं बैठक, दिनांक 22/12/2016 को 100 वीं बैठक तथा दिनांक 31/03/2017 को 101 वीं आयोजन महानियंत्रक महोदय, भारतीय खान ब्यूरो की अध्यक्षता में किया गया । इन बैठकों में समिति द्वारा पिछली बैठक के कार्यवाही की पुष्टि की गई । साथ ही, अन्य महत्वपूर्ण विषयों जैसे हिंदी प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा, हिंदी शिक्षण एवं प्रशिक्षण की

स्थिति, हिंदी पुस्तकों की खरीद, मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यशालाओं का आयोजन, अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से निरीक्षण, राजभाषा तकनीकी सेमिनारों का आयोजन आदि पर विचार विमर्श किया गया तथा इन बैठकों में अध्यक्ष महोदय द्वारा उचित दिशा - निर्देश भी दिए गए ।

2. **मुख्यालय में हिंदी पखवाड़े का आयोजन:** महानियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो, ने सिविल लाइन्स, नागपुर, स्थित मुख्यालय में दिनांक 01/09/2016 को दीप प्रज्ज्वलित कर हिंदी पखवाड़ा का उद्घाटन किया । इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मंडल रेल प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति - 2, के अध्यक्ष श्री अमित कुमार अग्रवाल उपस्थित थे ।

अपने अध्क्षीय भाषण में श्री आर. के. सिन्हा, महानियंत्रक ने दैनंदिन कार्यालयीन कार्य अधिकाधिक हिंदी में ही करने पर बल दिया । साथ ही उन्होंने हिंदी पखवाड़े के दौरान पूरा कार्य हिंदी में ही करने का आह्वान किया । उन्होंने भारतीय खान ब्यूरो द्वारा राजभाषा तकनीकी सेमिनार के आयोजन एवं हिंदी अनुभाग द्वारा 'खान भारती' पत्रिका के प्रकाशन की सराहना की ।

समारोह के मुख्य अतिथि श्री अमित कुमार अग्रवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी में कार्य करना हमारा कर्तव्य है । उन्होंने अधिकाधिक कार्य हिंदी में ही करने का आह्वान किया ।

इसके पूर्व राजभाषा अधिकारी डॉ. पी. के. जैन ने स्वागत भाषण दिया तथा भारतीय खान ब्यूरो कार्यालय की हिंदी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अंतर्गत वर्षभर का लेखा - जोखा प्रस्तुत किया गया । तत्पश्चात उन्होंने हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं की जानकारी दी ।

हिंदी पखवाड़े के दौरान दिनांक 01/09/2016 से दिनांक 13/09/2016 के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे - हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पण - आलेखन प्रतियोगिता, हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता, हिंदी शुद्ध लेखन प्रतियोगिता, हिंदी परिसंवाद

प्रतियोगिता, हिंदी प्रश्नमंच प्रतियोगिता तथा काव्य - पाठ आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । कार्यालय में कार्यरत अधिक से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन प्रतियोगिताओं का आयोजन हिंदी एवं हिंदीत्तर भाषी वर्गों के कार्मिकों के लिए अलग - अलग किया गया । हिंदीप खवाड़े के दौरान दिनांक 07/09/2016 को हिंदी परिसंवाद, दिनांक 08/09/2016 को काव्यपाठ एवं दिनांक 12/09/2016 को हिंदी प्रश्नमंच जैसे - विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ।

इन सभी प्रतियोगिताओं में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बढ़ - चढ़कर हिस्सा लिया । खासकर हिंदी परिसंवाद, हिंदी काव्यपाठ तथा हिंदी प्रश्नमंच कार्यक्रमों में प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बनता था ।

दिनांक 14/09/2016 को सिविल लाइन्स, नागपुर स्थित भारतीय खान ब्यूरो (मुख्यालय) में महानियंत्रक महोदय श्री रंजन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हिंदी दिवस समारोह एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया । इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू एल्युमीनियम अनुसंधान विकास एवं अभिकल्प केंद्र, नागपुर के निदेशक डॉ. अनुपम अग्निहोत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे । कार्यक्रम के आरंभ में राजभाषा अधिकारी डॉ. पी. के. जैन द्वारा माननीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का संदेश वाचन किया गया । श्री प्रमोद एस. सांगोले, उप निदेशक (राजभाषा) द्वारा माननीय खान राज्य मंत्री श्री पीयुष गोयल जी का संदेश पढ़ा गया । इस अवसर पर भारतीय खान ब्यूरो (मुख्यालय), नागपुर की हिंदी गृह पत्रिका 'खान भारती' का विमोचन भी किया गया ।

इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री आर के. सिन्हा, महानियंत्रक, ने राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया और कहा कि यह हम सबका कर्तव्य है कि हम अपना सरकारी कार्यालयीन कार्य राजभाषा हिंदी में ही करें । उन्होंने भारतीय खान ब्यूरो (मुख्यालय) नागपुर की हिंदी गृह पत्रिका 'खान भारती' के प्रकाशन की प्रशंसा की और आशा जाहिर की कि उक्त पत्रिका का प्रकाशन भविष्य में भी अनवरत जारी रहेगा । इसके पूर्व सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉ. अनुपम अग्निहोत्री ने विश्व की प्रमुख भाषाओं के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि पूरे विश्व में मंदारिन भाषा के पश्चात हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है । तथापि राजभाषा के रूप में

हिंदी का उतना विकास नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था । इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया । इसके पूर्व राजभाषा अधिकारी डॉ. पी. के. जैन ने हिंदी पखवाड़े के दौरान की गई गतिविधियों और विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन की जानकारी सभा के समक्ष रखी । हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित की गई विभिन्न हिंदी विषयक प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को महानियंत्रक महोदय, मुख्य अतिथि महोदय एवं राजभाषा अधिकारी द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए ।

हिंदी दिवस समारोह एवं हिंदी पखवाड़ा के पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह का संचालन श्री असीम कुमार, हिंदी अनुवादक ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन श्री जगदीश अहरवार, आशुलिपिक - । द्वारा दिया गया । उक्त समारोह को सफलतापूर्वक आयोजन में हिंदी अनुभाग के श्री राजीव कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, श्रीमती मिताली चटर्ली, हिंदी अनुवादक, श्री संजय आर. डोंगरे, हिंदी अनुवादक तथा श्री प्रदीप कुमार सिन्हा, हिंदी टंकक का पूर्ण योगदान रहा ।

3. **अनुवाद कार्य**: मंत्रालय से प्राप्त कोयला एवं स्टील पर स्थायी समिति से संबंधित 25 पृष्ठों के रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद किया गया एवं उसे टंकण कर प्रेषित किया गया । तारांकन निर्धारण प्रणाली से संबंधित पुस्तिका के संदेश के 05 पृष्ठों का अनुवाद किया गया । इसके साथ ही अपतट क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियमन) 2002 से संबंधित आदेश के 06 पृष्ठों का भी अनुवाद हुआ तथा अराजपत्रित अनुभाग से प्राप्त भंडार लिपिक परीक्षा से संबंधित परिपत्र के 05 पृष्ठों का अनुवाद किया गया एवं उसे टंकण कर प्रेषित किया गया । मंत्रालय से प्राप्त कोयला एवं इस्पात पर स्थायी समिति से संबंधित 20 पृष्ठों का हिंदी अनुवाद किया गया एवं टंकित कर उसे मंत्रालय को प्रेषित किया गया । तकनीकी सचिव, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर से प्राप्त वार्षिक रिपोर्ट 2016 -17 जो करीब 150 पृष्ठों का था का हिंदी अनुवाद एवं हिंदी टंकण कर प्रेषित किया गया । साथ ही तकनीकी सचिव, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर से प्राप्त आउट कम बजट 2017-18 रिपोर्ट जो करीब 50 पृष्ठों का था का हिंदी अनुवाद एवं हिंदी टंकण कर प्रेषित किया गया । अर्थशास्त्र प्रभाग, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर से प्राप्त 35 पृष्ठों का पतों से संबंधित सामग्री का हिंदी अनुवाद एवं टंकन कार्य किया गया ।

4. **राजभाषा तकनीकी सेमिनार का आयोजन:** दिनांक 16 मई, 2016 को भारतीय खान ब्यूरो (मुख्यालय), नागपुर में 'खनन क्षेत्र के बदलते परिदृश्य में भारतीय खान ब्यूरो की भूमिका' विषय पर एक दिवसीय राजभाषा तकनीकी सेमिनार का आयोजन किया गया । श्री आर. के. सिन्हा, महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो ने दीप प्रज्ज्वलित कर एक दिवसीय राजभाषा तकनीकी सेमिनार का उद्‌घाटन किया । इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर की प्रधान महानिदेशक (प्रशिक्षण), माननीय श्रीमती गुंजन मिश्रा उपस्थित थीं । अन्य विशिष्ट व्यक्तियों में अधीक्षण खनन भूविज्ञानी एवं डॉ. पी. के. जैन, राजभाषा अधिकारी, श्री के. थॉमस, उप महानिदेशक (सांख्यिकी), श्री ए. बी. पाणिग्रही, खान नियंत्रक (मध्य) एवं श्री मनीष भीमटे, मुख्य सतर्कता अधिकारी भी मौजूद थें ।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री आर. के. सिन्हा, महानियंत्रक ने इस बात पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि तकनीकी विषयों पर राजभाषा हिंदी में सेमिनार आयोजित करना एक बड़ी उपलब्धि है । उन्होंने यह ईच्छा जताई की अखिल भारतीय स्तर पर भी राजभाषा तकनीकी सेमिनार का आयोजन होना चाहिए । उन्होंने तकनीकी शब्दों के हिंदी मानकीकरण पर बल देते हुए कहा कि तकनीकी शब्दों का अखिल भारतीय स्तर पर मानकीकरण किए जाने की आवश्यकता है ।

समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती गुंजन मिश्रा, प्रधान महानिदेशक (प्रशिक्षण), एन.ए.डी.टी., नागपुर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि तकनीकी विषयों पर राजभाषा हिंदी में सेमिनार के आयोजन से खुशी होती है । उन्होंने खनन क्षेत्र के महत्व पर बल देते हुए कहा कि खनिज ही एक ऐसी वस्तु है जिसकी आवश्यकता हर घर में हर किसी को पड़ती है । खनिज से संबंधित विषयों पर तकनीकी सेमिनार का आयोजन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है । उन्होंने सेमिनार में भाग ले रहे सभी लेखकों से आह्वान किया कि वे इस सेमिनार में विचार -विमर्श कर कोई ठोस चीज सामने लाएँ ।

इसके पूर्व राजभाषा अधिकारी डॉ. पी. के. जैन ने सभा के समक्ष स्वागत भाषण दिया एवं कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की । राजभाषा तकनीकी सेमिनार के उद्‌घाटन समारोह का संचालन श्री प्रमोद एस. सांगोले, उप - निदेशक (राजभाषा) ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन श्री असीम कुमार, हिंदी अनुवादक ने किया ।

राजभाषा तकनीकी सेमिनार हेतु कुल 13 आलेखों का चयन किया गया तथा इन आलेखों का प्रस्तुतीकरण दो सत्रों में किया गया । प्रथम सत्र के अध्यक्ष श्री ए. बी. पाणिग्रही, खान नियंत्रक (मध्य) तथा रिपोर्टियर श्रीमती एम. निकम, सहायक खनन भूविज्ञानी थे । द्वितीय सत्र की अध्यक्षता डॉ. (श्रीमती) संध्या लाल, मुख्य अयस्क प्रसाधन अधिकारी ने की तथा इस सत्र के रिपोर्टियर श्री अरूण कुमार, खनिज अधिकारी थे ।

सेमिनार के प्रथम सत्र में कुल छः आलेख प्रस्तुत किए गए जो निम्न प्रकार हैं:

(क) 'खनिज एवं खनन क्षेत्र का बदला स्वरूप' विषय पर अपने आलेख में लेखक डॉ. पी. के. जैन ने खनन क्षेत्र में आयी नई क्रांति का जिक्र किया है और कहा कि केंद्र सरकार के कुछ निर्णयों जैसे खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधित अधिनियम, 2015 खनिज (नीलामी) नियम, 2015 खान साक्ष्य नियम 2015 तथा खनिजों के खनन के पश्चात क्षेत्रीय, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर सुधार हेतु धन की उपलब्धता के लिए जिला खनिज संस्थान के गठन आदि कार्यों में खनिज एवं खनन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी तथा साथ ही, विश्व - स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा से खनन क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा और राज्यों के राजस्व में वृद्धि होगी ।

(ख) 'खनन एवं खनिज सांख्यिकी प्रभाग की कार्य प्रणाली' विषय पर आलेख प्रस्तुत करते हुए लेखक श्री एस. के. देशपांडे ने जानकारी दी है कि किस तरह यह प्रभाग एक नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करता है । यह प्रभाग श्रम -नियोजन उत्पादन, स्टॉक, प्रेषण, बिक्री मूल्य, उपयुक्त पदार्थों पर विस्तृत ब्यौरा इकट्ठा करने के साथ - साथ कुछ धातुओं के लंदन मेटल एक्सचेंज मूल्यों तथा विभिन्न स्रोतों से कुछ अलौह धातुओं के घरेलू मूल्य एवं लघु खनिजों इत्यादि के उत्पादन डाटा संग्रहण में कार्यरत है ।

(ग) 'खनिज के बदलते परिदृश्य में खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग की भूमिका' विषय पर आलेख में श्री गौरव कुमार शर्मा, श्री सुनील कुमार शर्मा एवं श्री विनय कुमार सक्सेना ने खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग की स्थिति एवं कार्य पर प्रकाश डालते हुए इस प्रभाग के विभिन्न इकाइयों का वर्णन किया है ।

(घ) चौथा आलेख 'राष्ट्रीय खनिज सूची का महत्व एवं विश्लेषण' श्री चन्द्रशेखर तिवारी एवं श्री सुनील कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय खनिज सूची के महत्व को दर्शाया है तथा पिछले पाँच वर्षों में चानिज सूची के अद्यतनीकरण के आँकड़ों का विश्लेषण भी किया है ।

(ङ) पाँचवां आलेख श्री गिरीष बढ़े द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसका शीर्षक था, 'अवैध खनन एवं परिवहन के प्रतिबंध, नियंत्रण तथा अवरोधन में भारतीय खान ब्यूरो का योगदान' । वर्तमान भारतीय खनन क्षेत्र में यह बड़ा ही प्रासंगिक एवं समसामयिक विषय है । इसमें यह बताया गया है कि अवैध 'खनन को रोकने के लिए सरकार ने किस तरह आवश्यक कदम उठाए हैं और इसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली है ।

(च) प्रथम सत्र का छठा आलेख था 'खनिज क्षेत्र के बदलते परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय पुस्तकालय, भारतीय खान ब्यूरो - चुनौतियाँ एवं उपाय'। यह आलेख श्री विनय कुमार सक्सेना एवं श्री सत्यानंद पांडेय द्वारा प्रस्तुत किया गया है । इसमें उन्होंने यह दिखाया है कि 21 वीं सदी के मुहाने पर खड़ी भारत सरकार डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस की अवधारणा को साकार करने को तत्पर है । ऐसे बदलते परिदृश्य में भारतीय खान ब्यूरो पुस्तकालय की नवीन तकनीकों की सहायता से सशक्त और सक्षम बनने के लिए प्रयत्नशील है ।

सेमिनार के द्वितीय सत्र में कुल सात आलेख प्रस्तुत किए गए जो निम्न प्रकार है-

'सुकिंदा क्रोमाइट - विहंगावलोकन' श्री महेन्द्र कुमार सोमानी द्वारा प्रस्तुत किया गया । इसमें उन्होंने सुकिंदा घाटी में उपलब्ध क्रोमाइट के गवेषण, रिजर्व, खनन एवं खनन के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं का विस्तृत ब्यौरा दिया है ।

'भारत का क्रोमाइट भंडार एवं उनका आकलन' के लेखक श्री डी. डब्ल्यू. बेक एवं डॉ. शैलेन्द्र शमी हैं इसमें भारत के क्रोमाइट भंडार की जानकारी दी गई है तथा साथ ही कहा गया है कि निकट भविष्य में भारत में क्रोमाइट की खनन में बढ़ोतरी होगी तथा क्रोमाइट का उत्पादन एवं निर्यात भी बढ़ेगी ।

द्वितीय सत्र के तीसरे आलेख 'जस्ता धातु का उत्पादन - भारत में बदलता परिदृश्य' में लेखक श्री मुजीब उद्यीन सिद्दीकी एवं श्री जयपाल पडोले ने भारत में जस्ता उत्पादन की विस्तृत जानकारी दी है तथा साथ ही जस्ता की प्रकृति के बारे में भी बताया है ।

चौथा आलेख 'जस्ता अयस्क भंडारों के लाभकारी दोहन हेतु न्यूनतम ग्रेड' के लेखक डॉ. शैलेन्द्र शमी और श्री सुनील कुमार शर्मा हैं । उन्होंने अपने लेख में यह बताया है कि खनिज क्षेत्र के बदलते परिप्रेक्ष्य में भारतीय खान ब्यूरो किस तरह खनिजों के लाभकारी दोहन हेतु न्यूनतम ग्रेड निर्धारण करके, निलामी प्रक्रिया को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभा सकता है ।

'लौह अयस्क एवं इस्पात की मांग एवं मूल्य से संबंधित मुद्दे' के लेखक डॉ. पी. के. जैन ने बड़े ही विस्तार में लोह अयस्क एवं इस्पात की मांग एवं मूल्य से संबंधित मुद्दे को वैश्विक एवं भारतीय परिदृश्य में दिखाया है । उन्होंने कहा है कि भारतीय इस्पात उद्योग ने इस्पात हेतु बढ़ती मांग एवं पुनर्जीवित अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ते हुए विकास की गति को तेज कर दिया है ।

'निम्न श्रेणी ताम्र अयस्क (कॉपर ओर) का सज्जीकरण' विषय पर आलेख संयुक्त रूप से श्रीमती इंदिरा रवीन्द्रन, डॉ. संध्या लाल, डॉ. वी. ए. जे. अरूणा, श्रीमती भाविका रामटेके, श्री पी. पी. पाठक एवं कु. प्रथमा दिवाकर द्वारा प्रस्तुत किया गया है । इसमें उन्होंने यह दिखाया है कि खनन क्षेत्र के बदलते परिदृश्य में निम्न श्रेणी अयस्कों और खनिज अवशिष्टों द्वारा बिक्री योग्य उत्पादों की प्राप्ति आज की आवश्यकता है और इस दिशा में, खनिज प्रक्रमण के द्वारा, इस उद्देश्य की पूर्ति में भारतीय खान ब्यूरो की अहम भूमिका है ।

सेमिनार का अंतिम आलेख श्रीमती इंदिरा रवीन्द्रन, डॉ. संध्या लाल, श्री जे. पी. मिश्रा एवं श्री एम. जी. राउत द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसका शीर्षकथा, 'औद्योगिक खनिज (चूना पत्थर)' ।

सेमिनार में सभी लेखकों ने अपने आलेख पावर प्वाइंट द्वारा बहुत ही सुंदर एवं रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। सभी आलेख भारतीय खान ब्यूरो की कार्यशैली से संबंधित थे एवं लेखकों ने उन्हें तैयार करने में काफी परिश्रम किया । इन आलेखों को एक स्मारिका के रूप में मुद्रित एवं प्रकाशित किया गया । इस स्मारिका का अनावरण सेमिनार में मुख्य अतिथि महोदया के कर - कमलों द्वारा किया गया । इस तरह से भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आयोजित एक दिवसीय राजभाषा तकनीकी सेमिनार 2016, सफलतापूर्वक संपन्न हुआ ।

हिन्दी कार्यशाला : मुख्यालय में दिनांक 07 एवं 08 जुलाई, 2016 को मुख्यालय में दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 20 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया । तत्पश्चात दिनांक 27 से 30 सितंबर, 2016 तक चार अर्द्ध दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 18 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया । इन कार्यशालाओं में राजभाषा नीति के साथ - साथ दैनंदिन हिंदी कार्य में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने संबंधी व्याख्यान दिए गए । इसके साथ - साथ पारिभाषिक शब्दावली, वर्तनी, हिंदी अनुवाद, जाँच बिंदु, संसदीय राजभाषा के निरीक्षण से संबंधित प्रश्नावली भरने आदि संबंधी विषयों पर भी व्याख्यान दिए गए । इसके अलावा भारतीय खान ब्यूरो, मुख्यालय नागपुर में दिनांक 15/11/2016 को केवल वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । उक्त हिंदी कार्यशाला में कुल 32 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया जिनमें श्री के. थॉमस, उप महानिदेशक (सांख्यिकी), श्रीमति इंदिरा रविन्द्रन, निदेशक, निदेशक खनिज प्रसंस्करण प्रभाग, श्री ईवान खेस, खान नियंत्रक (समन्वय) एवं श्री ए. बी. पाणिग्रही, खान नियंत्रक (मध्य) प्रमुख हैं । हिंदी शिक्षण योजना, नागपुर के प्राध्यापक, डॉ. सोमपाल सिंह ने 'राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में वरिष्ठ अधिकारियों का उत्तरदायित्व' विषय पर व्याख्यान दिया । उन्होंने प्रतिभागियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी । साथ ही इसी तरह मुख्यालय में दिनांक 21 मार्च, 2017 से 22 मार्च, 2017 तक दो अर्द्ध दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 20 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया । हिंदी कार्यशाला का उदघाटन करते हुए डॉ. पी. के. जैन, राजभाषा अधिकारी ने हिंदी कार्यशाला की उपयोगिता की जानकारी

प्रतिभागियों को दी । दो दिनों के उक्त हिंदी कार्यशाला में चार व्याख्यान दिए गए । व्याख्यान के विषय थे - (1) राजभाषा नीति (2) राष्ट्रीय खनिज सूची का महत्व (3) हिंदी - अंग्रेजी वाक्य संरचना तथा (4) मानक शब्दावली । 'राजभाषा नीति' विषय पर व्याख्यान डॉ. पी. के. जैन, मुख्य खनिज अर्थशास्त्री एवं राजभाषा अधिकारी द्वारा दिया गया । श्री सी. एस. तिवारी, खनिज अर्थशास्त्री ने 'राष्ट्रीय खनिज सूची का महत्व' विषय पर व्याख्यान दिया । 'हिंदी - अंग्रेजी वाक्य संरचना' विषय पर व्याख्यान श्री प्रमोद एस. सांगोले, उप निदेशक (राजभाषा) द्वारा दिया गया तथा प्रतिभागियों को अभ्यास कराया गया । श्री असीम कुमार, हिंदी अनुवादक द्वारा 'मानक एवं पारिभाषिक शब्दावली' पर व्याख्यान दिया गया एवं अभ्यास कराया गया । उक्त हिंदी कार्यशाला से सभी प्रतिभागी लाभान्वित हुए ।

नराकास नागपुर के तत्वावधान में आयोजित प्रतियोगिताओं में भारतीय खान ब्यूरो की सहभागिता: नराकास नागपुर के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भारतीय खान ब्यूरो के अधिकारी एवं कर्मचारी प्रमुखतः से भाग लेते हैं । इस वर्ष भारतीय खान ब्यूरो से श्री मुजीबउद्दीन सिद्दकी, श्री विनयकुमार सक्सेना, श्री असीम कुमार, श्री अयज कुमार, श्री जगदीश अहरवार एवं श्री विभूति नंदन तिवारी ने नराकास की प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त किया ।

राजभाषा निरीक्षण: वर्ष के दौरान मुख्यालय के खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग, खनिज सांख्यिकी प्रभाग, प्रशिक्षण केन्द्र, जी. एम. सेल, तकनीकी सचिव अनुभाग, तकनीकी परामर्श प्रभाग, राजपत्रित अनुभाग, खनिज प्रसंस्करण प्रभाग, टी.एम.पी. प्रभाग, प्रशिक्षण केंद्र एवं नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय एवं अराजपत्रित अनुभाग भारतीय खान ब्यूरो का राजभाषा का निरीक्षण किया गया । इसके अलावा क्षेत्रीय कार्यालयों हैदराबाद एवं गोवा का भी राजभाषा कार्यान्व्यन की दृष्टि से निरीक्षण किया गया ।

हिंदी प्रशिक्षण : भारतीय खान ब्यूरो (मुख्यालय) में जनवरी, 2016 में हिंदी पारंगत प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया जिसमें 30 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया । साथ ही वर्ष के दौरान कार्यालय के एक अधिकारी को हिंदी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिंदी प्राज्ञ का प्रशिक्षण एवं एक अन्य कर्मचारी को हिंदी पारंगत प्रशिक्षण दिलाया गया ।

हिंदी टंकण प्रशिक्षण : भारतीय खान ब्यूरो (मुख्यालय), नागपुर में अगस्त, 2016 - जनवरी, 2017 हिंदी टंकण प्रशिक्षण आयोजन किया गया । इसकी परीक्षा जनवरी, 2017 में भारतीय खान ब्यूरो परीक्षा केंद्र पर संपन्न हुई एवं कुल 12 प्रशिक्षार्थियों में से 01 को छोड़कर सभी ने परीक्षा उत्तीर्ण की । उक्त हिंदी टंकण प्रशिक्षण का प्रारंभ हिंदी शिक्षण योजना के तत्वावधान में अगस्त, 2016 में हुआ था । टंकण प्रशिक्षण हेतु अनुदेशक के रूप में कार्यालय के ही श्री जगदीश अहरवार, आशु.-I को नामित किया गया था । उन्होंने लगातार छः महीने तक प्रतिभागियों को हिंदी टंकण में प्रशिक्षित करने के लिए अथक प्रयास किया तथा सभी प्रतिभागियों को हिंदी टंकण में सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया । उक्त हिंदी टंकण प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक संपन्न होने से प्रतिभागियों को काफी लाभ हुआ है जिससे कार्यालय के दैनंदिन हिंदी कार्य में गति आएगी और राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन सुचारू रूप से हो पाएगा ।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा राजभाषा निरीक्षण : संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा भारतीय खान ब्यूरो (मुख्यालय), नागपुर के अधीनस्थ कार्यालयों यथा क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर तथा क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर का क्रमशः दिनांक 21/01/2016, 19/02/2016 एवं 15/09/2016 को राजभाषा निरीक्षण किया गया । उक्त तीनों निरीक्षणों में भारतीय खान ब्यूरो (मुख्यालय), नागपुर द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया तथा मुख्यालय के प्रतिनिधि उपस्थित हुए । तदुपरांत संसदीय राजभाषा समिति को निरीक्षण के दौरान दिए गए आश्वासनों को पूरा किया गया । इन आश्वासनों में प्रिंट मीडिया के माध्यम से विज्ञापन एवं प्रचार पर किए गए व्यय, हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए अलग बजट का निर्धारण, मुख्यालय द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण, कार्यालय में नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन आदि प्रमुख थे ।

राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के तहत जारी आदेश : वर्ष के दौरान भारतीय खान ब्यूरो (मुख्यालय), नागपुर में राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के तहत प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों को टिप्पण, आलेखन, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए कार्यालयीन कार्य सिर्फ राजभाषा हिंदी में करने का आदेश जारी किया गया । इन कार्मिकों में 45 अधिकारी एवं 38 कर्मचारी शामिल हैं ।

हिंदी मूल टिप्पण आलेखन प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में वर्ष 2015 -16 के लिए 11 कार्यालयों के कुल 43 कार्मिकों ने भाग लिया एवं सभी को पुरस्कृत किया गया । उक्त प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में मुख्यालय, नागपुर से पाँच,

खनिज प्रसंस्करण प्रभाग, नागपुर से चार, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर से तीन, खनिज प्रसंस्करण प्रभाग, अजमेर से चार, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर से पाँच, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून से छः, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरू से तीन, क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा से चार, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद से चार, क्षेत्रीय कार्यालय, गोवाहाटी से एक तथा आँचलिक कार्यालय, बेंगलुरू से चार सम्मिलित थे । उक्त प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमश: रू. 5000/-, रू. 3000/- तथा रू. 2000/- की प्रदान की गई।

खान मंत्रालय द्वारा खनन एवं खनिज तकनीकी शब्दावली का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए खान मंत्रालय के अधीन सभी विभागों से उनसे संबंधित तकनीकी शब्द भेजने का अनुरोध किया गया था । इस उद्देश्य के लिए भारतीय खान ब्यूरो में श्री रंजन सहाय**,** महानियंत्रक महोदय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसके सदस्य इस प्रकार हैं :-

1. डॉ .पी .के .जैन, मुख्य खनिज अर्थशास्त्री - सदस्य सचिव
2. श्री अभय अग्रवाल, क्षेत्रीय खान नियंत्रक - सदस्य
3. श्री सी. एस. तिवारी, खनिज अर्थशास्त्री - सदस्य
4. श्री जुनैद फारूकी, निदेशक (सांख्यिकी) - सदस्य
5. श्री ए. डी. गुप्ता, सहायक खनन भूविज्ञानी - सदस्य
6. श्री प्रमोद सांगोले **,** उप निदेशक (राजभाषा) - सदस्य
7. श्री जे. पी. मिश्रा**,** सहायक अनुसंधान अधिकारी - सदस्य

उक्त समिति द्वारा शब्दावली निर्माण के संबंध में अनेक बैठकें आयोजित की गईं तथा खान एवं खनिज तथा भारतीय खान ब्यूरो से संबंधित करीब पन्द्रह सौ तकनीकी शब्दों का चयन एवं संकलन किया गया तथा खान मंत्रालय को प्रेषित किया गया ।

उक्त शब्दों का चयन एवं संकलन डॉ. पी. के. जैन, मुख्य खनिज अर्थशास्त्री - सदस्य सचिव के मार्गनिर्देशन में किया गया । इस प्रकार खान मंत्रालय द्वारा खनन एवं खनिज तकनीकी शब्दावली के निर्माण में भारतीय खान ब्यूरो ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है ।

****

जनवरी, 2016 से दिसंबर, 2016 तक राजभाषा हिंदी से संबंधित कार्यों का फोटोग्राफ

दिनांक 16/05/2016 को राजभाषा तकनीकी सेमिनार के उद्‌घाटन अवसर पर दीप प्रज्ज्वलन करती हुईं राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर की प्रधान महानिदेशक (प्रशिक्षण), माननीय श्रीमती गुंजन मिश्रा

राजभाषा तकनीकी सेमिनार के उदघाटन अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक श्री आर. के. सिन्हा ।

राजभाषा तकनीकी सेमिनार के उदघाटन अवसर पर स्मारिका का विमोचन करते हुए भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक श्री आर. के. सिन्हा, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर की प्रधान महानिदेशक (प्रशिक्षण), माननीय श्रीमती गुंजन मिश्रा तथा भारतीय खान ब्यूरो के राजभाषा अधिकारी डॉ. पी. के. जैन

दिनांक 01/09/2016 को हिंदी पखवाड़ा पर दीप प्रज्ज्वलन करते हुए मंडल रेल प्रबंधक द. पू. म. रेलवे, नागपुर एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति - 2, के अध्यक्ष श्री अमित कुमार अग्रवाल, भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक श्री आर. के. सिन्हा, तथा भारतीय खान ब्यूरो के राजभाषा अधिकारी डॉ. पी. के. जैन

दिनांक 01/09/2016 को हिंदी पखवाड़ा के उदघाटन अवसर पर संबोधित करते हुए मंडल रेल प्रबंधक द. पू. म. रेलवे, नागपुर एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति - 2, के अध्यक्ष श्री अमित कुमार अग्रवाल

दिनांक 01/09/2016 को हिंदी पखवाड़ा के उदघाटन अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक श्री आर. के. सिन्हा

दिनांक 01/09/2016 को हिंदी पखवाड़ा के उदघाटन अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए भारतीय खान ब्यूरो के उप निदेशक (राजभाषा)**,** श्री प्रमोद एस. सांगोले

दिनांक 14/09/2016 हिंदी दिवस के अवसर पर भारतीय खान ब्यूरो की हिंदी गृह पत्रिका 'खान भारती' का विमोचन करते हुए भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक श्री आर. के. सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू एल्युमीनियम अनुसंधान विकास एवं अभिकल्प केंद्र, नागपुर के निदेशक डॉ. अनुपम अग्निहोत्री तथा भारतीय खान ब्यूरो के राजभाषा अधिकारी डॉ. पी. के. जैन

दिनांक 14/09/2016 को हिंदी दिवस के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए जवाहरलाल नेहरू एल्युमीनियम अनुसंधान विकास एवं अभिकल्प केंद्र, नागपुर के निदेशक डॉ. अनुपम अग्निहोत्री

दिनांक 14/09/2016 को हिंदी दिवस के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक श्री आर. के. सिन्हा

दिनांक 15/11/2016 को वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आयोजित हिंदी कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक श्री आर. के. सिन्हा

दिनांक 15/11/2016 को वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आयोजित हिंदी कार्यशाला में व्याख्यान देते हुए हिंदी शिक्षण योजना, नागपुर के प्राध्यापक, डॉ. सोमपाल सिंह

दिनांक 15/11/2016 को वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आयोजित हिंदी कार्यशाला के उदघाटन अवसर पर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए भारतीय खान ब्यूरो के राजभाषा अधिकारी डॉ. पी. के. जैन

आपकी राय :

खान भारती का नवीनतम अंक प्रापत हुआ, एतदर्थ धन्यवाद । पत्रिका में समाहित सभी लेख कहानियां एवं कविताएं पठनीय, मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक हैं । पत्रिका के प्रकाशन हेतु उपयोग में लाई गई सामग्री उत्कृष्ट है । श्री प्रवीण डी. गजभिए का लेख 'कुंडलिनी शक्ति एवं आत्मसाक्षात्कार', श्रीमती विजया सिन्हा की कविता 'जीवन - एक अनुभूति' और श्रीमती मिताली चटर्जी की कविता 'ग्रीष्म, सावन और शिशिर' विशेष रूप से सराहनीय हैं ।

पत्रिका का आवरण आकर्षक है । मुखपृष्ठ संकल्पना प्रशंसनीय है । पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई एवं पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति हेतु हार्दिक शुभकामनाएं ।

--- हिंदी अधिकारी (राजभाषा अनुभाग)

महालेखाकार कार्यालय (ले. व. ह.) ।।, नागपुर, महाराष्ट्र

****

हिंदी चिरकाल से ही एक ऐसी भाषा रही है,
जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी भी
शब्द का बहिष्कार नहीं किया है ।

राजभाषा संबंधी महत्वपूर्ण बातें :

संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया । संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 26 जनवरी, 1950 को हिंदी भारत संघ की राजभाषा बनाई गई ।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के कागजात (प्रमावी 26 जनवरी, 1965 से)

इसके अंतर्गत आने वाले निम्न कागजातों को द्विभाषिक जारी करना वैधानिक रूप से अनिवार्य है । संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियां, संविदाएं, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, निविदा – सूचनाएं तथा निविदा प्रारूप ।

राजभाषा नियम 1976

केंद्रीय सरकार प्राप्तव शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुल 12 नियम बनाए हैं, मुख्यक हैं : –
इसका विस्ताकर तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है ।
'क' क्षेत्र – बिहार, झारखंड, हरियाणा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्लीा संघ राज्य, क्षेत्र ।
'ख' क्षेत्र – गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा चंडीगढ़ संघ राज्यी क्षेत्र ।
'ग' – उक्त में से शेष समस्त राज्य

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज राजभाषाएं :–

1. असमिया 2. उड़िया 3. उर्दू
4. कन्नड़ 5. कश्मीरी 6. गुजराती
7. तमिल 8. तेलुगू 9. पंजाबी
10. बांग्ला 11. मराठी 12. मलयालम
13. संस्कृत 14. सिंधी 15. हिंदी
16. नेपाली 17. कोंकणी 18. मणिपुरी
19. बोडो 20. संथाली 21. मैथिली
22. डोगरी

राजभाषा नियम 8(4)

केंद्रीय कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित किया जाता है कि उस संगठन के किन – किन विभागों / कार्यालयों / अनुभागों में शत–प्रतिशत कार्य हिंदी में किया जा सकता है । इसके उपरांत उन विभागों / कार्यालयों / अनुभागों को राजभाषा नियम8(4)
के अंतर्गत शत–प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट (स्पेसीफाईड) किया जाता है ।

नियम 10(4)

केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान (मैट्रीक अथवा समकक्ष परीक्षा हिंदी के साथ उत्तीर्ण) प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है । इस अधिसूचना का तात्पर्य यह है कि अधिसूचित कार्यालय अपना कार्यालयीन कामकाज हिंदी में करने में पूर्ण सक्षम है ।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए जाँच बिन्दु

(राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा निर्धारित)

1. राजभाषा अधिनियम व नियमों के उपबन्धों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रशासनिक अध्यक्ष का है। – नियम (12)

2. राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अन्तर्गत निम्न कागजात द्विभाषी जारी किए जाएं। सामान्य आदेश (जैसे – परिपत्र, स्थायी प्रकार के सभी आदेश, अनुदेश पत्र, ज्ञापन, निर्णय, व्यक्तियों के समूह से संबंधित आदेश आदि), संविदाएं, प्रशासकीय रिपोर्ट, लाइसेंस, परमिट, टेंडर मांगने के नोटिस आदि।

3. राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अन्तर्गत जारी होने वाले कागजात द्विभाषी जारी किए जा रहे हैं और हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर, हिन्दी में दिया जा रहा है। यह उत्तरदायित्व दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का है। – नियम (6)

4. कोड, मैनुअलों, फार्मों और गजट सामग्री का निश्चित रूप से द्विभाषी प्रकाशन। रजिस्टरों, फाइलों पर शीर्ष हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में हों।

5. हिन्दी पत्रों के आवक (डायरी) तथा जावक (डिस्पेच) रजिस्टर बनाए जाएं। कार्यालय से प्रेषित (डिस्पेच) किए गए पत्र की कार्यालय प्रति (ओ. सी.) पर, मूलपत्र अथवा जबाब (उत्तर) लिखा जाए तथा जावक (डिस्पेच) रजिस्टर में भी मूलपत्र या जबाब (उत्तर) लिखा जाए।

6. "क" तथा "ख" क्षेत्र को भेजे जाने वाले पत्रों पर पते हिन्दी में लिखे जाएं।

7. हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दें। – नियम (5)

8. रबड़ मोहर, नाम पट्ट, साइन बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में ही हों।

9. समूह "ग" और "घ" कर्मचारियों की सर्विस बुकों में प्रविष्टियाँ हिन्दी में ही की जाएं।